Thursday, 28 August, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

आठवाँ सत्र
Eigth Session

Rack No ...57(1)...
Acc. No ...8.12.67...
PARLIAMENT LIBRARY

Preservation Unit
Fumigated
On 4-8-92
Parliament Library

[खंड 32 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27, गुरुवार, 28 अगस्त, 1969/6 भाद्र, 1891 (शक)
No. 27, Thursday, August 28, 1969/Bhadra 6, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या/ S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
781	गोआ में मरमागोआ पत्तन में नाविकों की हड़ताल	Strike of Bargemen at Mormugao Port in Goa	1
782	भारत सेवक समाज के कार्यकरण के बारे में जांच	Enquiry into working of Bharat Sewak Samaj	3
783	अमरीका से जहाजों द्वारा उर्वरकों की ढुलाई के मामले में भारत को प्राप्त रियायत	Relaxation enjoyed by India in the matter of Fertilizer shipment from USA.	8
784	चीनी पर से नियंत्रण का हटाना	Decontrol of sugar	9
787	सरकारी क्षेत्र में चलचित्रों का निर्माण	Production of Motion pictures in public Sector	15

अल्प-सूचना प्रश्न

S. N. Q.			
11	उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा और बाढ़ के कारण क्षति	Damages caused by Rains and Floods in Uttar Pradesh and Bihar . . .	17

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

785	औद्योगिक संबंधों तथा रोजगार का ढांचा	Pattern of industrial relations and Employment	23
786	चीनी निर्माताओं द्वारा कमाया गया नफा	Profits made by Sugar Manufacturers	24

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
788	अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन की असफलता	Failure of Grow More Food Campaign .	25
789	प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर	Training and Employment opportunities .	26
790	पत्रकारों पर विदेशी प्रभाव	Foreign influence over Journalists .	26
791	शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmitter . . .	
792	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation . .	
793	चीनी से राशन हटाया जाना	De-Rationing of Sugar	
794	खान अब्दुल गफ्फार खां के वक्तव्य का प्रसारण	Broadcast of Khan Abdul Ghaffar Khan's Statement	28
795	बंगाल तथा आसाम में मछली की कीमत अधिक होना	High Prices of Fish in Bengal and Assam .	29
796	मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करना	Recognition of Trade Unions . .	29
797	समाचार एजेंसियों में सरकार के शेयर	Shares of Government in News Agencies	30
798	लेह में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station for Leh .	30
799	वासुमति (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Enquiry against Basumati (P) Ltd.	30
800	दूर संचार के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता	IDA Assistance for Telecommunications .	31
801	थोम्प्सन प्रैस फरीदाबाद को दिया गया मुद्रण कार्य	Printing work given to Thompson Press, Faridabad	31
802	खरीफ की फसल के खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Khariff Foodgrains	32
803	गौ रक्षा	Cow protection .	33
804	वनस्पति घी का मूल्य	Prices of Vanaspti Ghee . .	33
805	भूमि सुधारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महा सचिव की पुस्तक	Book on land reforms by UN Secretary General	34
806	वन्य पशुओं के लिये अखिल भारतीय सेवा	All India Service for Wild Life.	34
807	बेकारी की समस्या के हल के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता	Assistance from International Labour organisation for solving unemployment .	35
808	रसायनिक खाद पर लगे नये कर का किसानों पर प्रभाव	Effect of new levy on Chemical Fertilizers on the farmers	35

ता० प्र० सं०/

S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
809	बस्तर क्षेत्र के संसाधनों का विकास	Development of resources of Bastar Region	36
810	अंदमान द्वीप में समुद्र में गेहूं डुबोये जाने का समाचार	Wheat Allegedly dumped in Sea in Andaman	37
अतारांकित प्रश्न संख्या/ U.S.Q. Nos.			
5099	खानों में काम करने वाले मजदूरों में वायु धात्विक रोग	Incidence of pneumoconiosis among mine workers	37
5100	प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये टेलीविजन कर्मचारी	T.V. Staff sent for training abroad.	38
5101	कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन का कार्यकरण	Working of coal mines labour Welfare Fund Organisation	38
5102	खेतिहर मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना	Improvement in living conditions of Agricultural Labourers	39
5103	चिकित्सकों तथा स्कूलों को टेलीफोन देना	Allotment of Telephone connection to Medical Practitioners and Schools . .	39
5104	नई दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शनों की मंजूरी	Sanctioning of Telephone Connections in New Delhi	40
5105	बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित कृषकों के लिये सिंचाई की सुविधायें	Irrigation facilities to the agriculturists affected by the extension of Bagdogra Air Port	40
5106	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सहायकों की वरिष्ठता	Seniority of Assistants in the Ministry of Information and Broadcasting . .	41
5107	घरेलू कर्मचारियों के लिये काम करने के घंटे	Working hours of domestic servants	42
5108	फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme .	42
5109	नागपुर में सरकारी क्षेत्र की बेकारी	Public Sector Bakery at Nagpur	42
5110	राज्य सरकारों द्वारा निष्क्राम्य सम्पत्ति की बकाया राशि की वसूली	Recovery of outstanding dues of Evacuee property by State Governments . .	43
5111	सम्पत्तियों का बेचा जाना	Disposal of Properties	43
5112	उर्वरकों की कमी	Shortage of Fertilizers	43
5113	केरल में चावल की सप्लाई	Rice Supply to Kerala	44
5114	वियतनाम पर राष्ट्रपति निक्सन की 8 सूत्री योजना के बारे में आकाशवाणी से समाचार	AIR News about president Nixon's Eight Point Plan on Viet Nam . . .	44

अता०प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5115	सूरत गढ़ प्रक्षेत्र में हानि	Loss in Suratgarh Farm	45
5116	चीनी, खांडसारी और गुड़ का उत्पादन	Production of Sugar, Khandsari and Gur	45
5117	किसानों की शिकायतों के बारे में प्रसारण	Broadcast regarding complaints of Farmers	45
5118	उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों की मांग	Requirements of Tractors in U.P.	46
5119	मदुरै की टेलीफोन निदेशिका की छपाई	Printing of Telephone Directory of Madurai	46
5120	फैजाबाद में दुग्धशाला	Dairy Farm At Faizabad	47
5121	गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग	Use of cow dung as Fuel	47
5122	समागम के लिए शेरनी के स्थान पर जर्मनी में शेर भेजना	Sending of Lion instead of a lioness to Germany for Mating . . .	48
5123	संचार विभाग में स्वचालित मशीनों का लगाना	Automation in the Department of Communications	48
5124	प्रचार हेतु क्षेत्रीय समन्वय समितियों के कार्यकरण का पुनरीक्षण	Review of working of the Regional Coordination committees for Publicity . .	48
5125	वन महोत्सव की असफलता	Failure of Vana Mahotsava .	49
5126	हिसार जिला (हरियाणा) में गाय पालन पर प्रक्षेत्र	Cow breeding farm in Hissar District (Haryana)	49
5127	देश में बनों का काटना	Deforestation in the country	50
5128	देश के अन्य भागों में दूध सम्भरण योजना आरम्भ करना	Introduction of milk supply scheme in other parts of the country . .	51
5129	उत्तरी खाद्य क्षेत्र	Northern Food Zone	52
5130	देश में जलकूप लगाना	Sinking of Tube Wells in the country.	52
5131	श्रमिक कल्याण समिति का प्रतिवेदन	Report of Labour Welfare Committee	53
5132	मोदीनगर के श्रमिक संगठन	Labour Organisation of Modinagar .	53
5133	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में डाकघर	Post Offices during Fourth Plan	54
5134	नित्य प्रति की घटनाओं के कार्यक्रमों का हिन्दी में तैयार करना	Preparation of programmes of current Affairs in Hindi	54

अतां० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5135	बन भूमि का विकास Development of the land under forests	54
5136	डाक तथा तार घर खोलने की नीति Policy for opening post and Telegraph Offices	56
5137	केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम Central Fisheries Corporation	57
5138	केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम का कार्यकरण Working of Central Fisheries Corporation.	58
5139	सहकारी खेती Cooperative Farming	59
5140	दक्षिण राजस्थान में नलकूप लगाने के लिये सहायता Assistance for sinking tube wells in Southern Rajasthan	60
5141	राजस्थान में अनाज की वसूली Procurement of foodgrains in Rajasthan	60
5142	भूमिगत जल के प्रयोग पर विचार करने वाली समिति Committee to examine the use of underground waters	61
5143	गोरखपुर में टेलीफोन व्यवस्था Telephone arrangements in Gorakhpur	62
5144	हिन्दी टेलीप्रिंटर्स में दोष Defects in Hindi Teleprinters	62
5145	रोमन देवनागरी टेलीप्रिंटर्स Roman Devnagari Teleprinters	62
5146	उवरकों के सम्बन्ध में अमरीकी जहाजों द्वारा अधिक भाड़ा लिया जाना Higher freight charge by the American ships on fertilizers	63
5147	दैनिक पैट्रियोट तथा लिंक का प्रकाशन Publication of Daily Patriot and Link	63
5148	आकाशवाणी के लिये समाचार एजेन्सी News Agencies for All India Radio	64
5149	रायसीना पब्लिकेशन्स लिमिटेड Raisina publications limited	64
5150	मध्य प्रदेश की चीनी की आवश्यकता Sugar Requirement of Madhya Pradesh	65
5151	मध्य प्रदेश को दिये गये खाद्य पदार्थ Food stuffs supplied to Madhya Pradesh	66
5152	मध्य प्रदेश के इंदौर डिवीजन में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में बोनस की अदायगी Payment of bonus in Central Government Industrial Undertakings in Indore Division of Madhya Pradesh	66
5153	मध्य प्रदेश को गेहूं, चावल और चीनी का आवंटन Allotment of Wheat, Rice and Sugar to Madhya Pradesh	67
5154	मध्य प्रदेश में ट्रैक्टरों की मांग तथा सप्लाई Requirements and supply of Tractors in M.P.	67
5155	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति Delhi School Teachers Cooperative House Building Society	68

U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
5156	स्वर्गीय श्री ऊधम सिंह पर फिल्म	Film on late Udham Singh .	68
5157	औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में कमी	Reduction in Industrial Labour	69
5158	श्रमिक विवादों के आंकड़े	Statistics of Labour Disputes . .	69
5159	टेलीफोन की कुल संख्या	Total Number of Telephones . .	69
5160	मध्य प्रदेश को आवंटित आयातित ट्रैक्टर	Imported Tractors allotted to Madhya Pradesh	69
5161	दुग्ध से बने पदार्थों पर लगे नियंत्रण आदेश, 1969 का उल्लंघन	Violation of Milk Products Control Order, 1969	70
5162	विदेशों से भारत को उर्वरकों के उपहार	Fertilizers Gift to India from foreign Countries	70
5163	पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Employees of the Department of Rehabilitation . . .	71
5164	मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में भूमि संरक्षण कार्य	Soil Conservation Works in M.P., A.P. and Mysore	71
5165	निर्यात की जाने वाली भारतीय फिल्म संगम का पृथक रूप	Different Export version of Indian Film Sangam	72
5166	मुस्लिम धार्मिक सम्पति	Muslim Trust Property	73
5167	खाद्य सलाहकार परिषद्	Food Advisory Council	73
5168	अनाज के मूल्यों को कम करना और उनकी सीधी खरीद	Bringing down prices of foodgrains and their direct marketing . .	74
5169	बेकार पड़ी भूमि में खेती करना	Reclamation of waste land .	74
5170	भुवनेश्वर में कृषि के बारे में राष्ट्रीय टोज क्लब गोष्ठी	National Tonnage club seminar Agriculture held at Bhubaneshwar . .	75
5171	मुंगेर बिहार में टेलक्स सेवा का चालू होना ।	Introduction of Telex in Monghyr Bihar .	75
5172	अंशकालिक संवाददाताओं पर पत्रकार अधिनियम का लागू होना	Applicability of Journalists Act to part time correspondents . . .	76
5173	धनसर खान सुरक्षा केन्द्र, जिला धनबाद में की गई अनियमितताएं	Irregularities committed in Mines Rescue Station, Dhansar, District Dhanbad .	76
5174	प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया फैडरेशन द्वारा अधिक मजूरी और बोनस की मांग	Demand of Higher Wages and Bonus by PTI Federation	77

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5175	उड़ीसा में कल्याण योजना के अधीन छात्रवृत्तियों का दिया जाना	Award of Scholarships under Welfare in Orissa	77
5176	पुरी जिले में टेलीफोन लाइन खराब होना	Break down in telephone lines in Puri District	78
5177	युववाणी कार्यक्रम के लिये प्रोड्यूसर	Producers for Youth Radio Programme .	78
5178	उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालय	Employees State Insurance Scheme dispensaries in Orissa	79
5179	चौथी योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास	Development of deep sea fishing during Fourth Plan	80
5180	बिहार में बीड़ी उद्योग	Bidi Industry in Bihar	81
5181	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Food Corporation of India Employees	81
5182	संसद् सदस्यों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना को भेजे गये पत्र	Communication sent by M.Ps. to D.M.S.	82
5183	दिल्ली दुग्ध योजना चौकीदारों के वेतनों का गबन	Misappropriation of the salaries of Chowkidars of Delhi Milk Scheme . .	82
5184	दिल्ली के सुपर बाजारों में चोरी	Thefts in Super Bazars, New Delhi	83
5185	कृषि उत्पादन में प्रति व्यक्ति वृद्धि	Per capita increase in agricultural production	83
5186	चावल के कारखानों की मशीनरी का आयात	Import of rice mill machinery	84
5187	पटना जल बोर्ड के कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि	Employees provident fund of the employees of Patna Water Board . . .	84
5188	समाचार भारतीय न्यूज एजेंन्सी के महा प्रबन्धक द्वारा आयोजित सम्मेलन	Meetings called by General Manager of Samachar Bharati, News Agency .	85
5189	आकाशवाणी दिल्ली से ब्रज माधुरी पर वार्ता	Talks on Brij Madhuri for AIR Delhi .	85
5190	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर का कथित सम्बन्ध	Alleged Association of chief producers of AIR with RSS	86

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5191	आकाशवाणी में चीफ प्रोड्यूसर्स	Chief producers in AIR .	86
5192	बिहार में खेतिहर मजदूरों तथा हरिजनों को भूमि का नियतन	Allotment of land to agricultural Labourers and Harijans in Bihar	87
5193	बिहार में चावल के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of rice in Bihar .	87
5194	सूती कपड़ा सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Second Central Wage Board Award on Cotton Textile	88
5195	स्त्रियों के द्वारा रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध	Ban on rickshaw pulling by women .	88
5196	आकाशवाणी के अधिकारियों तथा स्टाफ आर्टिस्टों की यूनियनों के बीच बैठक	Meeting between AIR officials and Unions of Staff Artistes	89
5197	देहू रोड छावनी में एक टेलीफोन एक्सचेंज की मांग	Demand for setting up of a telephone Exchange in Dehu Road Cantonment .	90
5198	सरकारी कार्यक्रमों के लिये सहायता	Assistance for Co-operative programmes .	90
5199	उड़ीसा में उठाऊ सिंचाई	Lift Irrigation in Orissa .	91
5200	बिहार के चम्पारन जिले में मधुबन डाकघर के लिये इमारत	Building for Madhuban post Office in Champaran District of Bihar . .	91
5201	भूसी निकालने और औसाई करने की मशीनों की मांग	Demand for Threshing and Winnowing Machines	92
5202	बिहार में उपभोक्ता सहकारी भण्डार	Consumer Co-operatives stores in Bihar .	92
5203	हिन्दी वार्ताएं	Hindi talks . . .	93
5204	बड़ौदा गुजरात में टेलीफोनों की मंजूरी देने में देरी	Delay in Granting Telephones in Baroda, Gujarat	93
5205	बड़ौदा के लिये रेडियो स्टेशन	Radio Station for Baroda	94
5206	रसोइयों तथा बेयरों के लिये स्कूल	Schools for cooks and walters	95
5207	त्रिपुरा में आदिम जातीय लोगों का कल्याण	Welfare of Tribals in Tripura	95
5208	त्रिपुरा में खाद्यानों की सप्लाई	Supply of Foodgraihs to Tripura	96

अता० प्र० संख्या U.S Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
5209	त्रिपुरा में पंचायती की शक्तियां	Power of panchayats in Tripura	97
5210	गुजरात की नई राजधानी को टेलीफोन की सुविधाएं	Telephone facilities to new capital Gujarat.	97
5211	किसानों को टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connection to farmers	98
5212	सूरतगढ़ फार्म का कार्य संचालन	Working of Suratgarh Farm .	98
5213	सरकारी क्षेत्र के फार्मों का कार्य	Working of Government farms in Public Sector	99
5214	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना	Workers' participation in Public Sector undertakings	100
5215	गहन समुद्र मत्स्यग्रहण के लिये यंत्रीकृत नौकायें	Mechanised boats for deep sea fishing .	100
5216	रूसी ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण	Import of Russian Tractors and their Distribution	101
5217	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से नैमित्तिक कलाकारों की नियुक्ति	Appointment of Casual Artistes at AIR Station, Delhi	101
5218	आकाशवाणी द्वारा गलत समाचारों का प्रसारण	Incorrect News Broadcast by AIR .	103
5219	छोटे किसानों को ऋण	Loans to Small Farmers . . .	103
5220	गंगापुर नगर में टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Residential Quarters for telephone exchange employees at Gangapur City	103
5221	आकाशवाणी में युववाणी के लिये कर्मचारी	Staff for Yuva Vani of AIR	104
5222	भारतीय चलचित्र संस्था, पूना द्वारा गोष्ठियों तथा सम्मेलन	Seminars and Symposia by Film Institute of India, Poona	104
5223	बिहार के गन्ने वाले क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियां	Primary Co-operative Societies in Sugarcane areas of Bihar	105
5224	चाय बागान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Tea Plantation Labout .	105
5225	पश्चिम बंगाल में कपड़ा श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Textile Workers in West Bengal.	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q.. Nos.	विषय	SUBJECT	पृ० PAGE
5226	फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया का अन्य देशों के साथ सम्पर्क	Film institute of India's Liason with other Countries	107
5227	बन उत्पादों का निर्यात और आयात	Export and import of forest products	107
5228	टूना मछली को महाजाल द्वारा पकड़ने के बारे में सर्वेक्षण	Purse-scining survey of the Tuna Fishery.	108
5229	कपास तथा रुई के मूल्य	Prices of Kapas and Cotton .	108
5230	पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली	Pahari Dhiraj Cooperative House Building society, Delhi	109
5231	चलचित्रों में चुम्बन तथा नग्न दृश्य	Kissing and Nude scenes in the Films	110
5232	खाद्यानों का उत्पादन	Production of Foodgrains	110
5233	आकाशवाणी में प्रोड्यूसर	Producers in AIR	111
5234	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर द्वारा दुर्व्यवहार	Misbehaviour by Staff Artiste and producer of AIR Delhi	112
5235	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के स्कूल कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित किये जाने वाले अंग्रेजी के पाठ	Broadcast of English Lessons in School Programmes from AIR, Delhi . .	113
5236	आकाशवाणी के शिमला केन्द्र के सह-सम्पादकों का केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल न करना	Non-inclusion in Central Information service of sub-editors of AIR Simla. .	113
5237	भारत जर्मन कृषि विकास योजना	Indo-German Agricultural Dvelopment Project	114
5238	आकाशवाणी का "टू डे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम	To-day in Parliament Programme of AIR .	114
5239	चावल की ताइचून और आई आर० 8 किस्मों का स्वास्थ्य पर प्रभाव	Effect of Taichum and IR-8 Variety of Rice on Health	115
5240	दिल्ली में आवास सहकारी समितियों का पंजीकरण	Registration of Housing cooperative societies in Delhi	115
5241	गुजरांवाला सहकारी गृह निर्माण समिति , दिल्ली ।	Gujranwala Cooperative House Building Society, Delhi	116
5242	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति	Delhi School Teachers Cooperative House Building Society	117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृ० / PAGE
5243	हैदराबाद मे टेलीफोन लगाये जाने के बारे में विवाद	Dispute regarding telephone installations in Hyderabad	118
5244	कोपरी कालोनी, थाना और मुलन्द (महाराष्ट्र) में विस्थापित व्यक्तियों के लिए मकान ।	Tenements for displaced persons in Kopri Colony, Thana and Mulund (Maharashtra)	118
5245	देहाती क्षेत्रों में डाक घरों का कार्यकरण	Working of post offices in Rural Areas .	120
5246	रेलवे डाक सेवा का कार्यकरण	Working of Railway Mail Service .	120
5247	सेंसर कृत चलचित्र	Films censored .	120
5248	गुजरात में ग्राम्य सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Village cooperative Societies in Gujarat	121
5249	हड़ताल में भाग लेने के कारण केरल में डाक और तार कर्मचारियों को मुअत्तिल किया जाना	Suspension of P & T Employees in Kerala for Participation in strike . .	121
5250	केरल सर्किल के डाक और तार कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाया जाना	Re-instatement of Employees of P & T in Kerala Circle	122
5251	अनुसूचित जातियों / आदिम जातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति तथा स्थायीकरण का अधिकार ।	Seniority, right of promotion and confirmations of Scheduled Caste/Tribes Employees	122
5252	टेलीविजनों का उत्पादन	TV production .	123
5253	देश में ग्रामीण ऋणग्रस्तता	Rural indebtedness in the country . .	123
5254	आकाशवाणी दिल्ली के अधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों के लिये लिखे गये लेख	Articles written by officials of AIR Delhi for News papers	124
5255	इन्द्रा मार्केट में सामान्य समय के बाद दुकानें खुली रहना	Opening of shops in Indra Market Delhi, after the Normal working hours .	124
5256	मद्रास बन्दरगाह में अनाज की ढुलाई	Handling of foodgrains at Madras Port .	125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5257	उपभोक्ता वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य	Comparative prices of consumer goods .	125
5258	स्वतंत्रता दिवस तथा गण-राज्य दिवस पर आकाश-वाणी से हिन्दी में वार्ता	Talks in Hindi on Independence and Republic days from AIR . . .	126
5259	आकाशवाणी दिल्ली के इंजीनियरों द्वारा किया गया निजी कार्य	Private work done by Engineers of AIR Delhi	126
5260	ब्रज माधुरी कार्यक्रम का दिल्ली के स्थान पर मथुरा से प्रसारण	Transfer of Brij Madhuri Programme from Delhi to Mathura	127
5261	आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्र विभागीय कलाकार (स्टाफ आर्टिस्ट)	Staff Artistes in T.V. Centre, AIR .	127
5262	आकाशवाणी से औषधियों का विज्ञापन	Advertisement of Drugs on AIR	128
5263	उत्तर बिहार में टिड्डी दल तथा अन्य कीडों द्वारा फसलों को क्षति	Damage caused to crops by Locust and other insects in North Bihar . .	128
5264	दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण संस्थायें	Cooperative House Building Societies in Delhi	128
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	129
	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के स्थायी कर्मचारियों की मांगें	Demands of permanent employees of Chandigarh Union Territory . .	129
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	132
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	133
	95वां तथा 98वां प्रतिवेदन	Ninety-fifth and Ninety-eighth Reports .	133
	सभा की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from sittings of the House . . .	133
	ग्यारहवां प्रतिवेदन	Eleventh Report	133
	मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में	Re. Motion of no-confidence in the Council of Ministers . . .	134
		Re. Political Situation in Uttar Pradesh .	134
	प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प अस्वीकृत हुआ और प्रैस परिषद् (संशोधन) विधेयक	Satutory Resolution *Re* Disapproval of Press Council (Amendment) Ordinance—Negatived and Press Council (Amendment) Bill	139

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
विचार का प्रस्ताव		Motion to consider	143
श्री यशपाल सिंह		Shri Yashpal Singh	
खण्ड 2, 3 और 1		Clauses 2. 3 and 1	144
		Motion to Pass	144
पारित करने का प्रस्ताव		Shri I.K. Gujral	145
श्री इ० कु० गुजराल			
श्री जयपाल सिंह		Shri Jaipal Singh	146
श्री नायनार		Shri E.K. Nayanar .	146
श्री कंवर लाल गुप्त		Shri Kanwar Lal Gupta	147
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया		Shri Arjun Singh Bhadoria .	148
श्री अब्दुल गनी दार		Shri Abdul Ghani Dar	148
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी		Shri Krishna Kumar Chatterji . .	148
श्री शिव नारायण		Shri Sheo Narain	149
श्री शशि भूषण		Shri Shashi Bhushan . .	149
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प		Statutory Resolution Re. Disapproval of Banaras Hindu University Ordinance .	
और		And	
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक --		Banaras Hindu University (Amendment) Bill	151
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार का प्रस्ताव		Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	151
		Shri Shri Chand Goyal	152
श्री श्रीचन्द गोयल		Shri N.K.P. Salve	157
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे		Shri R.K. Amin	155
श्री आर० के० अमीन		Shri S. Kandappan	158
श्री स० कण्डप्पन		Shri Vishwa Nath Pandey .	160
श्री विश्वनाथ पाण्डेय		Dr. V.K.R.V. Rao	160
डा० वी० के० आर० वी० राव		Shri Jharkhande Rai .	161
श्री झारखण्डे राय		Shri Ram Dhan	162
श्री राम धन			

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 28 अगस्त, 1969/6 भाद्र, 1891 (शक)

Thursday, August 28, 1969/ Bhadra 6, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Strike of Bargemen at Mormugao Port in Goa

+

***781. Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri J. Sundar Lal :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ramavtar Sharma :
Shri K. P. Singh Deo :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of days for which the strike of the bargemen at Mormugao Port Goa continued;

(b) the loss of foreign exchange sustained by Government as a result of that strike;

(c) the financial loss sustained by the State Government thereby; and

(d) the efforts made by Government to end the strike in order to check the financial loss?

Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The barge crew members of the Goa Dock Labour Union (I.N.T.U.C.) went on a partial strike with effect from 16th February, 1969 and this developed into a total strike on 14th May, 1969. The bargemen reported for duty on the 25th July, 1969.

(b) and (c) As shipments have been resumed with accelerated pace it is not possible to assess at this stage the irretrievable loss, if any.

(d) The "appropriate" Government under the Industrial Disputes Act, 1947 in respect of this dispute is the Goa Administration. The efforts made by the Goa Administration to settle the dispute did not succeed. Thereafter, at the instance of the Goa Administration and with their co-operation the Government of India held discussions with the parties as a result of which a settlement was reached on the 19th July, 1969.

Shri Ram Swarup Vidyarthi: Goa is a union territory and the strike continued for about four and half months resulting in a loss of Rs. 20 or 22 crores in terms of foreign exchange to the Government. I want to know whether Government cannot interfere in such cases which are concerned with national interest as also the loss of foreign exchange to the country; and whether any penal clause cannot be invoked against those employers, who do not concede the genuine demands of their employees ?

Shri Bhagwat Jha Azad: Under the Constitution, the dispute lay within the jurisdiction of the State and we cannot therefore, interfere in the matter. We made efforts to settle the dispute only when the Goa Administration requested the Centre to use their good offices and we succeeded in reaching a settlement wih the parties as a result of which all the strikers reported for duty.

Shri Ram Swarup Vidyarthi: The hon. Minister in his reply to parts (b), (c) and (d) has stated that—

"चूंकि जहाजी माल ले जाने का काम तीव्र गति से पुन: शुरू हो गया है, इसलिये इस समय असमाहार्य हानि का, यदि कोई हो, अनुमान लगाना संभव नहीं है।"

This reply is an attempt on the part of the hon. Minister to mislead the House. The factual position in this regard is that the Government have sustained a loss of 20 or 22 crore of rupees in foreign exchange. If the position is not so, I want to know the amount of foreign exchange earned by way of export of iron-ore through that post during the period from February to September, 1967 and the amount of foreign exchange earned during the corresponding period in 1968 from the export of that commodity through this port?

Mr. Speaker : This is altogether a different question and does not arise out of the main question. It relates to the Strike. It is not a relevant question.

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : मेरा प्रश्न यह था कि सरकार को इस हड़ताल के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु आय मद-वार नहीं पूछ सकते।

Shri Bhagwat Jha Azad : In reply to part (b) I have stated that as shipments have been resumed accelerated space, it is not possible to assess at this stage the irrestrievably loss, if any, because the position was that we have held talks with Japan about the quantity of the unexported iron-ore and they had postponed the delivery. Now the shipments have been resumed and that is why I have stated that it was not possible at this stage to assess the loss, if any.

श्री क० प्र० सिंह देव : भारत सरकार तब बीच में पड़ी जब हड़ताल को पांच महीने हो गये थे। इससे प्रकट होता है कि उसने ऐसा नहीं सोचा कि इससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि भारत सरकार, गोआ प्रशासन,

नियोजकों तथा श्रमिकों के बीच, दिल्ली में जो समझौता हुआ उसे क्रियान्वित किया जाये, कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है, समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी और काम पर चले गये। कुछ विवाद अवश्य हैं, किन्तु गोआ सरकार उनके सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

Shri Shinkre : The strike continued for about four and a half months and the hon. Minister has stated in respect of the loss of foreign exchange that the employees had held talks with the traders of Belgium and Japan that the delivery would be postponed. But all the steamers numbering about at least 50, which came to Marmugoa port for shipment, had to go back unloaded which lowered the prestige of this port. I want to know the steps contemplated to avoid the recurrence of such incidents in future.

Secondly, the firm Seja-Goa, which is an Italian Exporter Firm has refused to accept the agreement reached between the Goa Administration, Mine-Owners, Exporters and the bargeowners. I want to know whether the Central Government propose to take any specific step, keeping in view the fact that the party in question is a foreign firm ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I have never told that we did not sustain any loss during the strike. Undoubtedly, the labour-relations had deteriorated during this long strike. But definitely, the Goa mine-owners who had to export the goods had held talks with the Japanese. I cannot say how much loss was sustained, but according to the information received the delivery was postponed during the period and now the shipments have been resumed. The only way to improve the position is the maintenance of good relations between the employers and the employees. Although we could not interfere in the matter as the provisions of the Constitution did not allow us to do so, we did it only when we were approached by the Goa Administration. They, can therefore, restore their prestige if the relations are improved.

As regards the firm Seja-Goa, on receipt of the information from the Labour-representative that the employers of the Firm were not accepting the agreement, we immediately contacted the Labour Minister of Goa and he told us that they were trying their best to persuade the parties to honour the agreement in toto.

भारत सेवक समाज के कार्यकरण के बारे में जांच

+

*782. **श्री क० लकप्पा** :
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री शारदानन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिये नियुक्त

किये गये जांच आयोग ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री क० लकप्पा : भारत सेवक समाज दूसरा शत्रु नम्बर एक है। यह श्री नन्दा का चहेता बच्चा है। पांच वर्षों से अधिक समय से यह सभा सरकार से एक समिति नियुक्त करने का अनुरोध कर रही है और भारत सरकार ने जांच समिति नियुक्त की है, परन्तु इसका प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या जांच समिति के निर्देश पद त्रुटि-पूर्ण हैं, क्योंकि भारत सेवक समाज के विरुद्ध बड़े पैमाने पर निधियों के गबन तथा स्वर्गीय पं० नेहरू द्वारा 1957 में आरम्भ किये गये दस सूत्री कार्य क्रम के अन्तर्गत राजनैतिक गतिविधियों के भी आरोप थे दस सूत्री कार्यक्रम मद्यनिषेध की बुराई, मद्यपान करना तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। दुर्भाग्यवश समिति के निर्देश पद बहुत संकीर्ण थे और इसके अन्तर्गत भारत सेवक समाज की विधि विरुद्ध गति-विधियों तथा राज्य सरकारों द्वारा इसको दी गई निधियों के गबन का मामला नहीं आता। राज्य सरकारों ने कुछ अनुदान दिये हैं। क्या निधियों का गबन बड़े पैमाने पर किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं प्रश्न भी कर रहे हैं और स्वयं उसका उत्तर भी दे रहे हैं। आप यह पूछ सकते हैं कि निर्देश पद क्या थे ?

श्री क० लकप्पा : मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि निर्देश पदों के त्रुटिपूर्ण होने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस समिति के लिये नये निर्देश-पद बनाने का विचार करे ताकि भारत सेवक समाज को दिये गये राज्य अनुदानों के सभी पहलुओं पर तथा समूचे भारत में इसकी गतिविधियों पर विचार किया जा सके।

श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी : उनके प्रश्न के अन्तिम पाद्य के बारे में मेरा उत्तर नहीं है। यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है कि जांच केवल हमारे द्वारा अर्थात् भारत सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को दिये गये धन के बारे में ही की जायेगी। राज्य सरकारों द्वारा दिये गये धन के बारे में हम जांच नहीं करा सकते। हम ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं हैं।

श्री क० लकप्पा : क्या यह सच है कि सरकार जांच के मामले में समिति के निर्देश पदों को बढ़ा नहीं रही है, क्योंकि इसमें अनेक उच्च अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं ? इसीलिये जांच समिति के निर्देश-पदों को नहीं बढ़ाया जा रहा क्योंकि मैसूर राज्य सहित भारत सेवक समाज द्वारा राजनैतिक गतिविधियां की जाती रही हैं।

श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी : मेरा उत्तर 'नहीं' में हैं। हम निर्देशपदों को बढ़ाना नहीं चाहते।

श्री क० लकप्पा : क्या सरकार समिति के लिए नये निर्देशपद बनायेगी ? सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि भारत सेवक समाज के स्वयंसेवी चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करने का

राजनैतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। अतः इसमें अनेक सम्मानित व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं। क्या सरकार कोई विशेष जांच करायेगी ?

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : भारत सेवक समाज कांग्रेस सेवक समाज नहीं है। सदस्यों द्वारा लगाये गये विभिन्न आरोपों के बारे में जांच समिति अपने निष्कर्ष देगी और यहां पर तथा अन्य स्थानों पर की गई शिकायतों की जांच भी करेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Bharat Sevak Samaj is actually a Congress Sevak Samaj and the Government is holding the enquiry half-heartedly. It has been organised to help the frustrated and dejected politicians.. (*interruption*).

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस आदत को त्याग दीजिये। मैं इसको सहन नहीं कर सकता। आप प्रश्न पूछें।

Shri Kanwar Lal Gupta : As the hon. Minister had given an assurance here I want to know whether the Government has withdrawn its assistance, it may be in the form of loans or awarding of contracts by the Central or State Government from the Bharat Sewak Samaj and whether any circular letters to this effect has been issued to the State Government also ?

Secondly, I want to know the terms of reference and the reasons for delay in forthcoming of report of the Committee.

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को भुगतान तथा सहायता देना बन्द कर दिया गया है। हमने इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को भी अपने विचारों से अवगत करा दिया गया है। मेरी जानकारी यह है कि राज्य सरकारें भारत सेवक समाज को कोई अग्रिम धन नहीं दे रही है। अन्य पहलुओं के बारे में निर्देश-पद बिल्कुल स्पष्ट हैं। और उनकी घोषणा की जा चुकी है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए उनको पढ़कर सुनाता हूं। वे इस प्रकार हैं। (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को अनुदानों, ऋणों और अन्य अग्रिम धनों के रूप में दी गई सहायता का अपेक्षित प्रयोजनों हेतु किस हद तक प्रयोग किया गया है। (2) भारत सेवक समाज को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिम धन को किस हद तक वसूल किया गया है और उनकी वसूली के लिए क्या उपाय किये गये हैं, (3) भारत सेवक समाज को दिये गये केन्द्रीय ऋणों, अनुदानों और अग्रिम धन के लेखे का विवरण, ये किस सीमा तक तैयार किये गये हैं अथवा इनको किस सीमा तक तैयार किया जा सकता है और ये किस प्रकार स्वयंसेवी संगठनों को दी गई सहायता के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है।

श्री क० लकप्पा : हमारा आरोप भारत सेवक समाज की राजनैतिक गतिविधियों के बारे में था। इसके बारे में क्या हुआ है ? क्या उनका कोई उल्लेख किया गया है ? (**अन्तर्बाधा**)

श्री कंवर लाल गुप्ता : विलम्ब के क्या कारण हैं ? उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : हमने जांच की अवधि बढ़ा दी है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी माननीय मंत्री ने बताया है कि जांच समिति जांच कर रही है और जांच पूर्ण होने के पश्चात् वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। क्या इस आयोग के अतिरिक्त

अन्य समितियों को भी भारत सेवक समाज के कार्य के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था और यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उनको किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल इस आयोग से सम्बन्धित है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just now stated that all the State Governments have been asked not to give any funds as award any contracts to the Bharat Sevak Samaj but we have different information. Even to-day the people of Bharat Sewak Samaj are getting contracts and other jobs from the Government offices. Keeping in view all these things may I know whether the hon. Minister will write to all the State Governments that no work should be allocated to the Bharat Sewak Samaj ?

श्री एम०एस० गुरूपादस्वामी : मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस मामले में हमने राज्य सरकारों को बाध्य नहीं किया है। इस मामले में हमने जो कार्यवाही की है, उसके बारे में हमने उनको सूचित कर दिया है। और मेरी सूचना यह है कि उन्होंने भारत सेवक समाज को ठेके नहीं दिये हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई निश्चित जानकारी है तो वह मुझे बतायें। मैं राज्य सरकार को बता दूंगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को पता है कि सभी राजनैतिक दलों के लोग तथा निर्दलीयलोग भारत सेवक समाज में काम करते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री क० लकप्पा : केवल कांग्रेस के लोगों का ही उसमें बहुमत है।

श्री द्वा० ना० तिवारी: क्या सरकार को पता है कि अनेक जिलों में, उदाहरणतया बिहार में मेरे अपने जिले में भारत सेवक समाज के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध काम किया है और इस प्रयोजन हेतु धन भी व्यय किया है।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : मेरे मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत सेवक समाज किसी राजनैतिक दल का अंग नहीं है। भारत सेवक समाज में अनेक लोग कार्य कर रहे हैं। जहा तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री पीलु मोदी : कांग्रेस पार्टी और भारत सेवक समाज की सांठगांठ सर्वव्यापी है। समाज के अनुचित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विशेषकर चुनाव के सम्बन्ध में क्या सरकार इस संगठन को समाप्त करने पर अब विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से मेल नहीं खाता।

श्री म० ला० सोंधी : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि सरकार का विचार इस संगठन को सहायता देने का नहीं है, मैं इस मामले में दो पहलुओं के बारे में पूछना चाहता हूं। कुछ संस्थाओं का भारत सेवक समाज में स्थानान्तरण कर दिया गया है। उदाहरण के रूप में किदवई नगर स्थित कम्यूनिटी हाल भारत सेवक समाज को दे दिया गया है। क्या वह इस हाल को भारत सेवक समाज से वापस लेंगे। दूसरे भारत सेवक समाज अनेक स्थानों पर स्वयं को सरकारी अभिकरण बताता है और लोगों का दमन करता है। महरोली में एक अशोक युवक होस्टल है। भारत सेवक समाज वहां के लोगों का दमन कर रहा है और सरकारी संगठन तथा पुलिस संगठन होने का दावा करता है।

श्री अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न सामान्य है परन्तु इसको बढ़ाया जा रहा है । मुख्य प्रश्न निर्देश पदों और आयोग की नियुक्ति के बारे में है और इसके बारे में है कि क्या क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है अथवा नहीं । परन्तु माननीय सदस्य समूचे चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि केवल सम्बन्धित बातें ही पूछें ।

श्री पीलु मोडी : निर्देश पदों का आधार क्या है ?

श्री म० ला० सोंधी : क्या अनियमितताओं की जांच के लिए स्थापित किये गये जांच आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है ? मैं माननीय मंत्री की सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं । शायद इन पहलुओं के कारण उनको जांच पूरी करने में कठिनाई हो रही है, भारत सेवक समाज को दी गई संस्थाओं को उनसे वापस लिया जाना चाहिए यदि भारत सेवक समाज स्वयं को सरकारी संगठन प्रदर्शित कर रहा है तो सरकार को इस आशय की एक प्रैस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए कि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । इससे जांच पूरी कर ने में सहायता मिलेगी । आपका और हमारा यही ईरादा है । क्या मंत्री महोदय इस बारे में कुछ आश्वासन देंगे ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : भारत सेवक समाज केन्द्रीय सरकार का अभिकरण नहीं है । यदि भारत सेवक समाज ने केन्द्रीय निधियों के बारे में कोई अनियमितताऐं की हैं तो जांच समिति.....

श्री म० ला० सोंधी : किदवई नगर स्थित कम्यूनिटी हाल का निर्माण केन्द्रीय सरकार के धन से किया गया है, परन्तु इसको भारत सेवक समाज को दे दिया गया है । माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया ?

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : यदि भारत सेवक समाज ने हमारे द्वारा दिये गये धन में कुछ अनियमितताएं की हैं तो जांच आयोग उस मामले की जांच करेगा और अपने नष्कर्ष देगा और तत्पश्चात् हम उस पर कोई कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री पीलू मोडी : इस दौरान कम्मुनिटी हाल उनको दे दिया गया है । इस प्रकार के अनुचित तरीकों से उन की सहायता की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री पीलु मोडी : यदि ऐसे प्रश्नों को यहां पर पूछने की अनुमति नहीं दी जाती तो प्रश्न काल रखने का कोई लाभ नहीं है । यदि उन्होंने केवल निर्देश पदों को पढ़कर ही सुनाना है तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का लाभ ही क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के आने से पूर्व ये प्रश्न पूछ जा चुके थे । वह कुछ विलम्ब से आये हैं ।

श्री पीलु मोडी : यहां पर एक निश्चित आरोप लगाया जा रहा है। सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के कारण भारत सेवक समाज को धन देना बन्द कर दिया है । परन्तु सरकार कम्युनिटी हाल जैसी संस्थाऐं उनको दे रही है । हमें इस तरीके से इसका भण्डाफोड़ करने का अवसर दिया जाना चाहिए । सामने बैठे हुए सदस्य मुस्करा रहे हैं । वे निर्लज्ज व्यक्ति हैं ।

अध्यक्ष महोदय मुस्कराने में कोई हानि नहीं है । माननीय सदस्य को भी मुस्कराना चाहिए ।

अमरीका से जहाजों द्वारा उर्वरकों की ढुलाई के मामले में भारत को प्राप्त रियायत

783. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारत को ऐसी रियायत मिली हुई है, जिस के अनुसार 50 प्रतिशत उर्वरक अमरीकी जहाजों में नहीं ढोया जा रहा, जिसकी व्यवस्था करारों में की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका सरकार ने अब इस रियायत को समाप्त करने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों की ढुलाई पर कितनी अतिरिक्त लागत आएगी और क्या से उपभोक्तास्तर पर कीमत बढ़ जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी नहीं, अमरीका से उर्वरकों की रियायती खरीद की शर्तों के नियमानुसार कम से कम 50 प्रतिशत उर्वरकों की ढुलाई अमरीकी जहाजों द्वारा करनी होती है । जब अमरीकी जहाज उपलब्ध नहीं होते तब गैर-अमरीकी जहाजों के 50 प्रतिशत से अधिक प्रयोग की अनुमति अमरीकी सरकार देती है । इस प्रकार सहायता करार के अनुसार भारत को 50 प्रतिशत उर्वरक गैर-अमरीकी जहाजों में ले जाने की सुविधा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि अमरीकी जहाजों द्वारा उर्वरक ढोने के लिए अन्य जहाजों के भाड़े से बहुत अधिक भाड़ा लिया जाता है। यदि हां, तो क्या अमरीका द्वारा भारत को उस अतिरिक्त भाड़े की रकम की किसी रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह सच है कि अमरीकी जहाजों का भाड़ा अन्य जहाजों की तुलना में अधिक है । उर्वरकों की खरीद के लिए दिये गये ऋण के सम्बन्ध में हुए करार की एक शर्त यह भी है कि कम से कम 50 प्रतिशत माल अमरीकी जहाजों द्वारा ढोया जाये ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि भाड़े पर किया गया अतिरिक्त व्यय भारत पर ही पड़ता है अथवा क्या अमरीकी सरकार किसी रूप में भारत को उसकी प्रतिपूर्ति कर देती है ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सर्वप्रथम तो अमरीका से मिलने वाला ऋण सस्ती दरों पर है । हमें ऋण की अदायगी 40 वर्षों में करनी है । तथा पहले दस वर्षों के लिए ब्याज की दर 2 रुपए तथा शेष 30 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3 रुपया है । यह ऋण भारत को सस्ते से सस्ते दरों पर दिया जाता है । कनाडा दूसरा देश है जिससे भारत को सस्ती दरों पर ऋण मिलता है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैंने पूछा था कि क्या अमरीकी सरकार द्वारा भाड़े पर लिया गया अतिरिक्त व्यय भारत को किसी न किसी रूप में वापस कर दिया जाता नहै ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी नहीं । हमें लागत को पूरा करना होता है और लागत स्वभावत: पूल किये गये उर्वरको की लागत में शामिल होती है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं जानना चाहत हूं कि क्या अतिरिक्त भाड़ा चुकाने पर भी क्या आयात किए गये उर्वरक देश में निर्मित होने वाले उर्वरक से सस्ता पड़ता है । क्या सरकार द्वारा बेचे जाने वाल उर्वरक इस आयतित उर्वरक से ऊंची कीमत पर बेचा जात है । यदि हां, तो सरकार वित्त मंत्रालय के उन निर्देशों का औचित्य कैसे सिद्ध करेगी जिनमें कहा गया था कि सरकारी उपक्रमों में निर्मित वस्तुओं के मूल्य उनके आयातित मूल्य के लगभग हों ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मुख्य प्रश्न भाड़ा तथा उसके फलस्वरूप उर्वरकों के मूल्य में होने वाली वृद्धि से सम्बद्ध है अतएव यह प्रश्न मूल प्रश्न के अन्तर्गत ही आता है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इससे वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये निदेशों का उल्लंघन नहीं होता ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या उनका यह अभिप्राय है कि ऐसे कोई निदेश नहीं हैं । वह परस्पर विरोधी बात कर रहे हैं । इस बारे में वित्त मंत्रालय की विवरणीका विद्यमान है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : माननीय सदस्य पुस्तिका को पुनः पढ़े ।

Shri Maharaja Singh Bharti (Meerut): May I know whether the fertilizers procured from America on loan at cheap rates ultimately cost us more due to higher freight charges as compared to the fertilisers imported from other countries and if so whether it is also a fact that freight rates are being realised in cash from the purchasers? Is the Government making it another source of income like P.L. 480 funds ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उर्वरक का थोड़ा सा भाग ही अमरीका से आता है बाकी पूर्वी, पश्चिमी, योरूपीय देशों, जापान और कनाडा से आता है । जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है केवल 24 प्रतिशत नाइट्रोजन अमरीका से मंगवाई जायेगी परन्तु उसका पी० एल० 480 से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

चीनी पर से नियंत्रण का हटाना

*784. **श्री गु० च० नायक :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री एस० जेवियर :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री द० रा० परमार :

श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी निर्माता संस्था ने हाल में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में चीनी उद्योग से पूर्णत नियन्त्रण हटाने की मांग की है :

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांगों का अध्ययन किया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई पहल की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे) :(क) संघ ने अबाध चीनी नीति नीति हेतू अपना पक्ष रखा था जिसमें दीर्घकालीन आधार पर चीनी विनियंत्रण के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति की बात थी ।

(ख), (ग) और (घ) : अगले वर्ष में अपनाई जाने वाली चीनी नीति पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । बहुधा एक प्रश्न में कई सदस्यों का नाम संयुक्त रूप से रहता है । पहले प्रश्न में 8 व्यक्तियों का तथा इस प्रश्न में 10 व्यक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है । यदि वास्तव में प्रश्न पूछने वाले सदस्य को 2–3 अनुपूरक प्रश्न तथा अन्यों को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है तो इस पद्धति से अधिक समय व्यय होता है । इसलिए यदि सदस्य सहमत हो तो इस मामले को नियम समिति को पुनर्विचार के लिए सौंप दिया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्य मुझसे इस बारे में मिले हैं । उनका कहना है कि उनकी बारी नहीं आती । इस सम्बन्ध में नियम समिति को निर्णय करना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : आपको विदित है कि पहले एक प्रश्न पर अनेक व्यक्तियों के स्हस्ताक्षर होते थे । अब ऐसे प्रश्न पृथक पृथक जाते है । अब अनेक सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं होते । सौभाग्य से बड़े व्यक्ति एक समान सोचते हैं अत: स्वाभाविक रूप से उनके नाम कुछ प्रश्नों के बारे में साथ जोड़े जाते हैं । यदि हमारे नाम हटाए जायेंगे तो यह हमारे प्रति अन्याय होगा ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस पर नियम समिति में विचार-विमर्श करें ।

श्री स० मो० बनर्जी : यहां एक नियम समिति है । मैं नहीं समझता कि यह सभा सभी बातों पर नियम समिति के निर्णयों की उपेक्षा कैसे कर सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : वे मेरी बात नहीं समझे । कई सदस्य मुझे मेरे कक्ष में मिले और उन्होंने बताया कि प्रश्नों में अनेक सदस्यों के नाम एक ही प्रश्न में संयुक्त होने के कारण उनकी बारी नहीं आ पाती । मैंने उन्हें बताया कि नियम समिति द्वारा इसी पद्धति को व्यवहार में लाया जाता है । वही समिति इसे बदल सकती है । मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता ।

श्री रंगा : यह अवसर इस विषय पर चर्चा करने के लिए नहीं है । आपने प्रश्न उठाया है और हमारे पास इसके विरुद्ध कुछ कहने का समय नहीं । आप सहसा ही कोई सूझाव दे देते हैं । मैं पूर्व व्यवहार के बारे में कुछ भी कह सकता हूं । अच्छा है कि हम इस पर उचित अवसर पर ही विचार करें ।

अध्यक्ष महोदय : वे मुझे गलत न समझें ।

श्री गु० च० नायक : मैं, खुले बाजार में चीनी का मूल्य, प्रमुख नगरों एवं देश के अन्य भागों में चीनी का नियंत्रित मूल्य तथा चीनी का निर्यात मूल्य जानना चाहता हूं । क्या सरकार ने चीनी निर्माताओं की मांग के अनुसार चीनी को पूरा तरह अनियंत्रित करने से उसकी कीमतों पर पड़ने वाले अच्छे प्रभाव पर विचार किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने बताया अगामी वर्ष के लिए नीति विचाराधीन है । **(व्यवधान)**

श्री रा० की० अमीन : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि चीनी के आंशिक विनियंत्रण से देश में गन्ने व चीनी की उत्पादन वृद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ा है ? इस सुझाव पर, कि उत्पादन-शुल्क का एक भाग गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए अलग रखा जाये, उनकी क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह बात तो निश्चित रूप से सिद्ध हो गई है आंशिक विनियंत्रण की नीति अपनाने से हम गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने तथा उसे फैक्टरियों के लिए अधिक मात्रा में सुलभ करने में हम सफल रहे हैं । इसीलिए चीनी का उत्पादन 22.5 लाख टन से बढ़ कर 35.5 लाख टन हो गया । राज्य सरकारों द्वारा गन्ने पर उपकर लगाया जाता है और भारत सरकार की यह नीति रही है कि उपकर का उपयोग राज्य सरकारें गन्ने के विकास कार्यों में व्यय करें ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : क्या यह सत्य नहीं है कि नियंण अभाव को उत्पन्न करते हैं, खले बाजार को समाप्त कर चोर बाजार उत्पन्न करते हैं तथा नियंत्रण अधिकारियों के लिये अपनी सत्ता का राष्ट्र-विरोधी क्रिया-कलापों में दुरुपयोग करने के अवसर प्रदान करते हैं ? क्या यह सच नहीं है कि नियंत्रण की नीति से सदा जनता के मन में अभाव का सन्देह उत्पन्न होता है और उससे नियंत्रित वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है । चीनी के विनियंत्रण के समय कई भविष्य-वाणियां की गईं तथा बम्बई में इश्तहार लगाये गये कि " क्या आप अपने समाजवादी नेता को जानते हैं ? उसने चीनी के विनियंत्रण से बहुत धन कमाया है ।" क्या सरकार नियंत्रण की बुराइयों को रोकने के लिये चीनी पर नियंत्रण को पूरी तरह समाप्त करेगी तथा विशेषत: बड़े उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उसकी खुली बिक्री बढ़ाएगी ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं पहले बता चुका हूं कि इस मामले का मुख्य नीति से सम्बन्ध है ।

श्री जे० एच० पटेल कन्नड़ में बोले

Shri J. H. Patel spoke in kannada

अध्यक्ष महोदय : हम नहीं जानते कि यह प्रश्न है, अथवा भाषण ।

श्री क० लकप्पा : मेरे माननीय मित्र ने कन्नड़ भाषा में प्रश्न पूछा है । उन्होंने पहले भी इसी भाषा में प्रश्न किये थे । भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि दक्षिण भारतीय भाषाओं के एक साथ अनुवाद की व्यवस्था की जायेगी किन्तु यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है । अत: माननीय मंत्री से इस बारे में उत्तर मिलना ही चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस बारे में लिखित उत्तर मिल जायेगा ।

श्री जे० एच० पटेल कन्नड़ में बोले ।

Shri J. H. Patel spoke in kannada.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं अनुमान लगा सका हूं माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर चाहते हैं । आपके प्रश्न को न मैं समझ पाया हूं और न माननीय मंत्री । लगता है आप मेरी बात समझ रहे हैं । वास्तव में जिस भाषा को न में अध्यक्ष पीठ समझा पाये और न माननीय मंत्री तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का लिखित उत्तर भज दिया जाता है ।

श्री जे० एच० पटेल : कन्नड़ में बोले ।

Shri J. H. Patel spoke in kannada.

श्री क० लकप्पा : इनके प्रश्न का उत्तर मिलना ही चाहिये । यह इनका अधिकार है । **(व्यवधान)**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम जो) माननीय सदस्य न अंग्रेजी समझ सकते हैं और न हिन्दी केवल उन्हीं के बारे में ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए । किन्तु यदि माननीय सदस्य न हिन्दी समझते हैं और न अंग्रेजी तो वह अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं जिनका सम्बन्ध दिये गये उत्तरों से है ? **(व्यवधान)**

श्री क० लकप्पा : यह माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह कन्नड़ भाषा में प्रश्न पूछें । पहले भी यह प्रक्रिया अपनाई गई है । अब उन्हें प्रश्न का उत्तर मिलना ही चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री वी० कृष्णमूर्ति : माननीय सदस्य ने कन्नड़ भाषा में अनुपूरक प्रश्न इसलिए पूछा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस बात की आवश्यकता को भली भांति समझने लगें कि सभा में दक्षिण भारतीय भाषाओं का साथ साथ अनुवाद करने की व्यवस्था होनी चाहिए । यदि माननीय अध्यक्ष महोदय यह आश्वासन दें कि यह व्यवस्था शीघ्र ही की जा रही है तो माननीय सदस्य अपने प्रश्न के उत्तर के लिये हठ नहीं करेंगे

अध्यक्ष महोदय : ऐसी भाषाओं में किये गये प्रश्नों या भाषणों का उत्तर केवल लिखित रूप से माननीय सदस्यों को भेजा जा सकता है जिन्हें न माननीय मंत्री समझते हैं और न अध्यक्ष पीठ । फिर भी साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था की जा रही है तथा आशा है यह कार्य शीघ्र ही हो जायेगा ।

श्री क० लकप्पा : हम अध्यक्षपीठ से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं ।

श्री ई० के० नायनार : भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने भी विश्वास दिलाया था **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात हुआ है कि व्यवस्था की जा रही है । यदि आप इस बारे में पूर्ण आश्वस्त होना चाहते हैं तो आप मेरे चेम्बर में आ सकते हैं वहां मैं आपको पूर्ण स्थिति से अवगत करा दूंगा । आशा है यह कार्य शीघ्र ही हो जायेगा ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी का मूल्य गिरा है तथा उसका स्टाक भी काफी है, इस स्थिति में उससे नियंत्रण हटा लेना चाहिये । मंत्री महोदय के उत्तर से विदित होता है कि चीनी से नियंत्रण हटाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह सदन को बतायें कि वह इस सम्बन्ध में अपनी निर्धारित नीति को कब घोषित करेंगे । दूसरे, क्या चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क में कोई परिवर्तन किया जायेगा जिससे कि गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य प्राप्त हो सके ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : नये क्षेत्र के आरम्भ होने से पहले ही हम अपनी नीति को घोषित कर देंगे । उत्पादन शुल्क का गन्ने के मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री विश्वनाथ राय: इस तथ्य को देखते हुए कि खुली चीनी तथा कन्ट्रोल से मिलने वाली चीनी के मूल्यों में भारी अन्तर है, क्या सरकार ने बहुत से लोगों के इस विचार की ओर ध्यान दिया है कि यदि चीनी से पूर्ण रूप से नियंत्रण हटा लिया गया तो चीनी की जमाखोरी आरम्भ हो जायेगी तथा भारत में उपभोक्ताओं का शोषण होने लगेगा ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : कोई भी निर्णय करने से पहले सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार करेगी ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : चीनी से पूर्णत: नियंत्रण हटाने की मांग का षडयंत्र बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा किया गया है । इस बारे में मैं माननीय मत्री को सावधान कर देना चाहता हूं । यद्यपि सरकार ने 73 रुपये प्रति टन का न्यूनतम मूल्य निश्चित किया है फिर भी कुछ कारखानों को और विशेषकर मेरे राज्य के कारखानों को 40 रुपये या 44 रुपये तक मूल्य देने की अनुमति दी गई है । अत: मेरा निवेदन है कि किसानों को सहायता देने के लिये तथा चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार को चीनी से पूरा नियंत्रण नहीं हटाना चाहिये । यदि सरकार नियंत्रण को हटाना ही चाहती है तो सरकार को चीनी की उत्पादन लागत का हिसाब लगा कर चीनी के तथा साथ ही साथ गन्ने के न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित कर देने चाहिएं । यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो चीनी के उत्पादन में कमी होगी तथा देश को हानि होगी । क्या मंत्री महोदय इस बारे में अपनी नीति की घोषणा करने के पहले उपर्युक्त सुझाव पर भी विचार करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : गन्ने के आगामी मौसम के बारे में सरकार जो भी अन्तिम नीति निर्धारित करेगी उसमें सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा । यदि कोई कारखाना गन्ने के निर्धारित मूल्य से कम देता है तो इस बारे में सुझाव है कि सम्बद्ध राज्य सरकार को उस पर मुकदमा चलाना चाहिये ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : उन्होंने आपकी अनुमति से ही कम मूल्य दिया है ।

श्री जगजीवन राम : न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य देने की अनुमति दी ही नहीं जा सकती ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मेरे राज्य के कुछ कारखानों को भारत सरकार के चीनी निदेशालय द्वारा यह अनुमति दी गई है कि 5 प्रतिशत की वसूली 44 रुपये के मूल्य से की जा सकती है। कृपया आप इसकी जांच करा लीजिये।

श्री जगजीवन राम : आदेश कुछ भी हों किन्तु जो भी व्यक्ति न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य देता है उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : आपने अनुमति दी है।

श्री जगजीवन राम : यह अनुमति कोई नहीं दे सकता।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : देश में चीनी उद्योग का विकास करने के लिए गन्ने पर उपकर लिया जाता है। क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो यह उपकर एकत्र किया जाता है उसे चीनी उद्योग के विकास के लिये ही उपयोग किया जाता है या किसी अन्य कार्य पर लगाया जाता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें इस बारे में पर्याप्त जानकारी है। यह उपकर समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है और हमारी नीति यह है कि राज्य सरकारें इस धन राशि को पूरी तरह या उसका अधिकतर भाग गन्ने के विकास पर ही खर्च करें।

Shri Arjun Singh Bhadoria: In view of the fact that the sugar producers have been exploiting the farmers and the consumers may I know whether the Government propose to nationalise the sugar factories?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जी नहीं, तत्काल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बेदब्रत बरूआ : क्या सरकार गन्ने और बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण करना चाहती है जिससे देहातों तथा नगरों में खुली बिकने वाली चीनी और कंट्रोल से मिलने वाली चीनी के मूल्यों में कोई अन्तर न रहे ? क्या चीनी तथा गन्ने के मूल्यों पर नियंत्रण करने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को यह सूचना प्राप्त हो गई है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के 150 विधायकों ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है ? परन्तु मुख्य मंत्री महोदय चीनी उद्योगपतियों से मिले हुये हैं अतः उन्होंने केन्द्र सरकार से इस बारे में पत्र व्यवहार नहीं किया है। क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री इस ओर ध्यान देंगें तथा वहां के 150 विधायकों की मांग पर गम्भीरता से विचार करेंगे ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य किसी व्यक्ति की ओर से हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुख्य मंत्री बड़े चीनी उद्योगपतियों से मिले हुये हैं। इसी कारण वह सरकार से इस बारे में पत्र व्यवहार नहीं कर र हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : सरकार चीनी से नियंत्रण हटाना चाहती है तथा सम्भव है उससे चीनी के मूल्य में कमी हो जाय। मूल्यों में कमी आने पर चीनी के कारखाने 100 रुपया प्रति टन का न्यूनतम मूल्य अदा नहीं कर सकते। अतः क्या सरकार चीनी का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करेगी जिससे मिल मालिक किसानों को 100 रुपया प्रति टन के हिसाब से मूल्य दे सकें यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो चीनी उत्पाद किसानों को केवल 86 रुपये प्रति टन ही देंगे। 100 रुपये प्रति टन का निम्नतम मूल्य बनाये रखने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : 100 रुपया प्रति टन का निम्नतम मल्य कभी भी निर्धारित नहीं किया गया। इस बारे में माननीय सदस्य को सही जानकारी नहीं मिली है। यद्यपि उनकी जानकारी सही होती है किन्तु इस बारे में उन्हें न जाने कैसे धोका रहा है। जिस गन्ने से रस की उपलब्धता 9.4 प्रतिशत मिले उसके निम्नतम मूल्य 7.37 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किये गये हैं। सरकार ने निम्नतम मूल्य 100 रुपये निर्धारित नहीं किये हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : सरकार ने आदेश जारी किये हैं तथा उसने 100 रूपया मूल्य देने की सिफारिश की है।

श्री ई० के० नायनार : शिशुओं के लिए चीनी एक लाभदायक खाद्य सामग्री है। अतः चीनी उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि कुछ राज्य सरकारों ने खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी के कोटे में वृद्धि करने की मांग की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर, 1968 से 1 जनवरी 1969 तक की चार मास की अवधि के अन्तर्गत महाराष्ट्र की 24 सहकारी चीनी कारखानों ने खुले बाजार में 59,179.4 टन चीनी की बिक्री की है तथा इससे उन्हें 18,24,48,000 रूपयों की प्राप्ति हुई। यदि राशन की दुकानों पर वितरण के लिये चीनी की यही मात्रा उन्होंने सरकार को नियंत्रित मूल्य पर दी होती तो उन्हें केवल 8,43,22,000 रुपयों की प्राप्त हुई होती। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि इन सहकारी कारखानों को 4 मास में लगभग 9,81,26,000 रुपयों का लाभ हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न क्या है ?

श्री ई० के० नायनार : क्या महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी चीनी कारखानों के माध्यम से खुले बाजार में विक्रय करने के लिये केन्द्र सरकार से चीनी का कोटा बढाने की मांग की है जिससे अधिक लाभ कमाया जा सके ? क्या सरकार राशन की दुकानों से नियंत्रण मूल्य पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली चीनी के कोटे में वृद्धि करेगी ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : गत वर्ष नियंत्रित मूल्य पर दी जाने वाली चीनी के दिये गये कोटे की उपेक्षा में इस वर्ष के कोटे में काफी वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए गत वर्ष प्रति मास कुल 1.66 लाख टन चीनी का कोटा दिया गया था जबकि इस वर्ष कंट्रोल वाली तथा खुली चीनी दोनों का कुल कोटा 2.6 लाख टन दिया गया है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी की अधिक मात्रा दी गई है।

Production of Motion Pictures in Public Sector

787. Shri Om Parkash Tyagi: Will the Minister of **Information and Broadcasting** and **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to produce motion pictures in the public sector also;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) (ख) तथा (ग) : फिल्म संस्थान, पूना में प्रशिक्षण कार्य के रूप में इस समय जो एक लघु फीचर फिल्म बनाई जा रही है उसको छोड़कर , सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र में फीचर फिल्में बनाने की कोई तत्काल योजनाएं नहीं है । तथापि, केन्द्रीय सरकार का फिल्म प्रभाग बड़ी संख्या में डाकुमेंट्री फिल्में और न्यूजरीलें बनाता है । फिल्म वित्त निगम लि०, बम्बई, जो एक सरकारी अंडरटेकिंग है, के मैमोरेंडम आफ एसोसिएसन में, और बातों के साथ साथ, फीचर फिल्में बनाने की भी व्यवस्था है । परन्तु उस निगम की भी किसी फीचर फिल्म का निर्माण शुरू करने की कोई तत्काल योजना नहीं है ।

Shri Om Parkash Tyagi: It is no secret that films have great impact on the public life and they mould the actions of the people. This important field is dominated by a few capitalists, who give money to the directors to get the films of their own choice produced. Almost all the films have just one theme of two boys and one girl or two girls and one boy. It is known to everyone of us that all the films have no aim but to present such a story. They have no correlation with the five year plans. Still Government consider steps to ensure production of such films in the country which conform to the policy, aim and plans of Government? Production of newsreel only will not serve the purpose. Will Government consider production of such films so as to show the right direction to the people ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं । मैं इनसे सहमत हूं कि हमारे चलचित्रों का कुछ सामाजिक दायित्व होना चाहिए में आशा करता हूं कि निकट भविष्य में ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा । इस बात को ध्यान में रखते हुये हमने एक फिल्म परिषद् बनाने का विचार किया है और मैं समझता हूं कि फिल्म परिषद् फिल्म निर्माताओं को यह बात समझा सकेगी और इसमें उनका सहयोग प्राप्त कर सकेगी कि सामाजिक प्रयोजनों के लिए भी इस माध्यम का उपयोग किया जाये ।

Shri Om Prakash Tyagi: Is it a fact that Khosla Commission has suggested that kissing, embracing and nudity may allowed to be presented in Indian Films? If so, how far it conforms to our Indian culture? May I know whether Government are going to accept or reject these suggestions?

श्री इ० कु० गुजराल : खोसला आयोग के प्रतिवेदन का सारांश सभा पटल पर रखा जा चुका है । उसे मेरे माननीय सदस्य ने देख लिया होगा कि खोसला आयोग ने विशिष्ट प्रसंग में यह सुझाव दिया है । सरकार ने इस सुझाव के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते है, हम को उसकी सूचना दी जायेगी ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : चलचित्र के बारे में खोसला आयोग के नवीनतम प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चुम्बन के बारे में सरकार का क्या मत है और क्या उनके द्वारा तैयार की जाने वाली फिल्मों में खोसला आयोग की सिफारिश स्वीकार करने जा रहे हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : मुझे नहीं मालुम कि मेरे मित्र क्या जानना चाहते हैं, उन्होंने चुम्बन के बारे में सरकार का मत पूछा है। मुझे नहीं मालूम कि वे चुम्बन के बारे में सरकार का मत अथवा फिल्मों में चुम्बन के बारे में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। सरकार चुम्बन को एक निजी मामला समझती है।

श्री हेम बरूआ : यह सच है कि खोसला आयोग की सिफारिशें सभा पटल पर रखी गई थीं और खोसला आयोग ने चुम्बन और नग्नता की दिशा में फिल्मों में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सिफारिश की है। क्या सरकार ने खोसला आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ? क्या वे फिल्म निर्माताओं से फिल्मों में चुम्बन दिखाना आरम्भ न करने के लिए कहेंगे ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं बता चुका हूं कि खोसला समिति के प्रतिवेदन की सरकार ने जांच नहीं की है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। (व्यवधान)

श्री लोबो प्रभु : श्रीमन् कला की तरह सिनेमा भी प्रकृति का दर्पण है। यहां मेरे मित्र चुम्बन के विरूद्ध हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या देश में चुम्बन है अथवा नहीं।

श्री इ० कु० गुजराल : जब तक मेरे मित्र श्री लोबो प्रभु जैसे व्यक्ति इस देश में हैं, चुम्बन की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या सरकार ऊधम सिंह के जीवन पर जिसने 1940 में माइकेल ओ डायर को गोली मार दी थी, लन्दन में तीन भारतीयों द्वारा बनाई जा रही फिल्म के लिए कोई सहायता देगी ? चूंकि यह हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्धित है, क्या सरकार "मैन फ्राम इंडिया" नामक इस फिल्म के लिए कोई सहायता देगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इस प्रश्न का उत्तर ते चुका हूं सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, प्रस्ताव रखे जाने पर सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Damages caused by Rains and floods in Uttar Pradesh and Bihar

11. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Bishwa Nath Roy :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Chandra Jeet Yadav:
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the property and lives of the people of the eastern districts of Uttar Pradesh and the Western Districts of Bihar have been gravely endangered as a result of heavy rains and floods in these areas;

(b) whether the people of these areas are suffering from hunger and thirst in the absence of proper arrangements for food and water; and

(c) if so, the protective measures being taken by Government in this regard and the total loss suffered by the said districts due to the floods?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) to (c). A statement is attached.

STATEMENT

(1) Eastern Districts of Uttar Pradesh

The Government of Uttar Pradesh have reported that floods have affected parts of Eastern districts of Uttar Pradesh viz. Varanasi, Mirzapur, Ghazipur, Ballia, Gorakhpur and Deoria for a short duration. In Mirzapur and Varanasi districts, no appreciable damage has been reported.

In Ghazipur district, an area of 3,640 hectares and population of about 1.5 lakh were affected. In Ballia district, an area of 10,680 hectares (including a cropped area of about 6800 hectares) and a population of about 1 lakh were affected. The total damage is estimated at Rs. 25,27,000. In Gorakhpur district, an area of over 6,400 hectares (including a cropped area of about 3,600 hectares) and a population of over 17,000 were affected. The value of property damaged is estimated at Rs. 1,35,000. In Deoria District, an area of 320 hectares (including a cropped area of 144 hectares) was affected and the damage on account of flood is estimated at about Rs. 1,10,000. The total loss suffered by these districts is yet to be assessed.

Bahraich and Gonda Districts in Uttar Pradesh had cloud-bursts in the 2nd and 3rd weeks of August, 1969. The magnitude of the unusually concentrated heavy rainfall that occurred between 18th August to 22nd August is asmuch as 429 mm at Bahraich canal and 534 mm at the fifth mile of marginal Bund.

This heavy downpour in the catchment of Sarju, Rapti and Ghaghra caused wide spread flooding in Bahraich and Gonda Districts. In Bahraich District, marginal bund named Belha Behra on river Sarju was breached at its mile 5/0. Another cut in the Bund was made by the cultivators at mile 3/0.

River Sarju which is gauzed at Babai Railway Bridge rose suddenly to 132.05 metres on 21-8-69 which is 0.95 metres above the High Flood Level. On 21-8-69 morning, Sarju was at 130.80 metres and by evening it rose to 132.05 metres—a sudden swelling by 1.25 metres. Similarly, river Rapti at Balrampur Bridge in District Gonda rose to almost High Flood Level causing severe flooding in the Balrampur Town and the adjoining areas of Gonda District.

Figures of inundation and damage to cropped area are believed to be heavy but the extent is yet to be assessed and will be reported on receipt from Revenue authorities.

The river Ganga was also reported to be eroding its left bank near Gaighat, threatening the Ballia Baria Bund. The State Government are taking necessary protective measures.

Relief measures:

All necessary arrangements for relief measures were made by the State Government. Arrangements for evacuation of marooned people by country and motor boats were made. Adequate amounts have been sanctioned for gratuitous relief and taccavi. The State Government have also made arrangements for medical aid and supply of essential commodities for the needy people. The State Government have spent about Rs. 6 lakhs on relief measures so far.

(2) Bihar

Khagaria town in North Monghyr is protected by embankement which is in tact. Seepages had occurred from gaps the embankment where houses on high lands flanked the town,

which have since been plugged by sand bags. The Ganga level crossed HFL 1948, i.e. 124.20 ft., by 1.05 ft., on 25th August. The level has fallen by 6 inches on the 27th August. The Ganga in upper reaches is receding. The situation is being closely watched and all protective measures are being taken.

The flood spill entered a few low lying localities of Monghyr town which is a normal feature in floods. The water has however started receding from the 25th August. It was wrongly reported in the Press that the Power House at Monghyr was flooded. The Power House was not in operation as electric suply to Monghyr is being met from the grid.

The floods had over topped National Highway No. 3 between Lakhmenia and Shahibpur Kamal (Monghyr) in 21 to 23 mile by about 7 to 30 cm. The floods had eroded the flanks at some places. All possible protective measures have been undertaken and at present there is no perceptible flow against the road embankment, and light vehicular traffic is allowed. With Ganga receding, the road is expected to be thrown open to heavy vehicles in the next 2 or 3 days.

The Ganga exceeded the previous highest recorded level of 49.079 metres (Discharge 45,307 cusecs) at Patna in 1967 by 18 cms on the morning of 24th August. It started receding thereafter and there is no danger to Patna Town.

The Government of Bihar have reported that an area of about 3.44 lakh hectares in 1384 villages of the Districts of Patna, Shahbad, Monghyr, Bhagalpur, Dharbhanga, Saran, Muzzafarpur, Saharsa, Purnea and Champaran was affected by floods. The cropped area affected is 1.62 lakh hectares. The number of houses damaged is 824 and the total population affected is 12.61 lakhs. No losss of cattle or human life has been reported so far. There was no cattle epidemic. However, there were some cases of cholera in Monghyr and Bhahghalpur Districts, but the situation is reported to be under control. Complete assessment of the damage will be made by the State Government after the flood water recedes.

Relief measures

The State Government undertook necessary relief measures for rescue and relief of the people affected by floods. Nearly 29,000 people were rescued from marooned areas. 84 relief camps are functioning and 2,000 quintals of grains have been distributed free to the needy. Free rations are being distributed to 3,35,000 persons. A sum of Rs. 24 lakhs has been allotted to the flood affected Districts for flood relief.

The Prime Minister has sanctioned a sum of Rs. 30,000 from the Prime Minister's Relief Fund for relief work in Bihar.

Shri Chandrika Prasad: Chief Minister of Uttar Pradesh has returned after making tour of eastern districts of Uttar Pradesh and has stated that total damages as a result of floods there would be amount to more than rupees four crores. Balia has been devastated with the destruction of Balia Beria. The hon. Minister has himself gone there and has seen the situation there. A permanent embankment with an estimated cost of Rs. 1.5 crores is proposed to be constructed there. The Deputy Chief Minister has also written a letter to the hon. Minister in this regard. May I know from the hon. Minister whether he is prepared to declare that the required amount will be provided to Uttar Pradesh Government.

डा० कु० ल० राव : यह कार्य बहुत शीघ्र होने वाला है। जब राज्य सरकार हमारे पास अपना अनुरोध भेजेगी तथा उस परियोजना के कार्यान्विति के सम्बन्ध में हमें यथावत स्थिति का ज्ञान करायेगी इसके पश्चात् भारत सरकार इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सहायता देने का प्रयास करेगी ।

Shri Chandrika Prasad : The Deputy Chief Minister of U.P. has stated that floods have caused heavy damages particularly to Gonda, Basti and Balia in the Eastern districts of U.P. Thousands of houses have collapsed, the rabi and kharif crops of the farmers have been completely destroyed. There is not a single grain of food in the houses of the poor Harijans and cultivators. May I know whether Central Government will make necessary provisions for building their houses and providing them food etc. either through the Ministry of Finnance or through their department of scarcity.

डा० कु० ल० राव : राज्य सरकार ने प्रत्येक आवश्यक उपाय कर लिए हैं। जब तक बाढ़ नहीं उतरेगी तब तक राज्य सरकार क्षति का अनुमान नहीं लगा सकेगी और जब वे क्षति के बारे में अपना प्रतिवेदन भेजेगी तो यह स्वाभाविक ही है कि भारत सरकार वहा एक दल भेजेगी और सहायता के रूप में दिये जाने वाले धन का निर्धारिण करेगी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : श्रीमान मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के आचरण पर विचार विमर्श करने के लिए आप अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाएं आपके पुर्ववर्ती अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में यह पूर्व उदाहरण स्थापित किया हुआ है जिसका अनुसरण करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यहां इस मामले का तो प्रश्न ही नहीं उठता । हम अल्प सूचना प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरी भारत, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी और पश्चिमी बिहार में बाढ़ का प्रकोप प्रति वर्ष होने लगा है तो मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए, क्या कोई वृहद योजना सरकार के विचाराधीन है, और यदि, हां, तो उसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तथा उसे कार्यान्वित करने का कार्य होने लगेगा ?

डा० कु० ल० राव : बिहार तथा उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों के लिए प्राथमिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं । इन योजनाओं में धन की आवश्यकता होगी योजना के इस धन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुझे आशा है कि चौथी योजना तथा इससे परवर्ती योजना के दौरान बिहार तथा उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों को बाढ़ से बचाने के लिये कुछ ठोस उपाय करना सम्भव हो सकेगा।

Shri Vishwa Nath Pandey : It is unfortunate that Balia and Devaria two eastern districts of Uttar Pradesh are always threatened with floods. There are two big rivers, Ganga and Ghagra—which are usually threatened with floods. The Union Irrigation Minister had assured the people of Balia when he went there last year that concrete embankments will be constructed on the banks of Ganga and Ghaghra so that the villages on the banks could be protected from devestation caused by floods. He had also assured that the experts of the irrigation department will go there, inspect the areas and they would prepare a scheme for protecting these villages from floods, which are situated on the banks of these two disastrous rivers. May I know whether the hon. Minister has kept up his promise and has sent a team of experts there for survey work and for the construction of concrete banks and embankments so that these villages be saved from inundation.

डा० कु० ला० राव : यह सत्य है कि गायघाट पर गंगा का तट कट कर बहने लगा है जिससे बहुत क्षति हो रही है । हमें इस की चिन्ता है । कुछ विशेषज्ञों ने उस स्थल को जाकर देखा है और एक योजना तैयार की है। इस कार्य के लिए 1½ करोड़ रुपया खर्च आयेगा। अभी तक जो कठिनाई थी वह केवल यही थी कि यथेष्ठ धन नहीं मिला था । परन्तु अब उत्तर प्रदेश सरकार समझती है कि उनको यह कार्य करना पड़ेगा । इस कार्य को वे अवश्य ही आगामी मौसम में करना प्रारम्भ कर देंगे ।

Shri Chandra Jeet Yadav : According to the Official information the floods in U.P. this year have claimed the lives of more than fifty persons. Lakhs of persons have been affected , houses and crops have been damaged and a large number of cattle have been lost as a result of the floods in U.P. Although Uttar Pradesh Government have ordered to give necessary help to the flood victims, but in view of the damages on such a large scale, it is not possible for the State Government to render adequate help to the people. May I know whether the U.P. Government has recommended to the Government of India to give particular assistance to the State Government for the relief work and if so, the nature of the assistance sought by the U.P. Government from the Central Government and the reaction of Central Government thereto? Floods have become a regular feature in these areas and property worth crores of rupees is destroyed every year. Ganga and Ghagra cause great havoc in the rainy season every year. It is true that you have no adequate funds. But keeping in view that lakhs of people in this area which is one of the poor region in the country become victims of the disastrous floods every year and heavy damage is caused to national property which is a national waste, may I know whether Government is considering to draw up a scheme to collect flood waters by constructing a water reservoir during rainy season and to utilize this water during scarce months; and if so, whether Government is going to implement such any comprehensive plan and whether in order to give a practical shape to this comprehensive plan they would take up this matter with the Government of U.P. for inclusion in the 4th Five Year Plan.

डा० कु० ला० राव : अब बाढ़ें कम हो रही हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार समझती है कि हाल ही की बाढ़ों के कारण हुई क्षति का अनुमान लगाने में कुछ समय लगेगा । जब वे क्षति के बारे में भारत सरकार को लिखेंगे तथा योजना आयोग एक दल भेजेगा जो सहायता की मात्रा निर्धारित करेगा । इस दौरान उत्तर देश सरकार द्वारा राहत दी जा रही है और केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

गंगा तथा घाघरा देश की सब से बड़ी नदियों में से हैं और उन नदियों में बाढ़ों से भारी क्षति होना स्वाभाविक है । हम बेड़िया-बलिया बांध का निर्माण करके क्षति को कम से कम करने का प्रयत्न कर रहेहैं । घाघरा नदी पर भी क्षति यथासम्भव कम करने के लिए कुछ कार्यवाहियां की जा रही हैं । घाघरा पर एक बहुत बड़ी परियोजना की स्वीकृति दी जा चुकी है और कार्य चल रहा है । नदी से सिंचाई के लिए काफी मात्रा में जल लिया जायेगा परन्तु इसका बाढ़ों पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि उससे सिंचाई के लिए अधिकतम 10,000 से 12,000 क्यूसेक जल निकाला जा सकेगा जबकि नदी में 7 से 10 क्यूसेक तक जल होता है ।

Shri Sarjoo Pandey : The floods in eastern parts of Uttar Pradesh and Bihar have become a regular feature. This causes a loss of human lives and property worth crores of Rupees. I would like to know whether any proposal to control Ropti, Ghagra and Naraini waters like Damodar Valley Corporation is under the consideration of the Government? If so, when is it likely to be implemented?

डा० कु० ला० राव : माननीय सदस्य ने जिन नदियों का उल्लेख किया है उनकी तुलना में दामोदर नदी छोटी है ।

समूची दामोदर नदी भारतीय क्षेत्र में बहती है । अत: दामोदर नदी तथा उसकी सहायक नदियों पर चार बांध बनाने सम्भव हो सके । रापती नदी नेपाल से आती है और नेपाली क्षेत्र में बान्ध बनाने के लिए अच्छा स्थान है परन्तु हम वहां बांध नहीं बना सकते । उत्तर प्रदेश के मैदानों में नदी के पहुंचने पर बान्ध नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उससे समूचा क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा । रापती के मामले में यह एक बड़ी कठिनाई है । हम जानते हैं कि इस वर्ष बाढ़ों के कारण काफी हानि हुई है । इस वर्ष काफी बड़े क्षेत्र में अधिक वर्षा होने से बेरिया वालिया क्षेत्र में बाढ़ आ गयी । हम केवल बांध बना सकते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं ।

Shri M. A. Khan : As the Minister has said, we do not have necessary funds to make permanent arrangements to avert floods and save human lives. We should make advance arrangements at such places which are constantly flood affected to save human lives. Secondly no law has been framed regarding the ownership of land washed or shifted as a result of the change in the course of river. The people of village, the lands of which are eroded by the river, are left with no means of livelihood and they are compelled to resort to begging..... (*Interruptions*) I would, therefore, like to know whether Government propose to give the land which is formed by change in the course of the river, to the persons whose land has been eroded.

डा० कु० ला० राव : इस प्रकार की स्थिति केवल गंगा के मामले में ही उत्पन्न नहीं होती । उदाहरण के लिए बेरिया-बलिया क्षेत्र में नदी के किनारे की अधिकांश भूमि उत्तर प्रदेश से कट गई है और बिहार में मिल गई है । अत: माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात ठीक है । में माननीय गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी जांच करें और देखें कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ।

Shri M. A. Khan : My question is different. I wanted to know what is being done in the case of land eroded on one side and deposited on the other side of the river within U.P. No law has been enacted in this regard. I protest what is the remedy with the Government. I must get an answer.

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know whether any assesment is made of the impending floods in advance? The floods are not being controlled and subsequent floods bring more devastation than the previous floods. If so, the reasons therefore and if any scheme has been drawn to overcome it, the details thereof?

डा० कु० ला० राव : गंगा जैसी बड़ी नदी में बाढ़ प्रति वर्ष आती हैं । पिछले तीस वर्षों की तुलना में इस वर्ष गांगा का स्तर सब से अधिक था तथा उत्तर प्रदेश में भारी बाढ़ें आईं । बाढ़ें वाराणसी नगर, पटना तथा मुंघेर में आईं और अब बाढ़ का जल पश्चिमी बंगाल में मालदा में दाखिल हो रहा है । अत: बाढ़ों के कारण क्षति होना अनिवार्य है । हम केवल यही बात कर सकते हैं कि क्षति को कम करें । हम बाढ़ नियंत्रण की कार्यवाहियों द्वारा ऐसा कर रहे हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार है परन्तु बिहार मे राष्ट्रपति का शासन है और हमें गत एक वर्ष में राष्ट्रपति के शासन का कटु अनुभव है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बिहार के लोगों को सहायता देने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है और क्या ऐसे लोगों को जिनकी भूमि बाढ द्वारा कट गई है मकान बनाने के लिए कोई वैकल्पिक भूमि दी गई है ?

डा० कु०ला० राव : राज्य के इंजीनियरों तथा अधिकारियों ने मुझे बताया है कि तुरन्त राहत देने के लिए वे कार्यावाही कर रहे हैं :

Shri Molahu Prasad : I would like to know whether Government is prepared to pay compensation to the flood affected persons. Secondly, during the tenure of Chief Ministership of Dr. Sampoornanand in Uttar Pradesh, a Jalkundi Project was prepared but subsequently during Shri C. B. Gupta's regime the project was abandoned. I would like to know whether the scheme is being reconsidered. Thirdly, I would like to know the details of flood relief operations, the amount spent by State Govenment there and the assistance proposed to be given by the Central Government?

डा० कु० ला० राव : बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को कोई प्रतिकर नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस पर होने वाला व्यय अत्यधिक है ।

जलकुडी परियोजना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि रापती पर बान्धा जाने वाला बान्ध नेपाल में सीमा से 50 मील दूर है । हम नेपाल में जाकर इस कार्य को शुरू नहीं कर सकते । वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए नेपाल के अन्दर जाकर काम करना उचित नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : बाढ़ो के प्रश्न पर अल्प सूचना प्रश्न, ध्यान दिलाऊ प्रस्तावों तथा सामान्य प्रश्नों के रूप में कई बार प्रश्न उठ चुका है । सरकार ने शनिवार, 30 अगस्त को इस पर विचार करना मान लिया है । माननीय सदस्य उस समय अपने विचार रख सकते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : गंगा के निकट कई ग्रामों की भूमि का कटाव हो रहा है तथा जान, सम्पत्ति, पशुओं आदि को गम्भीर खतरा है । 48 घंटे विलम्ब करने से बहुत हानि होने की सम्भावना है । इसे रोकने के लिए हमें तत्काल कुछ करना होगा । गांव के गांव बाढ़ से बह गये हैं । स्वयं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा हुआ है । उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गंगा के किनारे वाले गांवों में ऐसा हो रहा है । माननीय मंत्री को इस बारे में तत्काल कुछ करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए समय निर्धारित किया जा चुका है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक सम्बन्धों तथा रोजगार का ढांचा

*785. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस" ने देश में औद्योगिक सम्बन्धों तथा रोजगार सम्बन्धी स्थिति के भावी ढांचे के बारे में हाल में चिन्ता व्यक्ति की है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी हां । इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने क्विलोन में हुए अपने 18वें अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में इस प्रकार की चिन्ता व्यक्त की ।

(ख) सरकार द्वारा ऐसे मामलों का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है और समय समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

चीनी निर्माताओं द्वारा कमाया गया नफा

*786. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह अब 1967 से लेकर चीनी सम्बन्धी नई नीति की घोषणा किये जाने के पश्चात निजी तथा सहकारी क्षेत्र में चीनी निर्माताओं द्वारा अर्जित किये जाने वाले नफे के बारे में शुद्ध तथा कुल आंकड़े देने की स्थिति में हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी को बाजार में भेजने में विलम्ब करके इसके मूल्यों को कृत्रिम तौर पर अधिक रखा जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो गत बारह मास में बाजार में प्रति मास लाई गई चीनी का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) (क) 200 चीनी फैक्ट्रियों में से 146 से प्राप्त सूचना के आधार पर लेखा वर्ष 1967–68 में उनका निवल लाभ इस प्रकार रहा है :—

	आंकड़े करोड़ रुपयों में
116 निजी-क्षेत्र की फैक्ट्रियां	11.59 (निवल)
30 सहकारी फैक्ट्रियां	1.23

आम तौर पर चीनी फैक्ट्रियां निर्माण तथा व्यापार लेखे अलग अलग तैयार नहीं करती हैं लेकिन लाभ तथा हानि का एक ही लेखा बनाती हैं और इस लिए सकल लाभ के आंकड़े देना सम्भव नहीं है। 1968–69 के लाभ तथा हानि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी नहीं। चीनी के कोटे नियमित रूप से प्रत्येक मास नियुक्त किए जाते हैं।

(ग) पिछले 12 महीनों में चीनी के कोटे और उनकी निर्मुक्ति की तारीख बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गत 12 महोनों में निर्मुक्त की गई चीनी का कोटा बताने वाला विवरण

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

नियुक्ति की तारीख	लेवी-चीनी	खुले बाजार में बिक्री हेतु चीनी	जोड़
23–9–1968	1.00	0.78	1.78
23–10–1968	1.00	0.66	1.66
23–11–1968 / 12–13–1968	1.00	0.66	1.66
23–12–1968	1.00	0.66	1.66

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

नियुक्ति की तारीख	लेवी-चीनी	खुले बाजार में बिक्री हेतु चीनी	जोड़
23-1-1969 . . .	1.26	0.70	1.96
23-2-1969 . . .	1.26	0.70	2.22
5-3-1969	0.26	1.52	
23-3-1969 . .	1.52	0.85	2.37
23-4-1969 . .	1.52	0.85	2.37
23-5-1969	1.59	0.90	2.49
23-6-1969	1.59	0.59	2.54
23-7-1969	1.59	0.95	2.54
23-8-1969	1.59	0.95	2.54

अधिक अन्न उपजाओं आंदोलन की असफलता

*788: **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन देश में पूर्णतया असफल हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पुनः आंदोलन चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) देश में खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता में इस आन्दोलन से कहां तक सहायता मिलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) देश में 1966-67 से कृषि विकास सम्बन्धी नई नीति अपनाने से वास्तव में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए आन्दोलन प्रगति पर है ।

(घ) नई कृषि नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, बहुउद्देशीय फसल, लघुसिंचाई, उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों आदि आदानों की आयोजित व्यवस्था, उदार ऋण सुविधाओं की, (जिनमें संस्थानात्मक धन, किसानों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सम्मिलित हैं,) सामयिक व्यवस्था और अनुसंधान कार्य को तीव्र करना।

(ङ) 1971 के बाद पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात बंद कर देन का विचार है । इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए ही चौथी योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम तैयार किये गये हैं।

प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर

*789. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय औद्योगिक नियोजक संगठन के प्रधान श्री बाबूभाई चिनाई ने नई दिल्ली में संगठन के 36वें वार्षिक अधिवेशन में भाषण देते हुए अधिक अच्छे प्रशिक्षण तथा रोजगार के अधिक अवसरों पर बल देते हुए कार्मिक संघों से प्रार्थना की थी कि वे उद्योगों के वैज्ञानिक तथा स्वचालनं के प्रश्न पर उनके विकास की दृष्टि से विचार करें ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार ने उनके भाषणों की एक प्रति देखी है।

(ख) देश की पंचवर्षीय योजनाओं तथा आवश्यकताओं और साधनों के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधाओं के संदर्भ में रोजगार अवसरों की सरकारी और निजी क्षेत्रों में निश्चित रूप से बराबर-बराबर व्यवस्था करनी होगी। जहां तक स्वचालन का संबंध है, सरकार ने इस मामले का अध्ययन करने और समुचित सिफारिशें करने के लिए पहले ही एक समिति स्थापित कर दी है जो समुदाय की सामाजिक भलाई और औद्योगिक प्रगति की आवश्यकता का ध्यान रखेगी।

Foreign influence over Journalists

*790. **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Ranjeet Singh:
Shri Suraj Bhan:

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 607 on the 20th March, 1969 and state:

(a) whether the enquiry regarding influencing the Journalists in the country through foreign capital, or otherwise, has since been completed;

(b) if so, the details thereof and the steps taken in this regard and the results achieved thereby; and

(c) if not, the reasons for the inordinate delay and when the enquiry would be over?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c) The matter was covered by the enquiry made by the Intelligence Bureau of the Ministry of Home Affairs with regard to the use of foreign money in the last General Elections and for other purposes. The Home Minister made a statement in the Lok Sabha on the subject on May 14, 1969.

High Power Transmitter

*791. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Dr. Ranen Sen :**
Shri Hem Raj : **Shri N.K.P. Salve :**
Shri Hem Barua: **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the date by which the scheme regarding the installation of high power transmitter, which has been under consideration of Government for the past many years, would be implemented.

(b) whether it is a fact that in the absence of such a high power transmitter, the anti-Indian propaganda of other countries is gaining momentum; and

(c) if so, the remedial measures being taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The Super Power Transmitter near Calcutta will be commissioned in the middle of September, 1969.

(b) and (c). Countries hostile to India continue to make anti-Indian propaganda. This propaganda is countered effectively by A.I.R. in its internal services and also in its external services. The new super power transmitter will give A.I.R. additional competence to broadcast to some neighbouring countries on the medium wave in addition to the existing short wave services.

Central Warehousing Corporation

*792. **Shri Prem Chand Verma:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state

(a) whether it is a fact that the working of the Central Warehousing Corporation is very unsatisfactory and for the last few years Government had been considering to wind it up and if so, the reasons therefor:

(b) whether it is also a fact that the Corporation has not been able to achieve the targets so far which were to be achieved in 1962 and if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that there is great need of warehouses in the country for foodgrains and other goods and if so, the total warehousing capacity required in the country; and

(d) whether Government propose to give a new form to the Corporation so as to enable it to remove the shortage of godowns in the country and to earn profits after making up the previous loss?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) No, Sir. The Committee on Public Undertakings made a detailed assessment of the working of the Corporation in their 9th Report, and on the basis of the recommendation thereof, it was decided that it should continue in its present form. The working of the Corporation, at present, is satisfactory.

(b) No, Sir. The targets fixed for 1961-62 were achieved in that year itself and in some

(c) Yes, Sir. It is estimated that based on present estimates and projections, an additiona capacity of 10 lakh tonnes is required to be put up by the Central and the State Warehousing Corporations.

(d) No, Sir. However, necessary steps to increase the storage capacity are already in hand. The losses incurred upto 1965-66 have already been wiped out by the profits made in subsequent years.

De-Rationing of Sugar

*793. **Shri Meetha Lal Meena**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the rationing of sugar has become useless due to the sharp decline in the prices of sugar;

(b) if so, whether Government propose to do away with the system of rationing in sugar; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Although the prices of sugar in the open market have come down, these are still highrer than the price of levy sugar distributed through controlled channels.

खान अब्दुल गफ्फार खां के वक्तव्य का प्रसारण

*794. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री प्यारे लाल ने पिछले वर्ष आकाशवाणी को प्रसारण के लिये खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की एक प्रति दी थी ;

(ख) क्या आकाशवाणी ने पूरे वक्तव्य का प्रसारण किया था ;

(ग) यदि नहीं, तो वक्तव्य के कौन से भाग का प्रसारण किया गया था और कौन सा भाग छोड़ दिया गया था ;

(घ) खान अब्दुल गफ्फार खां के वक्तव्य के उस अंश को प्रसारित करने के क्या कारण थे जो महात्मा गांधी द्वारा भारत के विभाजन के समय पख्तूनिस्तान के लोगों को दिये वचन से संबंधित था ; और

(ङ) क्या गांधी शताब्दी के बारे में भारत को अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खां को गांधी जी के साथ अपने संस्मरणों को आकाशवाणी से प्रसारित करने की स्वतन्त्रता दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां ।

(ख) वक्तव्य का सम्पादित रूपांतर प्रसारित किया गया था ।

(ग) श्री प्यारे लाल द्वारा लाये गए वक्तव्य तथा प्रसारित किए गए सम्पादित रूपांतर की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1862/69]।**

(घ) महात्मा गांधी के वचन से संबंधित वक्तव्य का अंश प्रसारण में शामिल किया गया था।

(ङ) जी हां। आकाशवाणी को ऐसा करने में प्रसन्नता होगी।

बंगाल तथा आसाम में मछली की कीमत अधिक होना

*795. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि गत कुछ वर्षों से बंगाल तथा आसाम में मछली के भाव बहुत बढ़ गये हैं ; और

(ख) इन राज्यों में उचित भाव पर मछली मिल सके इसके लिये क्या किसी योजना पर विचार किया जा रहा है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) :

(क) जी हां :

(ख) पश्चिम बंगाल और आसाम में मत्स्यपालन के विकास के लिए पश्चिम बंगाल में 235.21 लाख रुपये और आसाम में 115 लाख रुपए के परिव्यय की प्लान स्कीमें तैयार की गई हैं। सुन्दर बन के सुधार के लिए एक मार्गदर्शी योजना भी भारत सरकार के विचाराधीन है। इससे सुन्दर बन के क्षेत्रों में परित्यक्त दलदल के प्रतिगामी उपयोग का मार्ग प्रशस्त होने तथा कलकत्ता में विपणन के लिए मछली की काफी बड़ी मात्रा उपलब्ध होने की आशा है।

मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करना

*796. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी औद्योगिक उपक्रम में मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने की क्या कसौटी है;

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्धकों को कभी-कभी तीन अथवा चार मजदूर संघों से निपटना पड़ता है चाहे उनमें अल्प संख्यक प्रतिनिधित्व हो; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे नियम बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिनके अन्तर्गत उपक्रम के प्रबन्धकों को मान्यता प्राप्त एक ही संघ से निपटना पड़े जिसमें बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व हो ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में और अधिकांश राज्यों में जहां कोई विशेष विधान नहीं है, यूनियनों की मान्यता के लिए कसौटियां वही हैं, जो स्वैच्छिक अनुशासन संहिता में दी गई हैं।

(ख) जहां तक स्वैच्छिक अनुशासन संहिता का प्रश्न है, प्रबन्धकों को कुछ शर्तों के अधीन इस कार्य के लिये स्थानीय क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठान अथवा उद्योग की ऐसी यूनियनों से निबटना पड़ता है जिन्हें बहुमत प्राप्त है।

(ग) इस प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

Shares of Government in News Agencies

*797. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the names of the news agencies in which Central or State Governments are holding shares, and the number thereof separately;

(b) whether it has been a declared policy of Government that Government should have no share in the ownership rights of the newspapers and news agencies;

(c) whether any change has been brought in this policy; and

(d) if so, the details thereof, with reasons for changed policy?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The Central Government have no shares in any News Agency. Information in respect of State Government is being ascertained.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

लेह में आकाशवाणी केन्द्र

*798. **श्री बलराज मधोक :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने लेह में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो उस स्टेशन का नाम रेडियो काश्मीर होगा या आल इंडिया रेडियो; और

(ग) वह स्टेशन कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी।

(ग) 1972-73 के दौरान।

बासुमति (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

*799. **श्री भगवान दास :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बासुमति" (कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगाली पत्र) के मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने "बासुमति" के एक निदेशक पर जालसाजी का आरोप लगाया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

दूर संचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता

*800. **श्री हिम्मतसिंह का :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ भारत में दूर संचार सुविधाओं के अग्रेतर विस्तार तथा अधुनिकीकरण के लिए धन देने के लिए 550 लाख डालर की सहायता की व्यवस्था करने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको इस सहायता में से वित्त दिया जायेगा; और

(ग) किस रूप में तथा किस देश/किन देशों से ऐसी सहायता प्राप्त की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारयण सिंह): (क) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 275 लाख डालर का और विश्व बैंक ने भी इतनी ही रकम के ऋण की व्यवस्था की है।

(ख) (i) स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करके वास्तविक क्षमता में लगभग 3,25,000 लाइनों के स्वचल उपस्कर और 20,000 लाइनों के करचल उपस्कर की वृद्धि के साथसाथ आवश्यक केबल और उपभोक्ता उपस्कर से लगभग 3,00,000 संस्थापनों की वृद्धि।

(ii) शहरों के बीच लगभग 12,000 वाक् सरणियों और आवश्यक स्विचिंग तथा अन्त्य उपस्कर के साथ लम्बी दूरी के जाल का विस्तार।

(iii) लगभग 5,000 उपभोक्ता संस्थापनो और सम्बद्ध स्विचिंग तथा लम्बी दूरी की सरणियों से टेलेक्स जाल का विस्तार और सार्वजनिक तार सेवा का विस्तार तथा आधुनिकीकरण।

(iv) डाक-तार प्रचालनों की बढ़ती हुई संभावनाओं और जटिलता के अनुरूप प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-कार्य का विस्तार और आधुनिकीकरण।

(ग) सामान संसार भर से प्रतियोगिता के आधार पर टेंडरों से खरीदा जाएगा और इसके लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/विश्व बैंक उपलब्ध करायेंगे।

थोम्पसन प्रैस फरीदाबाद को दिया गया मुद्रण कार्य

*801 **श्री जुगल मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय का कोई संकल्प पास किया है कि फरीदाबाद स्थित ब्रिटिश स्थापित थौम्पसन प्रेस को सरकार का कोई भी काम मुद्रण के लिये न दिया जाये ;

(ख) क्या 1967 और 1968 में थौम्पसन प्रैस डी० ए० वी० पी० की स्वीकृति सूची में था;

(ग) क्या डी० ए० वी० पी० के एक भूतपूर्व प्रधान ने सेवानिवृत्त होने के बाद थौम्पसन प्रेस में नौकरी कर ली थी ;

(घ) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक भूतपूर्व सचिव ने व्यक्तिगत रुचि लेकर तथा सब नियमों को ताक में रख कर इस पर विदेशी प्रेस को बढ़िया पुस्तकों की छपाई का कार्य दिया था ; और

(ङ) क्या सरकार इस आशय का एक विवरण सभा पटल पर रखेगी कि गत तीन वर्षों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एककों द्वारा थौम्पसन प्रेस को कुल कितना काम दिया गया उसे कुल कितने मूल्य का काम दिया गया और वास्तव में उसे कितनी राशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं। प्रेस को मई, 1968 में औद्योगिक विकास विभाग ने यह सूचित किया था कि सरकार को मुद्रण तथा लेखा सामग्री के मुख्य नियंत्रक द्वारा दिये गये छपाई के काम करने या नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी या अन्य इसी प्रकार के संगठनों द्वारा कोई भी और छपाई के काम को लेने में आपत्ति नहीं है।

(ख) जी, हां ।

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के एक भूतपूर्व निदेशक ने जो प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा से निवृत्त हुए, सेवानिवत्ति के तुरन्त बाद थौम्पसन प्रैस में नौकरी करने से पूर्व 2 वर्ष के लिये भारतीय जन सम्पर्क संस्थान में 2 वर्ष तक निदेशक के रूप में काम किया ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अभी तक थाम्पसन प्रेस को केवल चतुर्थ आम चुनाव पुस्तक को छापने का एक काम दिया गया। इस मामले में उस प्रक्रिया का अनुसरण किया गया जो गैर-सरकारी प्रिंटरों को काम देने के लिये निर्धारित की गई है । प्रकाशन की छपाई के खर्चे का 59,000 रुपये अनुमान था और वास्तविक भुगतान 56,152 रुपये 75 पैसे किया गया । इस मन्त्रालय के अन्य किसी भी विभाग ने इस प्रेस में कोई काम नहीं दिया ।

खरीफ की फसल के खाद्यान्नों के मूल्य

*802 **श्री श्रद्धाकर सूपकार : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने 1969-70 के लिये खरीफ की फसल के खाद्यान्नों के न्यनतम यूक्य निर्धारित कर दिये हैं ; और

(ख) मूल्यों का निर्धारग किस आधार पर किया जाता है ?

खाद्य, कृषि समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासहेब पी शिन्दे): (क) सरकार ने 1969-70 मौसम के लिए खरीफ के प्रमुख खाद्यान्नों के न्यनतम मल्य साहाय्य

मूल्यों का निर्धारण कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित मूल्यों को ध्यान में रख कर किया है।

(ख) साहाय्य मूल्य उत्पादक के लिए आश्वासित न्यूनतम मूल्य होने के कारण उसमें न केवल उत्पादन की लागत शामिल होती है बल्कि इससे पर्याप्त प्रोत्साहन सुलभ किए जाते हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से वांछनीय फसली ढांचे को बनाए रखने के लिए तैयार किए गए हैं और उन्नत कृषि तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरक हैं।

गौरक्षा

*803 **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गौ रक्षा के बारे में जगतगरू शंकराचार्य से कोई पत्र मिला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या जगतगुरू ने एक देशव्यापी आन्दोलन शुरू करने की धमकी दी थी और स्वयं सेवकों की भर्ती आरम्भ की जा चुकी है ; और

(ग) सरकार का विचार इस समस्या को सद्भावनापूर्वक और शान्तिपूर्वक किस प्रकार से हल करने का है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासहेब पी शिन्दे (क) जी हां।

(ख) श्री जगदगुरू शंकराचार्य ने अपने 5 अगस्त, 1969 के पत्र में कहा है कि यदि सरकार गाय और उसकी संतति के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये नियम बनाना स्वीकार नहीं करती तो सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति को तीन मास उपरान्त अहिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ करना पड़ेगा। सरकार के पास स्वयंसेवकों की भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार की इच्छा है कि गौ सलाहकार समिति की सलाह से और उन सिफारिशों पर लिये गये सरकार के निर्णयों के आधार पर, इस मामले को सौहार्द और शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाये।

सरकार गौरक्षा महाभियान समिति के सदस्यों से अपील करती है कि वे इस विषय पर जन आन्दोलन प्रारम्भ करने के विषय में सोचने की अपेक्षा समिति के विचार विमर्शों में पुनः सम्मिलित हों।

वनस्पति घी का मूल्य

*804 **श्री अदिचन :**
श्री से० ब० पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी का मूल्य बार-बार बढ़ाया गया है, यदि हां, तो कृषि वर्ष 1968-69 के प्रारम्भ में इसका मूल्य क्या था और उस के बाद समय-समय पर इसमें कितनी वृद्धि की गई;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में वनस्पति का मूल्य लगभग दुगना हो गया है; और

(घ) मूल्यों को गिराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि सममुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) से (घ). सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

[पुस्ताकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1863/69]

भूमि सुधारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पुस्तक

*805 **श्री रवि राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान खाद्य तथा कृषि संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव द्वारा प्रायोजित भूमि सुधार सम्बन्धी पुस्तक के प्रकाशन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस पुस्तक में इस विशेष सिफारिश को पढ़ा है कि भूमि पट्टे और उत्पादन ढांचे के व्यापक सुधारों के अश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण देशों में छोटे किसान, वाहक और भूमिहीन व्यक्तियों की स्थिति बहुत शोचनीय है ; और

(ग) इस पुस्तक के प्रकाशन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राज्यों को आमूल भूमि सुधार कार्यक्रम चलाने की तत्काल सलाह देगी ?

खाद्य, कृषि, सममुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी हां। यह प्रकाशन भूमि सुधार में प्रगति विषयक पांचवीं रिपोर्ट है जो कि खाद्य तथा कृषि संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के 46 वें अधिवेशन के लिये तैयार की है।

(ख) जी हां।

(ग) भूमि सुधार कार्यक्रमों को शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान पहले ही आकर्षित किया जा चुका है।

वन्य पशुओं के लिए अखिल भारतीय सेवा

*806 **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशुओं के लिए एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है, जिसका सुझाव वन्य पशुओं विषयक भारतीय बोर्ड ने 8 जुलाई, 1969 की अपनी बैठक में दिया था ;

(ख) क्या उक्त बोर्ड ने यह अनुरोध भी किया था कि वन खंड पर्यटन अभिकरणों को पट्टे पर दिये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी नहीं, वन्य पशुओं के लिए न कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव है और न भारतीय वन्य प्राणी मण्डल द्वारा 8 जुलाई, 1969 को हुए अपने अधिवेशन में ऐसा कोई सुझाव रक्खा गया है ।

(ख) जी नहीं, उक्त मण्डल ने पर्यटन अभिकरणों को वन खण्ड पट्टे पर देने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Assistance from International Labour Organisation for Solving Unemployment

807. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) whether Government of India had sought assistance from the International Labour Organisation for solving the problem of unemployment in the developing countries; and

(b) if so, the nature of the assistance received by India from the International Labour Organisation?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). The Government of India has not so far sought any assistance from the International Labour Organisation specifically for solving the problem of unemployment. As part of its World Employment Programme the I.L.O. has prepared the Asian Manpower Plan the main object of which is to bring about the highest possible level of productive employment in the countries of the Asian Region. The question of securing suitable assistance from the I.L.O. in the formulation and preparation of employment plans will be considered at the appropriate time.

Effect of New Levy on Chemical fertilisers on the farmers

***808. Shri K .M. Madhukar:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state

(a) whether it is a fact that an atmosphere discontent and fear has developed amongst the farmers due to new levy imposed on Chemical Fertilisers during the current financial year and the farmers are making less use or the fertilisers, thus creating hinderance in the agricultural development;

(b) if so, the measures contemplated by Government for removing discontentment and fear from amongst the farmrs;

(c) whether the Government propose to abolish this new levy on chemicals in the interest of the farmers;

(d) if so, the time by which this levy will be abolished ; and

(e) if not, the reason therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Developmen and Coop (Shri Annasaheb Shinde):(a) No, Sir. Reports of off-take of fertilisers received so far from the State Governments and manufacturers do not show any significant discontent or fear nor any general fall in use of fertilisers. However, fertiliser application for the kharif crop is still proceeding and it is too early to estimate total off-take. The prices of foodgrains are sufficiently remunerative to cover the extra cost to farmers on account of impositin of duty.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) In view of the increasing need for resources to finance development plans of the country, the withdrawal of fertiliser levy is not considered feasible.

बस्तर क्षेत्र के संसाधनों का विकास

*809 **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने आदिवासियों की दशा सुधारने और बस्तर क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान से आकर बसे लोगों या अन्य देशों से स्वदेश लौटे भारतीयों को वहां बसाने के उद्देश्य से बस्तर क्षेत्र के संसाधनों के समेकित विकास के लिये स्ताव भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन प्रस्तावों के क्रियान्वित करने की दिशा में केन्द्रीय सरकार ने क्या कायवाही की है;

(घ) क्या किसी अन्य अधिकारी ने भी इस आशय की सिफारिश की है कि बस्तर ज़िले के संसाधनों के समेकित विकास के लिये एक पृथक विभाग स्थापित किया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने का केन्द्रीय सरकार का इरादा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग) भूतपूर्व वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) तथा भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) नवम्बर, 1964 में दण्डकारण्य गये थे। उपलब्ध सामग्री से उन्हें ज्ञात हुआ कि वहां खनिज तथा वन संसाधनों पर आधारित कुछ उद्योग स्थापित करने की संभावना है। तथापि, विशिष्ट योजनाएं तैयार करने से पूर्व और छान-बीन तथा सर्वेक्षण किये जाने आवश्यक थे।

विशेषज्ञों के दो दलों के, जो कि तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन तथा क्षेत्र की सिंचाई तथा विद्युत संभावनाओं के मूल्यांकन पर लगाये गये थे, सुझाव सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा अध्ययन तथा विचार की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(घ) और (ङ) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण, जो पूर्वी पास्किातान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन तथा, क्षेत्र की आदिम जातियों के हितों की उन्नति का विशष ध्यान रखते हुए, क्षेत्र के समेकित विकास के दोहरे उद्देश्य से गठित किया गया था, अपनी दण्डकारण्य विकास परियोजना के भाग के रूप में, बस्तर ज़िले में अनुमोदित विकास कार्यक्रम के लिये कार्य-भारी है।

इस परियोजना के लिये किसी भी प्राधिकरण द्वारा अन्य प्राधिकरण के स्थापित करने की कोई सिफ़ारिश नहीं की गई है।

अंदमान द्वीप म समुद्र में गेहूं डुबोये जाने का समाचार

*810. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान पूर्ति विभाग द्वारा जमा किया गया गेहूं का भंडार अप्रैल, मई, जन 1969 में समुद्र में डुबो दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना गेहूं डुबोया गया ; और

(ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं और क्या इसके लिये जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां। 20जून, 1969को कुछ गेहूं समुद्र में डुबो दिया गया था।

(ख) 87 बोरे गेहूं [जिनका निवल भार 8,265 किलो था ।

(ग) कलकत्ता में लदान के दौरान डीजल तेल से दूषित हो जाने के कारण यह गेहूं खराब हो गया था । अन्दमान प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है ।

खानों म काम करने वाले मजदूरों में वायुधात्विक रोग

*5099. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों में काम करने वाले मज़दूरों में धूल के कणों के कारण वायु-धात्विक रोग बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले और अन्य खानों में पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार इस व्यावसायिक रोग का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र, धनबाद ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है कि कितनी और किस प्रकार की धूल से यह वायुधात्विक रोग होता है और क्या उसने कुछ वातावरण सम्बन्धी स्थिति का होना भी निश्चित किया है ताकि भारत में खान मजदूर सांस के द्वारा शरीर में धूल के प्रवेश से काम करने के अयोग्य न हों ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) 1961 में 12 कोयला-खानों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि जांच किए गए 950 व्यक्तियों में से 18.8 प्रतिशत व्यक्ति कोयला खनिकों के वायुधात्विक रोग से पीड़ित थे । कोयला खनिकों के वायुधात्विक रोग की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इस समय केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र, धनबाद और चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी राजेन्द्र स्मारक अनुसन्धान संस्थान, पटना द्वारा एक और सवक्षण किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये टेलीविजन कर्मचारी

5100. **श्री नरदेव स्नातक** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रयोग के रूप में टेलीविजन आरम्भ होने के बाद आकाशवाणी के कितने कर्मचारी अब तक विदेशों में टेलीविजन में प्रशिक्षण के लिये भेजे गये हैं और उनकी आयु, योग्यता, पद-श्रेणी आदि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी इस समय टेलीविजन यूनिट में काम कर रहे हैं ; और

(ग) प्रशिक्षण के लिये उनका चयन करने का मुख्य मापदण्ड क्या है और क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि विदेशों में प्रशिक्षण से टलीविजन केन्द्र के कार्यक्रमों तथा कार्य में सुधार हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) 57, एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--864/69]**

(ख) 22, इनके अतिरिक्त, 6 अधिकारी टेलीविजन की आयोजना और विकास के काम से सम्बद्ध हैं ।

(ग) विदेशों में टेलीविजन के प्रशिक्षण के लिये व्यक्तियों का चयन उनकी तकनीकी उपयुक्तता, विशिष्ट क्षत्र में उनको विशेष अनुभव तथा प्रशिक्ष के उपरान्त उनकी इस सेवा के लिये उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि विदेशों में प्रशिक्षण से टेलीविजन की सेवा में सुधार हुआ है ।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन का कार्यकरण

5101. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से जून, 1969 तक की अवधि में कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन का कार्यफल कैसा रहा ;

(ख) क्या यह कल्याण निधि कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार की सहायता से चलाया जा रहा है और क्या स्वयं केन्द्रीय सरकार ने इस संगठन की स्थापना की है ; और

(ग) श्रमिकों के कल्याण के लिये अब तक कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और जनवरी, 1968 से जून, 1969 तक की अवधि में कितना धन खर्च हुआ है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) निधि के कार्यफल के सम्बन्ध में सूचना हर साल श्रम और रोज़गार विभाग तथा कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि की वार्षिक रिपोर्टों में दी जाती है । परन्तु ये रिपोर्टें 1 अप्रैल से शरू और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्षों के बारे में है ।

(ख) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है । यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा त्रिपक्षीय सलाहकार समिति और कोयला-क्षेत्र उप-समिति की सहायता से प्रशासित किया जाता है ।

(ग) चूंकि निधि के लेखे वित्तीय वर्ष के बारे में हैं, इसलिए प्रश्न में निर्दिष्ट विशिष्ट अवधि के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं । 1967–68 के दौरान वास्तव में खर्च की गई धनराशि और वर्ष 1968–69 तथा 1969–70 के लिए निधि के बजट में व्यवस्थित धनराशि नीचे दी गई है :—

1967–68	4,97,94,668	(वास्तविक व्यय)
1968–69	4,99,88,700	(संशोधित प्राक्कलन)
1969–70	5,14,99,000	(बजट प्राक्कलन)

खेतिहर मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना

5102. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतिहर मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनके हितों की रक्षा करने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही की है, जैसे अधिक उपज वाले बीजों के परिणामस्वरूप कृषि आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनके लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) और (ख). इस प्रश्न का विषय मुख्य रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और खेतिहर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और उनके रहन-सहन के स्तर को उन्नत करने की नीति चौथी पंचवर्षीय योजना के अभिलख में दी गई है ।

अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों को काश्त करने के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उत्पादकता बढ़ती है और उसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है । पर आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम से उत्पन्न लाभों से खेतिहर मजदूर भी लाभान्वित होंगे ।

जहां तक कृषि में सांविधिक न्यूनतम मजूरी-दरों को निश्चित करने का प्रश्न है, यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । राज्य सरकारों से समय-समय पर न्यूनतम मजूरियों को निर्धारित संशोधित करने के लिए प्रार्थना की जाती रही है । जहां तक उन कृषि कार्यों का सम्बन्ध है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किये जाते हैं, सांविधिक न्यूनतम मजूरी दरें हाल ही में मई, 1969 में संशोधित की गई । केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मजूरी-दरों का ब्यौरा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3, उप-खण्ड (II), दिनांक 19 मई, 1969 में प्रकाशित किया जा चुका है ।

चिकित्सकों तथा स्कूलों को टेलीफोन देना

5103. श्री तुलसी दास जाधव : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सक और स्कूल टेलीफोन लगवाने के मामले में मुक्त श्रेणी में आते हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में और विशेषकर दक्षिण दिल्ली में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों से टलीफोन लगवाने के लिए चिकित्सकों और स्कूलों के कितने आवेदन विचाराधीन पड़े हैं और उन्हें टेलीफोन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके आवेदनों पर कब तक विचार किया जायेगा और उन्हें टेलीफोन कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) पंजीकृत चिकित्सक और मान्यता प्राप्त स्कूल टेलीफोन की मांग को दर्ज करने के सिलसिले में 'विशेष' श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं और जहां टेलीफोन सलाहकार समितियां मौजूद हैं वहां इन्हें समिति की सिफारिशों पर टेलीफोन देने में प्राथमिकता बरती जाती है तथा दूसरी जगहों में सर्कल अध्यक्ष के स्वविवेक पर टेलीफोन दिये जाते हैं।

(ख) चिकित्सक—908. इनमें से 423 दक्षिणी दिल्ली में हैं।

स्कूल — 68. इनमें से 23 दक्षिणी दिल्ली में हैं।

प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन देने के लिये विभिन्न एक्सचेंजों में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता नहीं है।

(ग) जब भी किसी खास एक्सचेंज के इलाके में क्षमता होती है, विशेष श्रेणी की प्रतीक्षा सूची टेलीफोन सलाहकार समिति के सामने रख दी जाती है। टेलीफोन सलाहकार समिति को यह अधिकार है कि विशेष श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों में से 50 प्रतिशत को बिना बारी के टेलीफोन देने की मंजूरी दे। इसलिए ठीक-ठीक यह कहना सम्भव नहीं है कि 'विशेष श्रेणी' में दर्ज आवेदकों को कब टेलीफोन दिये जायेंगे। दिल्ली में ऐसी प्रतीक्षा सूचियों के आवेदकों को टेलीफोन देने के लिए लगभग उसे 5 वर्ष तक लग जाते हैं।

नई दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शनों की मंजूरी

5104. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** 1 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सब लोगों को इस बीच टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं जिन्हें भूमिगत तार न बिछाए जाने के कारण कनेक्शन नहीं दिये गये थे ;

(ख) क्या भूमिगत तारें बिछाने का काम इस बीच पूरा कर लिया गया है और मांग-पत्र भेज दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो जिनके लिए टेलीफोन कनेक्शन स्वीकार किये गये हैं, उनके यहां कब तक टेलीफोन लग जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). मालवीया नगर में भूमिगत केबुल तार बिछाने का काम पूरा हो चुका है। 44 बकाया आवेदकों में से 10 आवेदकों को टेलीफोन दिये जा चुके हैं और 33 अन्य आवेदकों के नाम मांग-पत्र भेजे जा चुके हैं। एक आवेदक की मांग दूसरे इलाके में स्थानान्तरित कर दी गई है। पैसे की अदायगी हो जाने पर कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

बाग डोगरा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित कृषकों के लिये सिंचाई की सुविधाए

5105. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 3 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5163 क उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) बाग डोगरा हवाई अड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप प्रभावित हुई दार्जिलिंग

जिले की 200 एकड़ भूमि में, जिसमें अब केवल 'सुरक्षा-क्षेत्र' में से होकर पहुंचा जा सकता है, सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के बारे में क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अपेक्षित रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हाल ही में सुरक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार के एक अधिकारी को इस क्षेत्र का दौरा करने तथा यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा सेना के अधिकारियों के सहयोग से एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने की अनुमति प्रदान की है ।

(ख) यदि राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिकूल न समझा गया तो प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सहायकों की वरिष्ठता

5106. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सहायकों के बारे में 7 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 में और उसके बाद स्थायी बनाये गये (विभागीय) सहायकों के नाम क्या हैं और स्थायीकरण की तिथियां क्या हैं;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये उन सहायकों के नाम (उनकी नियुक्ति स्थायीकरण की तिथियों सहित) क्या हैं, जिन्हें भाग (क) में उल्लिखित सहायकों के स्थायीकरण के बाद स्थायी बनाया गया है और उनसे वरिष्ठ दिखाया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि भविष्य में जो सहायक संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये जायेंगे उन्हें इन सहायकों से वरिष्ठ माना जायेगा; और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०/865/69]**

(ग) जी, हां । भविष्य में सीधी भर्ती द्वारा लिये जाने वा ले सहायकों, जो प्रश्न के (क) भाग में उल्लिखित पदोन्नत हुए सहायकों से सीनियर होंगे, की संख्या संलग्न विवरण के कालम 7 में दी हुई है ।

भविष्य में सीधी भर्ती द्वारा लिए जाने वाले सहायकों के पहले ही स्थायी किए गए पदोन्नत सहायकों से सीनियर होने का कारण यह है कि सम्बन्धित नियमों के अनुसार, स्थायी रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा लिए जाने वाले सहायकों और पदोन्नत सहायकों के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार भर्ती होती हैं, और उनकी वरीयता प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित स्थायी रिक्तियों के अनुसार निर्धारित की जाती है न कि उनके स्थायी होने की तारीखों से ।

घरेलू कर्मचारियों के लिये काम करने के घंटे

5107. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में घरेलू कर्मचारियों को दिन में 16 घंटे तक काम करना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार को घरेलू कर्मचारी संगठन से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि उनसे प्रतिदिन आठ घंटे काम लिया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) घरेलू श्रमिक यूनियन, दिल्ली से अप्रैल, 1968 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ग) घरेलू नौकरों को सांविधिक संरक्षण देने और उनकी दशा को सुधारने के तरीके ढूंढने के प्रश्न पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर विचार किया है। परन्तु मुख्यतः इस प्रकार के कानून को लागू करने में कठिनाई और इसके परिणामस्वरूप घरेलू नौकरों की बड़े पैमाने पर छंटनी की संभावना के कारण इस सम्बन्ध में कोई सांविधिक व्यवस्था बनाना सम्भव नहीं हुआ है ।

फसल बीमा योजना

5108. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 31 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच फसल बीमा योजना के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) क्या इस मामले में भारतीय रक्षित बैंक तथा किन्हीं अन्य राज्य सहकारी शिखर बैंकों से परामर्श किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं, कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

नागपुर में सरकारी क्षेत्र की बेकरी

5109 **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में सरकारी क्षेत्र में एक बेकरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब पी शिन्दे): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बाज़ार की सम्भाव्यता / जनसंख्या आदि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आस्ट्रेलिया तथा कनाडा से उपहार रूप में प्राप्त 9 बेकरी संयंत्रों को अन्य नगरों और कस्बों को आवंटित किया गया है ।

राज्य सरकारों द्वारा निष्काम्य सम्पति की बकाया राशि की वसूली

5110. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन कुछ राज्यों को निष्काम्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में बकाया राशि वसूल करने का काम अभिकरण के आधार पर सौंपा गया था उन्होंने उस राशि को वसूल करने में ढील की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पत्तियों का बेचा जाना

111. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अगस्त, 1967 तक जो 9564 सम्पत्तियां बेची जाने के लिये शेष थीं उनमें से 1 अगस्त, 1968 तक केवल 59 सम्पत्तियां बेची जा सकीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) जी नहीं । प्रथम अगस्त, 1967 को विभिन्न प्रदेशों में जिन सम्पत्तियों का निपटान किया जाना शेष था उनकी संख्या 9,468 थी। प्रथम अगस्त, 1967 से प्रथम सितम्बर, 1968 तक, 4853 सम्पत्तियों का निपटान किया गया। तथापि, उक्त अवधि के बीच अलाटियों, खरीदारों द्वारा बकाया मूल्य किश्तों के भुगतान के सम्बन्ध में चूक इत्यादि के कारण 4769 सम्पत्तियां पुनर्ग्रहर्ण कर ली गई थीं । शेष सम्पत्तियों को शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में सभी सम्भव प्रयत्न जारी हैं ।

उर्वरकों की कमी

5112. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा तैयार कीगई रिपोर्ट के अनुसार, अगले दो वर्षों में, देश में 13 लाख टन उर्वरकों की कमी पड़ सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): योजना आयोग के सुझाव पर गठित उर्वरक उद्योग विषयक योजना दल की रिपोर्ट के अनुसार आगामी दो वर्षों के लिए उर्वरक उत्पादन में होने वाली कमी के अनुमान निम्न प्रकार हैं:—

एन और पी$_2$ ओ$_5$ के रूप में कमी

(हजार मीटरी टनों में)

	1969-70	1970-71
एन	1,100	980
पो$_2$ ओ$_5$	460	575

परन्तु इस कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाएगा ताकि कृषकों के लिए उर्वरकों की कमी न रहे ।

केरल में चावल की सप्लाई

5113. **श्री पी० विश्वम्भरन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 के पहले 6 महीनों में केरल को कुल कितना चावल दिया गया और गत वर्ष इसी अवधि में केरल को कितना चावल दिया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1969 के पहले छः महीनों में केरल स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपों को 4.21 लाख मीटरी टन चावल भेजा गया था जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि में 33·7 लाख मीटरी टन चावल भेजा गया था । राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों और केरल सरकार के अन्य नामितों को इन डिपों से सीधे ही चावल दिया जाता है ।

वियतनाम पर राष्ट्रपति निक्सन की 8-सूत्री योजना के बारे में आकाशवाणी से समाचार

5114. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम पर राष्ट्रपति निकसन की 8-सूत्री योजना के बारे में आकाशवाणी से हाल ही में घोषणा की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (नेशनल लाइब्रेशन फ्रन्ट) की 10-सूत्री योजना की घोषणा नहीं की गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, हां । यह आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में आया है ।

(ख) जी नहीं । यह भी समाचार बुलेटिनो में आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Loss in Suratgarh Farm

5115. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of loss being incurred by the agricultural farm in Suratgarh (Rajasthan);

(b) whether it is a fact that the production of the farm is less than even the per acre average of the country; and

(c) whether the Suratgarh farm stands nowhere as compared to Ludhiana (Punjab) and Pant Nagar (Uttar Pradesh) farm; if so, the efforts being made by Government either to improve its condition or to get rid of it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Suratgarh Farm is not running at a loss. Up to the year 1967-68 it made a net profit of Rs. 4·11 lakhs excluding the interest of about 4% paid on the capital invested on the Farm. The profit and loss account for the year 1968-69 is not yet ready.

(b) A statement is laid on the Table of the House giving the All India yields and the Suratgarh yields during the last five years. [Placed in Library. *See* No. LT-1866/69.] It would be observed that the yield at Suratgarh has been higher than the All India average yield in respect of wheat, gram, cotton, rice and bajra. In the case of mustard and sugarcane the yields at Suratgarh have been lower than the All India yields.

(c) A statement is laid on the Table of House giving the yields at Suratgarh and Pant Nagar Farms for the years 1966-67 and 1967-68. [Placed in Library. *See* No. LT-1866/69]. It would be observed that in some cases the yields at Suratgarh are higher than the yields at Pant Nagar while in other cases the yields in Pant Nagar are higher than at Suratgarh. The figures of production of the Farm at Ludhiana of the Punjab Agricultural University are being obtained and a comparative statement of the production at this Farm and at Suratgarh will be placed on the Table of the Lok Sabha later.

Suratgarh Farm has suffered on account of inadequate irrigation supplies and recurrent floods. Steps are being taken to improve the irrigation supplies and to organize a flood control scheme.

Production of Sugar, Khandsari and Gur

5116. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of sugar, khandsari and gur produced during the current season and how these figures compare with the figures for the last year ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : The production of sugar during the year 1968-69 has been 35.22 lakh tonnes upto 15th August, 1969, as against 22.48 lakh tonnes in the year 1967-68. The production of gur including khandsari is estimated at 67.30 lakh tonnes in 1968-69 as against the estimated figure of 63.37 lakh tonnes in 1967-68.

Broadcast regarding complaints of farmers

5117. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of broadcasts of the complaints of farmers relating to tractors, fertilizers, irrigation, insecticides and seeds which were made during the last year after tape-recording them;

(b) whether Government are aware that with the broadcast of Agricultural programmes only in the night excluding the reactions and feelings of farmers and telling only 'dos' and 'don'ts' they feel bored and the broadcasts do not prove to be a success ; and

(c) if so, the action being taken to make the agricultural programme more interesting ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 415 problem-oriented complaints.

(b) No, Sir. Some Stations also broadcast Agricultural programmes in the early morning and afternoon. These include hard core agricultural topics connected with the field operations. This programme is popular with those for whom it is broadcast.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों की मांग

5118. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों की मांग कितनी है; और

(ख) किसानों को ट्रैक्टरों का वितरण करने की प्रणाली क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) अनुमान लगाया गया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधिमें उत्तर प्रदेश को भिन्न प्रकार के 1,25,000 ट्रैक्टरों की आवश्यका होगी ।

(ख) वास्तविक किसानों को ट्रैक्टरों का वितरण "जो पहले आये पहले ले जाये" के आधार पर किया जाता है । स्कूलों और स्थानीय निकायों आदि सरकारी विभागों तथा संस्थाओं की मांग आवंटन के 5 प्रतिशत तक प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाती है । आवंटन का 10 प्रतिशत कोटा सुरक्षा सेना के सदस्यों के लिये नियत होता है ।

मदुरै की टेलीफोन निर्देशिका की छपाई

5119. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें किसी संसद् सदस्य से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि मदुरै की टेलीफोन निर्देशिका में मुद्रण की अधिक गलतियां होने तथा विलम्ब से उसके छपने के कारण टेलीफोन ग्राहकों को बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग म राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । श्री मधु लिमये, संसद्-सदस्य का 3-5-1969 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने 3-5-1969 के दैनिक "हिन्दू" की एक प्रेस कटिंग भेजी है जिसक शीर्षक है "मदुरै के टेलीफोन ग्राहकों पर नये शुल्क का भार ।"

(ख) मामले की जांच करने के बाद श्री मधु लिमये को उत्तर दे दिया गया था कि तमिल नाडु की टेलीफोन निर्देशिका पहले ही प्रकाशित कर दी गई है। सभी सर्किल/टेलीफोन जिलों के अध्यक्षों को कड़ी हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन में विलम्ब न किया जाए। अप्रैल, 1969 की टेलीफोन निर्देशिका मदुरै के ग्राहकों को 20-6-1969 को वितरित कर दी गई थीं।

फैजाबाद में दुग्धशाला

5120. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फैजाबाद में दुग्धशाला की योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा तथा इस सन्यन्त्र की क्षमता कितनी है ;

(ग) इस परियोजना में कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की सम्भावना है; और

(घ) इसका काम कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग). यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है। उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जानकारी प्राप्त हो हीने सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Use of Cow-dung as Fuel

5121 **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agricultur** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that for want of wood in villages the farmers utilise crores of maunds of Cow-dung, which is a very valuable manure, as fuel every year ;

(b) whether Government are considering any scheme to promote the use of soft coke in rural areas with a view to save this manure from misuse ;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes.

(b) There is no scheme under consideration at present.

(c) Does not arise.

(d) The practical difficulty is that fire-wood and cattle dung are available in rural areas free or at a nominal cost whereas commercial fuels such as a soft coke will be costlier and there may be natural resistance for their use by the economically weaker sections of the rural community. With the present cost of soft coke, using this as fuel in the rural house-holds to divert them from using cattle-dung for cookking is not feasible. A better approach is to encourage the use of soft coke in urban areas in replacement of the use of fire-wood and charcoal, so that the availability of fire--wood in rural areas may improve, thus reducing the pressure on the use of cattle-dung as fuel in rural areas resulting in saving it for use as manure.

Sending of Lion instead of a Lioness to Germany for Mating

5122. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a lion considering it to be a lioness was sent from a Zoo in India to a Zoo in Germany for mating but the fact that it was a lion and not a lioness was known after it reached the Zoo in Germany ;

(b) if so, the action taken by Government against the Officer responsible for committing such a mistake ; and

(c) the amount of foreign exchange spent by the Government of India on its transportation to Germany and bringing it back to India ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The requisite information is being collected from the sources concerned and will be laid on the Table of the Sabha, in due course.

Automation in the Department of Communications

5123. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to introduce automation in the Department of Communications ;

(b) if so, whether the number of unemployed persons is likely to increase as a result thereof; and

(c) if so, the reasons for which Government have taken such a decision ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

प्रचार हेतु क्षेत्रीय समन्वय समितियों के कार्यकरण का पुनरीक्षण

5124 श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने प्रचार कार्य हेतु क्षेत्रीय समन्वय समितियों के कार्य संचालन का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) क्या पुनर्विलोकन करते समय राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी साथ लिया गया था;

(ग) इन समितियों के कार्य संचालन के किन पहलुओं का पुनर्विलोकन किया गया है; और

(घ) इस पुनर्विलोकन के निष्कर्ष कब तक उपलब्ध होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं ।

(ख) इन समितियों से राज्य सरकारें सम्बद्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

"वन महोत्सव" की असफलता

5125. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आरम्भ किया गया "वन महोत्सव" देश में बिल्कुल असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में फिर से "वन महोत्सव" अभियान चलाने के बारे में विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस अभियान को पुनः आरम्भ करने के लिये किस क्षेत्र को चुना गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। परन्तु इससें वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ख) इसका मुख्य कारण यह है कि वन महोत्सव के दौरान जो पौधे लगाये गये थे उनकी बाद में देखभाल नहीं की गई ।

(ग), (घ) और (ङ) 1950 से वन महोत्सव सारे देश में मनाया जाता है। अब तक 20 वन महोत्सव मनाये जा चुके हैं। इसलिये इस अभियान को पुनः आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं होता ।

हिसार जिला (हरियाणा) में गाय पालन प्रक्षेत्र

5126. श्री महन्त दिग्विजय नाथः क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिसार जिला (हरियाणा) में हरियाणा गाय की नस्ल सुधारने के लिए एक प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रक्षेत्र विदेशी सहयोग से स्थापित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी है ;

(घ) देश में यह प्रक्षेत्र कब तक मूल हरियाणा नस्ल की गायों का प्रजनन आरम्भ कर देगा; और

(ङ) क्या देश के अन्य भागों में ऐसे प्रक्षेत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और यदि हां, तो ये प्रक्षेत्र कहां स्थापित किए जायगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) हिसार स्थित पशु प्रजनन फार्म सबसे पुराने पशुधन फार्मों में से एक है और वह पहले ही मूल हरियाणा नस्ल के भैंसों, सांडों और गायों का प्रजनन कर रहा है ।

(ङ) राष्ट्रीय महत्व की नस्लों वाले परीक्षित सांडों की उत्पत्ति के लिए छः केन्दीय पशु प्रजनन फार्म योजना आयोग द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं । इनमें से तीन फार्म स्थापित हो चुके हैं । पहला फार्म--सिंधी गाय के लिए चिपलिमा (उड़ीसा) में, दूसरा थारपारकर गाय के लिए सूरतगढ़ (राजस्थान) में और तीसरा सूरती भैंसों के लिए अंकेलेश्वर (गुजरात) में स्थापित किया गया है ।

देश में बनों का काटना

5127. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में अधिक वनों को काटा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो बन संरक्षण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) बन काटने के परिणामस्वरूप बंजर बनी भूमि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में इस प्रकार की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

1951–52 तक निर्मुक्त किए गए कुल 10.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में देश में 1966–67 की अवधि में विभिन्न उद्देश्यों के लिए 1.9 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र छोड़ा गया था । उत्तर प्रदेश में 1951–52 तक निर्मुक्त 106 हजार हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 1965–66 तथा 1966–67 में क्रमशः 56 हजार हैक्टेयर तथा 38 हजार हैक्टेयर क्षेत्र निर्मुक्त किया गया था । यह स्थिति कोई चौंका देने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि देश में कुल वन क्षेत्र 1951–52 में 734.4 लाख हैक्टेयर से बढ़ कर 1966–67 में 753.5 लाख हैक्टेयर हो गया, हालांकि 10.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र नदी घाटी परियोजनाओं, शरणार्थियों के पुनर्वास, खेती आदि के लिए निर्मुक्त किया गया था ।

(ख) "वन" संविधान की सातवीं अनुसूची की राजकीय सूची में शामिल है । परन्तु केन्द्रीय वन मण्डल ने, जिसके अध्यक्ष खाद्य और कृषि मन्त्री ने कई बार यह सिफारिश की है कि वनों के किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोका जाए और भूमि की चकबन्दी, गैर-सरकारी वनों के अधिग्रहण तथा परती भूमि, पंचायत समिति की भूमि, खो-खड वाली भूमि, नहरों के तटों आदि की समस्त उपलब्ध भूमि को वनों में परिणित करके मौजूदा क्षेत्र को निर्धारित प्रतिशत अर्थात् .33 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ।

गत तीन योजना अवधियों की सबसे महत्वपूर्ण योजना वनोरोपण थी । पहली योजनावधि में शुरूआत के तौर पर कुल 1.37 करोड़ रुपए की लागत से 50 हजार एकड़ में वनारोपण किया गया । दूसरी और तीसरी योजनावधि में 23.84 करोड़ रुपए की लागत से 633 हजार हैक्टेयर भूमि में कार्य किया गया था । 1966–67 से 1968–69 तक की अवधि में 19.78 करोड़ रुपए की लागत

से 357,700 हैक्टेयर क्षेत्र में मानव-निर्मित बन लगाये गए थे यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में भी चालू रहेगा ।

(ग) और (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

देश के अन्य भागों में दूध सम्भरण योजना आरम्भ करना

5128. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के अन्य भागों में दुग्ध सम्भरण योजना लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं किन-किन नगरों में लागू की जा रही हैं;

(ग) यह योजना कब आरम्भ की जाएगी;

(घ) अन्य दुग्ध योजना लागू होने से दिल्ली दुग्ध सम्भरण योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार दिल्ली की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यद्यपि सरकारी क्षेत्र में दुग्ध सम्भरण सम्बन्धी अनेक योजनायें स्थापित की जा रही हैं या पूर्ति के निकट हैं, किन्तु दिल्ली दुग्ध योजना के विस्तार के अतिरिक्त देश में अन्यत्र कहीं दुग्ध सम्भरण योजना स्थापित करने के विषय में भारत सरकार की योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ङ) निम्न कदम उठाने का विचार है :—

(1) दिल्ली दुग्ध योजना के अधिप्राप्ति क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है । हरियाणा राज्य में करनाल से 20 मील दूर एक नये अधिप्राप्ति क्षेत्र में काम शुरू किया गया है । उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले और राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों के क्षेत्रों से भी दूध का संग्रहण प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(2) दिल्ली दुग्ध योजना के चार दुग्ध क्षेत्रों अर्थात् जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश), गुड़गांव और करनाल (हरियाणा) और बीकानेर (राजस्थान) में चार सघन पशु विकास परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं ।

(3) दुग्ध सहकारी समितियों को उत्तरोत्तर विकसित किया जा रहा है । इन समितियों के उत्पादक सदस्यों को दुधारू पशुओं के क्रय के लिये ऋण प्रदान किये जाते हैं ।

(4) मेहसाना जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ, महसाना से प्रति दिन लगभग 1,00,000 लीटर दूध की अधिप्राप्ति की व्यवस्था कर ली गई है ।

(5) योजना की केन्द्रीय डेरी का रख-रखाव को अनुकूलतम क्षमता तक विस्तार करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय डेरी की वर्तमान 2,55,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता को प्रथम चरण में 3,00,000 लीटर तक व द्वितीय स्टेज में 4,35,000 लीटर तक बढ़ा दिया जायेगा।

(6) 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक सन्तुलन केन्द्र बीकानेर, राजस्थान में प्रथम चरण में ही स्थापित किया जा रहा है।

(7) दिल्ली दुग्ध योजना को दूध संभरण करने वाले ठेकेदारों से पक्के करार तय किये गये हैं।

(8) ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने हेतु, उनको दी जाने वाली कमीशन की दर में वृद्धि कर दी गई है।

5129. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर भारत में आठ राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों के बीच गेहूं लाने ले जाने पर लगा प्रतिबन्ध हटा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो नई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बढ़ाया गया क्षेत्र सन्तोषजनक कार्य कर रहा है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, हां।

(ख) गेहूं के बड़े उत्तरी क्षेत्र में जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल (राशन वाले क्षेत्रों को छोड़कर) तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ शामिल हैं।

(ग) जी हां।

Sinking of Tube-wells in the Country

5130. **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of tube-wells sunk by Government in the country during the last three years ;

(b) the number of those out of the above which are not functioning and the reasons therefor;

(c) the steps taken so far in this regard and the results achieved thereby ; and

(d) the comparative percentage of idle tube-wells in public and private sectors ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development an Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d) : The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

Report of Labour Welfare Committee

5131. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri K. M. Abraham :
Shri Mohammad Ismail :
Shri Ganesh Ghosh :
Shri Satya Narain Singh :
Shri Shashi Bhushan :
Shri Dhireswar Kalita :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the report of the Labour Welfare Committee, set up in 1966, has since been received :

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes.

(b) Copies of the Report of the Committee on Labour Welfare are available in the Parliament Library. A Summary of the Committee's recommendations is given in Volume III of the Report. Decisions on these recommendations, which had gone to National Commission on Labour, will be taken after the report of the Commission has been received and examined.

(c) Does not arise.

Labour Organisation of Modinagar

5132. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether he has received some complaints regarding the Labour Organisations of Modinagar ;

(b) whether it is a fact that the labourers are not regularised even after they have worked for several years ;

(c) whether it is also a fact that in three labour organisations the labourers are being deprived of the facilities which are normally provided to labourers ; and

(d) if so, the steps taken by Government so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d) : The matter falls in the State sphere. We have no information.

Post Offices during fourth Plan

5133. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri N. Shivappa :
Shri Gadilingana Gowd :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of new Post Offices proposed to be opened during the Fourth Five Year Plan, State-wise ;

(b) whether it is a fact that the means of Communications are still meagre in the rural areas ; and

(c) if so, whether any specific decisions have been taken in this regard in the context of the next plan ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The number of new post offices to be opened during the Fourth five Year Plan has not yet been finalised.

(b) No. The number of post offices in the rural areas of the country on 31-7-69 is 92994 compared to 18121 existing at the time of Independence. Over 90 % of the total number of post offices in the country are in rural areas. At present on the average each post office in rural area serves villages within a radius of 2 miles.

The total number of Telegraph offices and Public Call Offices n the country on 31-3-69 are 10244 and 3011 respectively compared to 3230 and 230 existing at the time of Independence. A major portion of these offices are in the rural areas.

(c) *Postal* : Does not arise in view of reply to part (a).

Telegraph and Telephones : It is proposed to open 2400 Telegraph offices and 2000 long distance Public Call Offices mainly in the rural areas of the country during the Fourth Five Year Plan.

Preparation of Programmes of Current affairs in Hindi

5134. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to prepare the original copy of the programmes relating to Current Affairs broadcast from various stations of All India Radio in Hindi also ; and

(b) if so, the date by which these decisions would be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) This will be done progressively depending on availability of resources.

वन भूमि का विकास

5135. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वन भूमि कितनी है और कुल क्षेत्र की तुलना में इस की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में वन भूमि कितनी-कितनी है और उसमें से कितने प्रतिशत भूमि में खेती की जाती है और कितनी खेती योग्य भूमि परती पड़ी है और कितनी भूमि काश्त के लिए उपयुक्त नहीं है ;

(ग) वनों के विकास की नीति क्या है और इस बारे मे गत तीन वर्षों में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इस समय वनो से प्रति वर्ष कुल कितनी आय होती है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उसमें कितनी वृद्धि होने की आशा है; और

(ङ) क्या वनों के विकास के लिए कोई वैज्ञानिक तरीके अपनाए गये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1966–67 में देश में वनों का क्षेत्र 753.5 लाख हैक्टेयर था और कुल भूमि की तुलना में इसकी प्रतिशतता अनुमानत: 23.1 है।

(ख) वर्ष 1966–67 के लिए पूछी गई जानकारी विवरण 'क' में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1867/69]**

(ग) 'वन' संविधान की सातवीं सूची की स्टेट लिस्ट में सम्मिलित है। फिर भी केन्द्रीय वन मण्डल ने, जिसके खाद्य तथा कृषि मन्त्री अध्यक्ष हैं, समय-समय पर सिफारिश की है। वनों पर होने वाले हर प्रकार के अतिक्रमण को रोका जाना चाहिए और 33 प्रतिशत भूमि की चकबंदी करके, गैर सरकारी वनों को अर्जन करके और बेकार भूमि, पंचायत समिति भूमि, उबड़ खाबड भूमि, नहरी तट जैसी उपलब्ध भूमि को बदल कर 1952 का राष्ट्रीय वन नीति संकल्प में निर्धारित प्रतिशतता के स्तर तक वर्तमान क्षेत्रों को लाया जाना चाहिए।

वनों के हर प्रकार के विकास के लिए आगामी पंचवर्षीय विकास योजनाओं के दौरान कई योजनाएं लागू की गई हैं। वन योजनाओं के लिए विकास कार्यक्रम हर वर्ष अधिक प्रगति कर रहा है।

1966–67 से 1968–69 के दौरान वन विकास योजनाओं के योजनावार वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाला विवरण 'ब' सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1867/69]**

(घ) देश में वनों से प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रु० का कुल राजस्व कर के रूप में प्राप्त होती है। चौथी योजना के अन्त तक राजस्व कर 150 करोड़ रु० तक पहुंच जाने की संभावना है।

(ङ) जी हां।

भारतीय वनों की किस्मों तथा उनकी उत्पादकता को सुधारने के लिए अपनाए गए वैज्ञानिक उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) बहतर तथा अधिक सघन प्रबन्ध तकनीकियों को अपनाना व कार्य करना

(ii) लट्ठे बनाने की आधुनिक तकनीकियों और उपकरणों के प्रयोग से नाकारा हुई समस्त लकड़ी की निकासी।

(iii) संचार संसाधनों में सुधार करना।

(iv) लकड़ी परिवर्तन तकनीक, लकड़ी उपचार तथा परिरक्षण के ढंग को सुधार कर प्रमुख या गौण किस्म के विभिन्न आकार का पूर्णतया तथा आंशिक रूप से उपयोग में लाना।

(v) शीघ्र उगने वाली तथा अन्य सस्ती किस्मों के पौद रोपण को बढ़ाना।

(vi) 3 बड़े वनों को पुनः ठीक करना।

(vii) राष्ट्रीत उद्यानों और वन्य प्रणी अश्रय स्थल आदि का सुधार करना।

डाक तथा तार घर खोलने की नीति

5136. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्बों और गांवों में डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के बारे में सरकार की नीति वही है या उसमें भिन्नता है और उसका आधार क्या है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वर्तमान नीति के अनुसार गांव वालों को ये सुविधाएं प्राप्त करना सम्भव नहीं है और अगले 50 वर्षों में भी गांव वालों को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी जो आज नगरों में प्राप्त हैं ; और

(ग) क्या सरकार अपनी नीति में ऐसा परिवर्तन करेगी कि वह वाणिज्यिक ढांचे पर आधारित न हो कर स्थान विशेष की स्थिति, परिस्थिति और आवश्यकता आदि पर आधारित हो, यदि हां, तो इस सुझाव पर कब विचार किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार की यह नीति है कि शहरी इलाकों के मुकाबले में ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलने में अधिक उदारता बरती जाए। विभाग का यह प्रयास रहा है कि ग्रामीण जनता को ऐसे स्थानों पर आवश्यक डाक सुविधाएं प्रदान की जाएं, जहां वे आसानी से पहुंच सकें, चाहे इसके परिणाम-स्वरूप कुछ घाटा भी क्यों न हो जाए, जो कि विभाग द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति एक-सी है। यद्यपि सामान्यतः ऐसे कार्यालय तभी खोले जाते हैं, जबकि उनके लाभकर होने की आशा हो, फिर भी कम विकसित इलाकों के मामलों में एक ऐसी नीति अपनाई गई है, जिसके अनुसार कुछ वर्गों के अंतर्गत आने वाले स्थानों पर ये सुविधाएं घाटे के आधार पर भी प्रदान की जा सकती हैं, बशर्ते कि वह घाटा विभाग द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हो। मौजूदा नीति किसी स्थान के प्रशासनिक महत्व और दूरसंचार जाल से उसकी दूरी पर आधारित है। कुछ सीमित संख्या में तीर्थ स्थानों, पर्यटन स्थलों, कृषि तथा सिंचाई योजनाओं और औद्योगिक बस्तियों का भी खास खयाल रखा जा रहा है।

(ख) यह सच है कि मौजूदा नीति के अंतर्गत, शहरी इलाकों के स्टेशन नीति की आवश्यकताओं को ज्यादा आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन कनेक्शन लेने वाले अपेक्षाकृत कम व्यक्ति होते हैं, और परियात इतना नहीं होता कि ये प्रायोजनायें कुछ लाभप्रद हो सके।

इतना होते हुए भी मौजूदा नीति के अनुसार स्वतंत्रता-प्राप्ति से लेकर अब तक डाकघरों की संख्या 18,121 से पांच गुना बढ़ा कर 92,994 कर देना संभव हो सका है। इस समय एक ग्रामीण डाकघर औसतन 6 गांवों को जो कि लगभग 12 वर्ग मील के घेरे के भीतर आते हो, डाक सेवाएं प्रदान करता है ।

दूर संचार शाखा में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तारघरों की संख्या 3230 और सार्वजनिक टेलीफोन घरों की 230 थी, जो कि बढ़ कर क्रमश: 10244 और 3011 हो गई है।

(ग) मौजूदा नीति के अंतर्गत भी कम विकसित और पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डाकघरों के मामले में अपेक्षांकृत अधिक सीमा अर्थात् 2,500 रुपये प्रतिवर्ष तक के घाटे की छूट दी जाती है ।

यहां इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाए कि इस समय भी देहातों में डाकघरों पर सरकार को 3 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है ।

जहां तक तार और टेलीफोन की सुविधाओं का संबंध है, देहाती क्षेत्रों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए तारघरों और सार्वजनिक टेलीफोन घरों में से प्रत्येक के मामले में पाँच वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख के घाटे की सीमा निर्धारित की गई है ।

Central Fisheries Corporation

5137. Shri Prem Chand Verma : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Fisheries Corporation is running at a loss and if so, the causes thereof ; and

(b) whether Government would appoint a Committee or an expert to investigate the matter with a view to improve the functioning of the Corporation and if so, the time by which this action would be taken and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. The Central Fisheries Corporation is running at a loss. One of the Corporation's main handicap is that it does not have its own sources of fish supply. It has taken over some reservoirs and these are in the process of being developed. It has to compete in the matter of procurement of fish with the private trade which is well established and has traditional links with supply and distribution centres. The bulk of the fish is procured in competition with the trade.

(b) The Board of Directors of the Corporation had appointed a Committee to review the activities of the Corporation with the following terms of reference :—

(i) To what extent the Corporation has fulfilled the objectives for which it was set up,

(ii) If this Corporation could function as a viable Unit.

(iii) If expenditure could be reduced and income increased.

(iv) If the Corporation was to work mainly as a marketing organisation what was the scope for its expansion and prospect of additional procurement.

The Committee was also asked to examine and report if the activities of the Corporation could be diversified and if so, how this was feasible for an organisation of this type.

The Committee has since submitted a report which is now under examination of the Government.

Working of Central Fisheries Corporation

5138. Shri Prem Chand Verma : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the year-wise details of the working of the Central Fisheries Corporation during the last three years ;

(b) whether any change has taken place in the management of the Corporation during the last three years and if so, the details thereof ;

(c) the names and the salaries of the present Chairman, Managing Director and Secretary respectively ; and

(d) the value of the goods exported by the Corporation during the last three years along with the details ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde): (a) The activities of the Central Fisheries Corporation are mainly the procurement and sale of fish during the years 1965-66 (from 3-12-65 the date of commencing the trading operations), 1966-67 and 1967-68, the Corporation procured and disposed of 431 tonnes, 1441 tonnes and 1108 tonnes of fish respectively. The working results of the Corporation during these three years are as follows :—

	Turnover	Trading Account (Gross profit)	Profit and loss Accounts (Net loss)
	Rs.	Rs.	Rs.
1965-66 .	6,78,018	(—) 26,526	2,08,244
1966-67	25,88,952	3,71,929	5,60,714
1967-68 . . .	36,08,475	2,76,926	12,67,491

The Corporation has also taken over for development the D.V.C. reservoirs in 1965-66 and 13 other reservoirs in Gujarat, West Bengal and U.P. in 1967-68.

(b) According to the provisions of the Articles of Association of the Corporation, the members on the Board of Directors, other than the Chairman and the Managing Director, retire at every Annual General Meeting and a new Board of Directors is constituted. The details of changes are given in the Statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library See* No. LT-1868/69]

(c) The required information is given below :—

(i) There is no salary attached to the post of Chairman which is vacant at present.

(ii) Shri S. Ray is the Managing Director. His salary is Rs. 2346·25 per month.

(iii) The name of the present Secretary is Shri A. K. Sinha. His salary is Rs. 1888·20 per month.

(d) The Corparation has not exported any goods so far.

सहकारी खेती

5139. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के प्रारूप में इस विवरण को देखते हुए कि सहकारी खेती से कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है सरकार उसी प्रकार एक औसत से अधिक उत्पादन के लिए कर समंजन प्रमाण पत्रों जैसे प्रोत्साहन क्यों नहीं देती जैसे कि उद्योगों में दिए जाते हैं तथा जिनका केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार को देय राशि के लिए भुगतान किया जा सकेगा ;

(ख) सहकारी आन्दोलन को लोकतंत्रीय बनाने की अवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इस को देश के कमजोर वर्ग में लागू करने के लिए इस संबंध में नियमों तथा प्रक्रियाओं में कब और कैसे परिवर्तन किये जायेंगे ;

(ग) प्रतिवेदन में जब यह लिखा है कि समय पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि वर्ष 1960--61 में 20 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 1967-68 में 33 प्रतिशत हो गई है और इसलिए समितियों की संख्या को 2,12,000 से घटा कर 1,20,000 कर देना चाहिए, क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है जिससे इस प्रकार की हानियों से बचा जा सके क्योंकि इनका बोझा अन्ततोगत्वा करदाता पर पड़ता है ; और

(घ) समयपश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि की प्रस्ताविक कटौती करते हुए ऐसी क्या कायवाही की जायेगी जिससे यह प्रभाव नहीं पैदा हो कि इससे धन राशि का भुगतान न करने वालों को लाभ होता है जिससे समय पश्चात् भुगतान करने की समस्या अधिक बढ़ जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सहकारी खेती समितियों को उनके ऋण के कारोबार, आदानों के संभरण, घरेलू उद्योगों तथा अपने सदस्यों की कृषि उपज के विपणन और विद्युत शक्ति की सहायता के बिना अपने सदस्यों की कृषि उपज के विधायन से होने वाले लाभों में आयकर से पहले ही छूट है । अत : सहकारी खेती समितियों के लिए कर प्रोत्साहन की व्यवस्था करना उपयुक्त नहीं हो सकता है । चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्तमान निष्क्रिय तथा कमजोर खेती समितियों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया है । नई समितियां केवल सुसम्बद्ध क्षेत्रों में और यदि उनके विकास के लिए सम्भाव्यता हो तो गठित की जाएगी ।

(ख) इस बात के लिए प्रयत्न आरम्भ किए जा चुके हैं कि सहकारी समितियों की ऋण देने की प्रक्रियाओं का बल परिसम्पत्ति -बन्धन से हटा कर उत्पादन संभाव्यता पर दिया जाए, ताकि कमज़ोर वर्गों के लिए धनराशि का सुगम तथा पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके । कृषि ऋण सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी उपदान से विशेष अप्राप्य ऋण संचिति का निर्माण करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर छोटे किसानों को सहायता देने के लिए एक विशेष योजना भी तैयार की जा रही है ।

(ग) अतिदेय केवल यह बताते हैं कि ऋण नियत तारीख पर नहीं लौटाए गए; वे अप्राप्य ऋण नहीं है । अतिदेयों को कम करने के लिए, वसूली तंत्र को कसा जा रहा है और जहां-कहीं आवश्यक है, अतिरिक्त वसूली अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप रहने वाले बकायों से उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने की एक योजना भी शुरू की गई है ।

(घ) राशि न लौटाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये ये कदम उठाने का विचार है जैसे राशि न लौटाने वाले व्यक्तियों को पुनः ऋण न देना और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना ।

Assistance for sinking tube wells in Southern Rajasthan

5140. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no assistance is being given by the Central Government to the farmers by supplying them the machines required for sinking the tube-wells, though some farmers of the southern areas of Rajasthan are willing to sink tube-wells at their own expenses ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to set up some exploratory tubewells with the help of their rig machine ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b). Irrigation being a State subject, the Central Government does not provide any direct assistance to the farmers. The Rajasthan Government has a State Groundwater Board which is equipped with 33 power rigs to carry our drilling work on behalf of the cultivators on "no-loss no profit" basis. Such farmers are as are eager to avail of the services of this organisation can apply to the Chief Groundwater Engineer, Rajasthan Groundwater Board, Jodhpur. On receipt of such applications, the Board will carry out feasibility studies regarding groundwater availability in the region, where tube-wells are required and if the construction of the tube-wells considered feasible in the area the workwill be taken up by the Organisation on payment according to the rules.

(c) Groundwater exploration studies are being carried out in the State by three agencies viz., the Rajasthan Groundwater Board, G.S.I., and the E.T.O. of this Ministry. The E.T.O. is expected to drill 75 exploratory wells in various parts of the State during the 4th Plan. A special project for assessing the groundwater potential of specific areas of Jalore and Jaisalmer districts is under implementation by the E.T.O. with the technical and financial assistance of the United Nations Development Programme (Special Fund). 21 exploratory holes are expected to be drilled under the project.

Procurement of Foodgrains in Rajasthan

5141. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the enquiry into the charges of corruption in the procurement of foodgrains in Rajasthan against the employees of the Food Corporation of India and certain businessmen, who had colluded with them, has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The findings of the Central Bureau of Investigation, who were entrusted with the enquiry, do not substantiate the charges of corruption and collusion with private traders against the employee concerned. Charges of non-maintenance of record and non-submission of returns,

however, have been established against him. The C.B.I. has recommended institution of departmental proceedings against the employee and black listing of private parties concerned. Suitable action is being taken accordingly.

(c) Does not arise.

भूमिगत जल के प्रयोग पर विचार करने वाली समिति

5142. **श्री समरगुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कम गहरे नलकूपों द्वारा भूमिगत जल के अत्याधिक प्रयोग के कारण सिंचाई के लिये पानी की कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) मालूम हुआ है कि गुजरात के महसाना, आन्ध्रप्रदेश के चित्तूर और तमिलनाडु के कोयम्बटूर तथा चिग्लेपुट जिले के सीमित भागों में भूगत जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण वर्तमान कुओं में पानी की कमी हो गई है । देश के अधिकांश भागों में भूगत जल के बढ़ते हुए विकास को देखते हुए यह अनुभव किया गया है कि पम्पों द्वारा अत्यधिक पानी के निकास के कारण कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है । अनियंत्रित विकास के कारण कुछ भागों में अच्छी किस्म के पानी में क्षारीय जल की मिलावट हो सकती है या भूमिगत जल से मिट्टी क्षारीय हो सकती है ।

(ख) से (घ). लघु सिंचाई के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए इस मामले पर केन्द्रीय कार्यकारी दल द्वारा विचार किया गया था । कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि सुरक्षित तरीकों से भूगत जल के निष्कासन को नियंत्रित करने की दृष्टि से राज्यों को यथासम्भव उपयुक्त भूगत जल कानून बनाने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । यह विचार किया गया कि भूगत जल के अधिकारों को कानून द्वारा निश्चित किया जायेगा और उन समस्यापूर्ण क्षेत्रों में जो प्रस्तावित अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किये जा सकते हैं, भूगत जल के निष्कासन को नियमित तथा नियन्त्रित करने के लिए उपाय शुरू करायेगा । इस मंत्रालय द्वारा कार्यकारी दल की सिफारिश राज्य सरकारों के सामने रखी गई थीं । मई, 1969 में हुए राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया था । उस सम्मेलन में सब का मत यह था कि अब समय आ गया है जब भूगत जल के विकास को नियमित करने और नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपायों की आवश्यकता होगी । फिर भी यह माना गया कि ऐसे कानूनी उपायों को कार्यान्वित करने से पहले वैज्ञानिक ढंग से भूगत जल का अन्वेषण करना अनिवार्य होगा । इस सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन के लिए एक माडल बिल का प्रारूप तैयार करना चाहिए । इस माडल बिल का प्रारूप तयार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक कार्यकारी दल नियुक्त कर दिया गया है ।

Telephone arrangements in Gorakhpur

5143. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the Telephone arrangements in Gorakhpur city as indicated in a news-item appearing in 'Aaj' dated the 26th May, 1969; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) (i) Action has been taken to replace copper wire by aluminium wire to reduce theft cases on the trunk line, thereby increasing efficiency of trunk circuits.

(ii) Supervision has been tightened and staff has been instructed to be courteous towards the subscribers. Action is also taken against the staff if irresponsibility can be proved on investigation.

(iii) Remedial measures have been taken to prevent prolonged interruptions on telep h o ne

Defects in Hindi Teleprinters

5144. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased state :

(a) whether Government have received any complaints regarding defects in the Hindi Teleprinters manufactured in Madras ; and

(b) if so, the action taken in regard thereto and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): Yes, complaints were received and a manufacturing defect was detected in the first batch of Hindi Teleprinter machines manufactured at M/s—iHndustan Teleprinters, Madras.

(b) An engineer from Messrs. Hindustan Teleprinters Ltd., was sent to investigate The defective teleprinters were attended to. Subsequent to this, there have bee no complaints from the users.

Roman Devnagari Teleprinters

5145. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of General Post Offices all over India where the arrangements of Roman and Devnagari Teleprinters have been provided ; and

(b) the total number of Devnagari Teleprinters used since their manufacture in India ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

(a) Telegraph Offices where teleprinter machines in Roman Script are in use 580

Teleprinter machines in Devnagari Script in use 68

(b) 384 Devnagari teleprinters have been purchased from HTL and are used in Departmental Telegraph Offices, Training Centres, Telex Exchanges and circuits leased to Private parties and press Agencies.

उर्वरकों के सम्बन्ध में अमरीकी जहाजों द्वारा अधिक भाड़ा लिया जाना

5146. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को उर्वरकों के पोत-लदान के लिए प्रयोग में लाये गये अमरीकी जहाजों का भाड़ा-दर गैर-अमरीकी जहाज़ों से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-अमरीकी जहाज़ों द्वारा उर्वरकों को आयात न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब) शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) उर्वरकों के क्रय के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त सहायता की शर्तों के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत आसातित उर्वरक अमरीकी जहाज़ों द्वारा और शेष गैर-अमरीकी फ्लैग (गैर-अमरीकी) जहाज़ों द्वारा लाना पड़ता है।

Publication of Daily 'Patriot' and 'Link'

5147. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of copies of the daily 'Patriot' weekly Hindi Patriot and Link (English) owned by Messrs Raisina Publications Limited, Link House, Delhi, published daily and weekly after 1967 ;

(b) the number of the papers and the periodicals of the concern sent to the foreign countries and the names of those countries ; and

(c) the names of the countries in which the representatives of the above mentioned concern have been deputed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The Raisina Publications Limited are bringing out PATRIOT' English daily, and PATRIOT Saptahik (Hindi) and the United India Periodicals Private Limited are publishing LINK, English Weekly, from New Delhi. The circulation of these newspapers during 1967-68 and 1968-69 is given below :—

	Average circulation	
	1967-68	1968-69
PATRIOT, English daily	30,743	52,836
PATRIOT Saptahik (Hindi)	*15,000	11,328
LINK, English weekly	13,035	11,938

*PATRIOT Saptahik Hindi commenced publication on 14-3-1968.

(b) A statement is Laid on the Table of the House. (Placed in Library. *See* No. LT-1869/69].

(c) The Raisina Publications Limited have representatives in U.K., U.S.A., and U.S.S.R.

News Agencies for All India Radio

5148. SHRI MOLAHU PRASHAD:
SHRI GANGA REDDY:

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications be pleased to** state:

(a) the names of the private agencies from which All India Radio collects the news;

(b) the amount paid to the P.T.I. and the U.N.I. against this item from 1965 upto date;

(c) whether the All India Radio purchases news from some Hindi News agencies also; and

(d) if so, the materials purchased from the Hindi News agencies from 1965 upto date and the amount paid therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral):

(a) 1. Press Trust of India
2. United News of India
3. Hindustan Samachar
4. Samachar Bharati
5. Associated News Service, Andhra Pradesh (for Regional News Unit at Hyderabad).

(b) The total amount of subscription paid, excluding rental for hiring teleprinters, was as follows:

1. Press Trust of India (from 1st January 1965 to June 1969) Rs. 58,29,270·00
2. United News of India (from 1st January 1965 to June 1969) Rs. 16,25,492.00

(c) Yes Sir, The News agencies are:

1. Hindustan Samachar and
2. Samachar Bharati.

(d) On an average, Samachar Bharati supplies about 800 news stories in a month. The number goes upto 1000 stories per month during the sessions of Parliament Hindustan Samachar files on an average about 1000 stories a month. The amounts paid to them are as follows;-

Hindustan Samachar

(All India Radio started taking the service from the 1st July, 1968. Payments made from 1-7-68 to June, 1969). Rs. 66,924.00

Samachar Bharati

(All India Radio started taking the service from the 1st July 1968. Payments made from 1-7-68 to 30-6-69). Rs. 49,992.00

Raisina Publications Limited

5149. SHRI MOLAHU PRASAD: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the foreign embassies and missions in India whose printing and publication.

work was undertaken by the United India Press Ltd., Delhi during the year 1967, 1968 and 1969 which is run under the ownership of the Raisina Publications, Link House, New Delhi.

(b) the total amounts paid to the said concern by the Consulates General of USSR, Arab League and Democratic Germany under the head printing ;

(c) whether it is a fact that some machines of the United India Press were imported from U.S.S.R. ;

(d) if so, when and the price thereof ; and

(e) whether payment of the machines has been made or not ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) and (b) The Government has no information in this regard as there is no restriction on the Indian printing presses undertaking work for foreign embassies and missions ; nor are such transactions required to be reported to the Government.

(c) and (d) Yes, Sir. The under-mentioned machines were imported from the U.S.S.R. by the United India Press :

Type of Machine	Price	Year
(i) One newspaper rotary through the State Trading Corporation of India, Limited	Rs. 6,65,000	1961
(ii) One Lino-composing machine against Actual Users' licence .	Rs. 70,000	1964
(iii) Two lino-composing and slug casting machines, against Actual User's licence, obtained from the USSR Trade Representation in India, which had been earlier imported by them for Exhibition purposes	Rs. 1,42,947	1966

(e) The statistics of utilization of licences or the details of payment made against the articles imported thereunder are not available.

Sugar requirement of Madhya Pradesh

5150. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the extent to which sugar requirements of Madhya Pradesh were actually met by the Central Government during the last three years , year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde) : During the years 1965-66 and 1966-67 there was complete control over price and distribution of sugar. The available quantity of sugar was distributed to the States on the established basis. In 1967-68 the policy of partial decontrol was enforced. Only 60% of the production of sugar in the factories was requisitioned as levy and distributed in monthly quotas to the States including Madhya Pradesh. The Policy of partial decontrol is being continued for the current year 1968-69 also with an increase in the levy procurement rate from 60% to 70%. In April, 1969, the Madhya Pradesh Government had requested for increase in their monthly quota of sugar by 1700 tonnes *i.e.* from 7687 tonnes to 9387 tonnes. The monthly quota of Madhya Pradesh was increased by 1850 tonnes *i.e.* from 7687 tonnes to 9537 tonnes from May-June, 1969 period. Thus the request of Madhya Pradesh Government for an increase of 1700 tonnes in their quota was more than met.

The following quantities of sugar were allotted to Madhya Pradesh during the last three years and the current year 1968-69 :—

	Tonnes
1965-66 s	1,69,875
1966-67	1,37,490
1967-68	75,319
1968-69 (upto Aug., 69).	85,487

Food-stuffs Supplied to Madhya Pradesh

5151. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat and other food-stuffs supplied to Madhya Pradesh during 1967-68 out of the wheat and food-stuffs received as gift from America ; and

(b) the quantity out of it distributed by the Madhya Pradesh Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a). The following quantities of wheat and other food-stuffs received from the U.S.A. under Indo-CARE Agreement of 1950 and Indo-US Agreement of 1951 were supplied to Madhya Pradesh during 1967-68 :—

Commodity	Indo-CARE Agreement (M.T.)	Indo-US Agreement (M.T.)	Total (M.T.)
Wheat (including Bulgar wheat and Rolled wheat) .	10,353·7	1o,494·8	20,848·5
Milk Powder .	1,113·5	365·0	1,478·5
Salad Oil	5,036·9	857·9	5,894·8
Blended Food	..	46·8	46·8
Corn Meal	2·0	478·8	480·8
Peas Beans . .	..	56·1	56·1
Milo . . .	1,000·0	2,016·6	3,016·6
Wheat Flour .	147·7	55·4	203·1
C.S.M. .	9,171·1	..	9,171·1
TOTAL	26,824·9	14,371·4	41,196·3

(b). The quantities imported under Indo-US Agreement were supplied direct to approved Relief Agencies for distribution in terms of the Agreement. The commodities under the Indo-CARE Agreement were distributed by the State Government.

Payment of Bonus in Central Government Industrial Undertakings in Indore Division of Madhya Pradesh

5152. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Central Government industrial undertakings in the Indore Divisinon,

(Madhya Pradesh) which had paid bonus to their employees and workers during 1967-68;

(b) the total amount of bonus paid to the employees;

(c) the number and names of the undertakings in the public sector which have not paid the above bonus; and

(d) the steps Government propose to ensure the payment of the bonus to the employees?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) There is no Central Public Sector Undertaking in Indore Division falling within the purview of the Payment of Bonus Act, 1965.

(b) to (d) Does not arise.

Allotment of Wheat, Rice and Sugar to Madhya Pradesh

5153. Shri G.C. Dixit: Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh Government recently requested the Central Government to allot increased quantity of wheat, rice and sugar; and

(b) if so, the quantity likely to be allotted?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde): (a) Madhya Pradesh Government requested for allotment of increased quantities of wheat and sugar but *not* rice. Madhya Pradesh is surplus in rice.

(b) The wheat quota of Madhya Pradesh was increased from 5,603 tonnes to 10,603 tonnes for June, 1969 on their request. For July, 1969 a further increased quota of 15,603 tonnes was allotted. Quota allotted for August and September, 1969 is 10,603 tonnes per month. Further allotments will depend on relative needs of Madhya Pradesh and other States and the availability with the Centre.

The monthly levy sugar quota of Madhya Pradesh has been increased by 1,850 tonnes from 7,687 tonnes to 9,537 tonnes from May-June, 1969 period as against an increase of 1,700 tones tonnes asked for by the State Government.

Requirements and Supply of Tractors in Madhya Pradesh

5154. Shri G.C. Dixit: Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the annual requirements of tractors of Madhya Pradesh and the number of tractors supplied to them during 1968 and upto March, 1969;

(b) whether these were supplied through the Government agencies or private agencies; and

(c) whether the State Government has asked for allotting more tractors during 1969?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde): (a) The requirements of imported tractors in Madhya Pradesh as reported by State Government during 1968-69 was 1360 Nos. Against this, an allotment of 775 imported tractors was made to the State.

(b) These tractors were allotted through the Government agencies.

(c) Yes, Sir, The requirement of tractors for 1969-70 as intimated by the State Agro-

Industries Corporation is 2,400 tractors. The allotment of tractors to various States including Madhya Pradesh will be made after the import programme for the current years is finalised.

दिल्ली स्कूल-अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति

5155. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति लि० के पदधारियों तथा सदस्यों के नाम तथा पते क्या हैं तथा इसके कार्यालय कहां पर स्थित हैं; और

(ख) क्या समिति द्वारा इसके सदस्यों को शेयर सार्टिफिकेट दिये गये हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) और (ख). पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली ने बम्बई सहकारी समिति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस समिति के कार्यकरण के बारे मे विशेष जांच करने का आदेश दिया था। जांच चल रही है। वांछित जानकारी जांच पूरी होने पर उपलब्ध हो सकेगी।

स्वर्गीय श्री ऊधम सिंह पर फिल्म

5156. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन में व्यापार कर रहे कुछ भारतीय प्रवासियों ने लन्दन में फिल्म कम्पनी बनाने का निर्णय किया है तथा उनकी पहली फिल्म स्वर्गीय श्री ऊधम सिंह के सम्बन्ध में होगी जिन्होंने सर माइकेल ओ डायर को जो 1919 में पंजाब का गवर्नर था गोली मारी थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भावी निर्माताओं ने भारत सरकार से कोई वित्तीय अथवा अन्य की सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो उनके अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने स्क्रिप्ट नहीं देखी है अत: कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठते।

औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में कमी

5157. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक श्रमिकों की संख्या मे सतत कमी आती रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष यह कमी कितनी थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमिक विवादों के आंकड़े

5158. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 में उद्योगवार कितने श्रमिक विवाद दायर किये गये; और

(ख) उक्त अवधि मे ऐसे कितने विवादों को निबटा दिया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1870/69]**

Total Number of Telephones

5159. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of telephones installed in the private sector and in the public sector in the country at present ; and

(b) the number of persons and offices whose applications for telephones are under consideration and the action proposed to be taken by Government to provide them telephones ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

(b) The total number of applicants on the Waiting Lists as on 31-3-69 was approximately 4·6 lakhs. Steps are being taken to provide telephones to these applicants by expanding the systems.

Imported tractors allotted to Madhya Pradesh

5160. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tractors given to Madhya Pradesh out of those imported from U.S.S.R. and other countries during the financial years 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the number of tractors proposed to be given to Madhya Pradesh during the financial year 1969-70 ; and

(c) the number of tractors demanded by the Madhya Pradesh Government from the Central Government for the development of agriculture in the State and the action proposed to be taken by the Central Government in regard to the supply of these tractors to them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde) : (a) 775 tractors out of those imported from USSR and other countries during the financial years 67-68 and 68-69 were allotted to Madhya Pradesh. The details are as under :

	Nos.
Zetor-2011	400
DT-14B	300
Byelarus	75
	775

(b) and (c). The State Government has asked for 2,400 tractors this year. They have intimated their Fourth Five Year Plan requirements to be 8,500. The State Government's requirements of tractors would no doubt be met to some extent by indigenous production. The Government is also considering import of additional tractors which will at least partially meet the rest of the requirements keeping in view the tight foreign exchange position.

Violation of Milk Products Control Order, 1969

5161. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons against whom action was taken by Government for violating the Milk Products Control Order, 1969 enforced in the urban area of Delhi during 1969; and

(b) the number of persons prosecuted in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Three.

(b) All the three persons were prosecuted. Of these, one has been convicted and the cases against the remaining two are still pending in the courts.

विदेशों से भारत को उर्वरकों के उपहार

5162. श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने 1 जनवरी, 1969 से 30 जून, 1969 तक भारत को उपहार स्वरूप उर्वरक प्रदान किये, भारत को कुल कितनी मात्रा में उर्वरक प्रदान किये गये और भारत ने कितनी मात्रा में विदेशों से उर्वरक खरीदे;

(ख) उनकी कीमत क्या है; और

(ग) विदेशों से उपहार स्वरूप प्राप्त उर्वरकों को राज्यवार बेचने से वर्ष 1967 और 1968 में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखे गये अनुबन्ध 1 तथा 2 में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1871/69]**

पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाना

5163. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग और इसके कार्यालयों में 30 जून, 1969 को राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) निम्न पदों पर स्थायी हुए कर्मचारियों की और पूर्ण अस्थायी कर्मचारियों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है जिन्होंने 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से 10 वर्ष, 10 वर्ष से 15 वर्ष और 15 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि की सेवा पूरी कर ली है, और

(घ) उनको अभी तक अस्थायी बनाये रखने के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, और मैसूर में भूमि संरक्षण कार्य

5164. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–67, 1967–68 और 1968–69 में मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर राज्यों में भूमि संरक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया था ; और

(ख) उक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिये राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उस पर वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया और उसके उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख). जी हां। मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और अन्य राज्यों के भूमि संरक्षण कार्यक्रम दो श्रेणियों (राज्य क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं) के अन्तर्गत आते

हैं । इन दो श्रेणियों के लिये नियतित और वास्तव में व्यय की गई राशियों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

		राज्य क्षेत्र		केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र		कुल	
राज्य	वर्ष	नियतित राशि	व्यय	नियतित राशि	व्यय	नियतित राशि	व्यय
मध्य प्रदेश	1966-67	198.00	219.16	48.50	44.94	246.50	264.10
	1967-68	200.00	265.03	52.00	52.03	252.00	317.06
	1968-69	250.00	292.47	50.50	50.60	300.50	343.07
आन्ध्र प्रदेश	1966-67	81.00	57.93	13.00	15.38	94.00	73.31
	67-68	61.00	57.49	15.00	14.73	76.00	72.22
	68-69	45.00	45.00	14.00	13.94	59.00	58.94
मैसूर	1966-67	100.00	173.00	10.00	0.76	110.00	186.18
	67-68	100.00	100.96	7.00	6.46	107.00	107.42
	68-69	84.00	110.00	13.35	13.47	97.35	123.47

सूखे और अभाव की परिस्थितियों के कारण मैसूर और मध्य प्रदेश के भूमि संरक्षण कार्यक्रम के लिये राजकीय योजना क्षेत्र में अतिरिक्त राशि बढ़ाई जानी थी । अतिरिक्त निधि ग्राम्य जन शक्ति निधि, आदिवासी खंड विकास और सूखा–राहत निधि आदि अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई । संगठन और बजट संसाधनों की कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश सरकार 1966-67 और 1967-68 में नियतित राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकी ।

निर्यात की जाने वाली भारतीय फिल्म "संगम" का पृथक रूप

5165. **श्री बाबू राव पटेल**: क्या **सूचना और प्रसारण** तथा **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात के लिये बनाई जाने वाली बहुत सी भारतीय फिल्मों का स्वरूप फिल्म सैंसर बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये उस स्वरूप से भिन्न होता है जिसका भारत में प्रदर्शन किया जाता है ;

(ख) क्या निर्यात के लिये बनाई जाने वाली भारतीय फिल्मोंकी परीक्षा करना अनिवार्य है ;

(ग) क्या यह सच है कि आर० के० फिल्म द्वारा निर्मित निर्यात के लिये बनाई गई भारतीय फिल्म 'संगम" में राज कपूर तथा वैजन्तीमाला को परस्पर 113 बार वासनामय चुम्बन करते हुए दिखाया गया है तथा उसमें शयनकक्ष के दृश्यों में बहुत से अर्धनग्न तथा कामुकतापूर्ण दृश्य दिखाये गये हैं ;

(घ) भारत सरकार ने हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का फिल्मों के माध्यम से इतना विकृत, असत्य और कुरूप चित्र प्रस्तुत करने की अनुमति क्यों दी है ; और

(ङ) क्या कारण है कि सरकार विदेशों में हमारी संस्कृति का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करने में रुचि नहीं रख रही है तथा निर्यात की जाने वाली फिल्मों की दृढ़ता से परीक्षा नहीं करती ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ङ). सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड केवल भारत में दिखाई जाने वाली फिल्मों को स्वीकृति प्रदान करता है । फिल्मों के वे प्रिन्ट जो केवल विदेशों में दिखाने के लिये होते हैं, बोर्ड पास नहीं करता । सी कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत किसी फिल्म को निर्यात करने की आज्ञा पोर्ट प्राधिकारी उन सलाहकार बोर्डों की सिफारिश पर देते हैं जो इस उद्देश्य के लिये नामजद किये जाते हैं । वे फिल्में जो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के द्वारा भारत में दिखाने के लिये पास कर दी जाती है उनके बारे में यह समझ लिया जाता है कि उनको बिना और जांच किये विदेशों में निर्यात के लिये सलाहकार बोर्ड की सिफारिश प्राप्त हो गई है । 'संगम' इसी प्रकार की फिल्मों में से एक फिल्म है ।

मुस्लिम धार्मिक सम्पत्ति

5166. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने उन मुस्लिम धार्मिक सम्पत्तियों से कितनी धनराशि वसूल की जो कि ट्रस्टियों के पाकिस्तान चले जाने पर निष्क्रांत सम्पत्ति के अभिरक्षक ने ले ली थीं या जो कि अभिरक्षक ने ले ली थीं परन्तु किसी ट्रस्टी या भारतीय मुस्लिम के अभ्यावेदन पर अभिरक्षक ने मुक्त कर दी थीं ;

(ख) क्या प्राप्त हुई धनराशि सरकार के पास है या किसी मुस्लिम संगठन के बैंक में जमा हैं ; और

(ग) सरकार को ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई और मुस्लिम संगठन को कितनी धनराशि हस्तान्तरित की गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों में उन मुस्लिम धार्मिक सम्पत्तियों से कोई धनराशि वसूल नहीं की है जिनका कब्जा न्यासियों के पाकिस्तान चले जाने पर निश्क्रान्त सम्पत्ति के अभिरक्षक ने ले लिया था या जिनको अभिरक्षक ने लिया था परन्तु किसी भी न्यासी या भारत में रह रहे मुसलमान के अभ्यावेदन पर अभिरक्षक ने छोड़ दिया था ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य सलाहकार परिषद्

5167. श्री एन० शिवप्पा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य नीति के बारे में विभिन्न हितों की सलाह प्राप्त करने के लिये खाद्य सलाहकार परिषद् की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो सलाहकार परिषद् के कौन कौन सदस्य हैं और इस में किन किन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व होगा ; और

(ग) परिषद् के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) सलाहकार परिषद् में सदस्य सचिव तथा 18 गैर सरकारी सदस्यों सहित अध्यक्ष, उप–अध्यक्ष तथा अन्य आठ सरकारी सदस्य होते हैं । यह उत्पादकों, खाद्यान्न व्यापारियों, उपभोक्ताओं सहकारी समितियों तथा अन्य के हितों का प्रतिनिधित्व करती है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1872/69)**

अनाज के मूल्यों का कम करना और उनकी सीधी खरीद

5168. श्री एन० शिवप्पा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के खाद्य निगम का विचार किसानों से सीधे अनाज खरीद कर अनाज के दाम कम करने और क्रय तथा विक्रय मूल्य के अन्तर को कम करने का है ; और

(ख) क्या निगम का विचार बिचौलियों को समाप्त कर किसानों से सीधे अनाज को प्राप्त करने के लिये मंडियों में दुकानें खोलने और उनको पूरा शीघ्र भुगतान करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्न की अधिप्राप्ति और उसका निर्गम करता है । खाद्यान्न की अधिप्राप्ति भण्डारण तथा वितरण आदि से सम्बन्धित खर्चों की पूर्ति के लिये निगम को प्रासंगिक खर्चों की अनुमति दी जाती है तथा उन्हें किसी लाभ की मात्रा की कोई अनुमति नहीं दी जाती है । सरकार इन खर्चों की सूक्षमता से जांच करती है और केवल कम से कम खर्चों की अनुमति दी जाती है ।

(ख) प्रत्येक राज्य में अधिप्राप्ति की विधि को संबंधित राज्य सरकार के निर्णय के लिये छोड़ दिया जाता है । अतः यदि राज्य सरकार ऐसे प्रबन्धों से सहमत है तब भारतीय खाद्य निगम उत्पादकों से सीधी खरीदारी करने के लिये तैयार होगा ।

बेकार पड़ी भूमि में खेती करना

5169. श्री रवि राय : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने बेकार पड़ी भूमि पर कृषि करने के लिये बेकार-भूमि सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन कृषि-कार्य के लिये उपयुक्त की गई भूमि का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अधीन कितने भूमि-हीन परिवारों का पुनर्वास किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार 4.74 लाख एकड़ सुधारी भूमि पर 1.10 लाख परिवारों का पुनर्वास किया गया है । राज्य-वार ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1873/69]**

भुवनेश्वर में कृषि के बारे में राष्ट्रीय टनेज क्लब गोष्टी

5170. श्री रबि राय : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 25 जून, 1969 को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय टनेज क्लब गोष्ठी में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये गोष्ठी में क्या निर्णय लिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) गोष्ठी में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तरीकों और साधनों पर विचार किया गया और टनेज क्लब द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया गया था;

(1) तकनीकी तथा व्यवहारिक पृठभूमि रखने वाले सदस्यों के खेतों पर प्रदर्शन-एवं-लघु अवधि प्रशिक्षणों का प्रबन्ध करना ।

(2) किसानों का अन्तर्जिला विनिमय शुरू करना और केन्द्रीय निकाय द्वारा आयोजित अन्तर्राज्यीय विनिमय कार्यक्रम में भाग लेना ।

(3) सिंचाई तथा अन्य संस्थानों को शुरू करने और सुधारने में सदस्यों की सहायता करना ।

(4) कृषि में उपलब्धियों को साथ के फार्मों में फैलाने के प्रयत्न करना ।

(5) जहां सम्भव हो उत्पादनों के लिए ग्रामीण परियोजनाओं को शुरू करना ।

(6) जहां सम्भव हो अपने सदस्यों को कम मिलने वाले आदानों की पूर्ति का प्रबन्ध करना ।

(7) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार और अन्य अभिकरणों के साथ सहयोग करना ।

मुंगेर, बिहार में टैलेक्स सेवा का चालू होना

5171. श्री मधु लिमये : क्या **सूचना, प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संसद में घोषणा की है कि प्रेस रिपोर्टरों की सुविधा के लिये मुंगेर, बिहार में टैलेक्स सेवा चालू कर दी गई है;

(ख) क्या वास्तव में मुंगेर में टैलेक्स सेवा चालू कर दी गई है तथा वह ठीक से कार्य कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो संसद् तथा जनता को गुमराह करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार बिभाग म राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जहां तक रेकार्डों को देखने से पता चला है, ऐसा मालूम होता है कि मुंगेर (बिहार) में टेलेक्स सेवा चालू करने के बारे में संसद् में कोई घोषणा नहीं की गई और न ही कोई आश्वासन दिया गया है ।

(ख) और (ग). ऊपर (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

अंशकालिक संवाददाताओं पर पत्रकार अधिनियम का लागू होना

5172. **श्री मधु लिमये :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकार अधिनियम और मजूरी बोर्ड की सिफारिशें छोटे कस्बों में काम करने वाले उन अशंकालिक संवाददाताओं पर भी लागू होती हैं जिनका मख्य पेशा व्यवसाय पत्रकारिता है;

(ख) क्या मजूरी बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि इन संवाददाताओं को "कालम" के आधार पर भुगतान के साथ-साथ मासिक वेतन भी दिया जाय;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रमुख समाचार-पत्रों ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने से इंकार कर दिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भुगतान से बचने के लिये इन समाचारपत्रों ने छोटे कस्बों में काम करने वाले संवाददाताओं को बड़े पैमाने पर नौकरी से हटा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) समाचार-पत्रों के ऐसे अशंकालीन सम्वाददाता जो समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में सम्वाददाताओं के रूप में नियोजित हैं और जिनके जीवन का प्रमुख व्यवसाय पत्रकारिता है, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के उपबन्धों के अन्तर्गत आ जायेंगे ।

(ख) जी हां । मजूरी बोर्ड ने समाचार-पत्रों तथा समाचार-एजेन्सियों के अंशकालिक संवाददाताओं को दिए जाने वाले मासिक वेतन की दरें निर्धारित की हैं । इसके अतिरिक्त, अदायगी स्तम्भों के आधार पर होनी चाहिये और दर आपसी बातचीत से तय की जानी चाहिये ।

(ग) से (ङ). ये मामले राज्य के क्षेत्राधिकार में आते है ।

Irregularities Committed in Mines rescue Station, Dhansar, District Dhanbad

5173. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Labour amd Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint about the Irregularities being committed in the Mines Rescue Station at Post Office, Dhansar of District Dhanbad

(b) whether Government have looked into it; and

(c) if so, the findings thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a). No. A representation was, however, received from an employee of the Mines Rescue Station, Dhanbad.

(b) Yes.

(c) The complaints made in the representation have been found to be without any basis.

प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया फैडरेशन द्वारा अधिक मजूरी और वेतन की मांग

5174. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रैस ट्रस्ट आफ इन्डिया फैडरेशन ने मद्रास में हुई अपनी बैठक में अधिक मजूरी और वेतन की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया बोर्ड ने उनकी मांग पर विचार नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विचारविमर्श द्वारा समझौता करवाने के बारे में कोई कार्यवाही की है ?

श्रम, रोगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): (क) स (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

उड़ीसा में कल्याण योजना के अधीन छात्रवृत्तियों का दिया जाना

5175. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा तथा दूसरे क्षेत्रों में डाक व तार कर्मचारियों के बच्चों की तकनीकी तथा गैर-तकनीकी शिक्षा के लिए कल्याण योजना से वर्ष 1968–69 तथा 1969–70 में छात्रवृत्तियों के लिए कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) इस अवधि में, उड़ीसा क्षेत्र में उपहार की किताबों के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) उन कर्मचारियों के आय-वर्ग क्या हैं जिनको यह सुवधायें दी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) 1968–69 के दौरान डाक-तार कर्मचारियों के बच्चों की तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए सभी सर्किलों में विभागीय छात्रवृत्ति के तौर पर दी गई वित्तीय सहायता की कुल रकम 4,48,741 रुपये बैठती है, जिसमें से 5,820 रुपये उड़ीसा सर्किल के लिए दिए गए थे। 1969–70 के दौरान अब तक सभी सर्किलों के लिए 74,618 रुपये की और उड़ीसा सर्किल के लिए 1,150 रुपये की अदायगियां की गई हैं। पूरे वर्ष के आंकड़ों का पता 1969–70 के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही चल सकता है ।

(ख) 1968–69 में 100 रुपये और 1969–70 के दौरान अब तक कुछ नहीं ।

(ग) 500 रुपये प्रति मास तक पाने वाले डाक-तार कर्मचारियों को ।

पुरी जिले में टेलीफोन लाइन खराब होना

5176. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरी जिले में नयागढ़, जटनी और निराकारपुर में एक महीने में कितनी बार टेलीफोन लाइन खराब रहती है ;

(ख) इन लाइनों में बार बार खराबी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसको ठीक करने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) टेलीफोन परिपथ निम्न प्रकार से खराब रहे :—

(i) खुरदा-नयागढ़ ट्रंक

जनवरी, 1969 . . .	एक दिन
फरवरी, 1969 . .	एक दिन
मार्च, 1969	एक दिन
अप्रैल, 1969	दो दिन
मई, 1969	एक दिन
जून, 1969	चार दिन

(ii) खुरदा-जटनी ट्रंक

जनवरी—जून, 1969 . . .	कोई नहीं

(iii) जटनी-निरकारपुर ट्रंक

जनवरी—जून, 1969	कोई नहीं

(ख) खराबियां ज्यादातर तांबे के तार की चोरी के कारण होती हैं ।

(ग) इसे रोकने के लिए कटक के पोस्टमास्टर जनरल ने पुलिस के महानिरीक्षक और गृह सचिव को लिखा है ।

Producers for 'Youth Radio Programme'

5177. **Shri A. Dipa :**
Shri K. D. Tripathi :
Shri Ram Charan :
Shri Raj Deo Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state ;

(a) the basis on which Producers have been appointed for Youth Radio Programmes of All India Radio, Delhi to be started soon ; and

(b) the details of their academic qualifications and experience ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) One post of Producer (Hindi) has been

filled by transfer. One post of Producer (English) has been advertised and the selection will be made shortly. Pending regular selection, one Producer (English) has been engaged on casual basis.

(b) The details of the academic qualifications and experience of these two persons are as follows :

	Academic Qualifications	*Experience*
Producer (Hindi)	Intermediate	Appointed as Staff Artist on 1-4-56. Appointed as Assistant Producer (Hindi) on 23-7-59 and promoted as Producer (Hindi) on 5-10-68.
Producer (English) (Ad hoc basis pending regular selection)	B.A., B.L.	Had worked as Supervisor in News Service s Division. Studied in the School of Journalism at Columbia University in U.S.A. in 1966. Worked with U.N. Radio in 1967 and also worked as Producer for Radio and TV in the Educational TV Station in Boston.

उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालय

5178. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सालय खोलने का विचार है ;

(ख) इन पर कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(ग) प्रत्येक चिकित्सालय से सम्भवत: कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी देख-रेख की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का दायित्व है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जो सूचना भेजी है वह नीचे दी गई है :—

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना को उड़ीसा में सात और केन्द्रों में लागू करने का विचार है। चार केन्द्रों (बेलपहाड़, हिराकुड, जमकायपुर और राउरकेला) में औषधालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है, लेकिन तीन केन्द्रों बारडोल (सीमेंटनगर), बहरामपुर और सुमाबेदा के बारे में उसने अभी प्रस्ताव भेजने हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक औषद्यालय के लिए 85,000 रु० से 90,000 रु० के आवर्ती व्यय और 25,000 रु० के अनावर्ती व्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) प्रत्येक केन्द्र में बीमा योग्य कर्मचारियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

केन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या
बारडोल (सीमेंटनगर)	800
बैलपहाड़	1,700
बरहामपुर	750
हीराकुई	1,300
जयकायपुर (रायागुडा)	1,400
राउरकेला	21,000
सुमाबेदा	1,800
कुल संख्या	28,750

चौथी योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास

5179. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में देश में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने का विकास कार्यक्रम बना लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस योजना का विकास होगा; और

(ग) उन राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां इस कार्यक्रम में निजी, सहकारी तथा संगठित उपक्रम के माध्यम से समुद्र तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए वस्तुतः 300 समुद्र में जाने वाले ट्रालर्स समाविष्ट करना शामिल है। सरकार सहायक कार्यक्रमों के रूप में मत्स्यपालन और मत्स्य क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए गहरे समुद्र में समन्वेषी पोतों के एक बेड़े का प्रचालन करेगी। चुंनीदा स्थानों पर गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने की बन्दरगाह विषयक सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी। उन प्रचालकों को जिन्हें नौका चालन और मत्स्यपालन प्रक्रिया में विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है, को इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए केन्द्रीय संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा।

(ख) इस योजना को उन सभस्त समुद्रतटीय राज्यों और संघ क्षेत्रों, में लागू करने की आशा है, जहां गहरे समुद्र की बन्दरगाह संबंधी सुविधायें उपलब्ध हैं या उपलब्ध की जा रही हैं, के ये राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और मद्रास, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल राज्यों तथा गोआ और अन्देमान में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की बन्दरगाहों के निर्माण के बारे में भी विचार हो रहा है। इस बीच मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करते हुए इन समस्त राज्यों में छोटे पैमाने पर कार्य शुरू किया जायेगा।

(ग) प्रमुख पत्तनों पर मत्स्य-बन्दरगाहों का निर्माण केन्द्रीय योजना के रूप में किया जाएगा। केन्द्र, अन्य मत्स्य-बन्दरगाहों की पूरी लागत तक "छोटे पत्तनों के मत्स्य पोतों के लिए लादने और उतारने की सुविधाओं" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए दी जाने वाली सहायता के प्रतिमानों के अनुसार सहायता प्रदान करेगी, केन्द्रीय सरकार उन केन्द्रीय गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्रों का पूर्ण व्यय भी वहन करेगी, जोकि तट के आस-पास मत्स्य-भूमि की खोज करेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार मत्स्य-पोतों के प्रचालकों के प्रक्षिक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना और प्रचलन का पूरा व्यय भी वहन करेगी।

Bidi Industry in Bihar

5180. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of bidi workers in Bihar, the names of the cities of Bihar where they are concentrated ;

(b) whether it is a fact that there is a Provident Fund Scheme for the bidi workers also; if so, the total number of bidi workers covered so far by the said scheme ;

(c) the reasons for not making this scheme applicable to all the workers ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to bring all the bidi workers under the said scheme and the time by which such an action is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Government of Bihar has reported as under :—

The total number of bidi workers in the State is estimated to be about 33,000· The important regions where bidi industry is concentrated, are :— Chakradharpur and Manoharpur (Singhbhum District), Jhajha (Monghyr District), Bihar-shariff (Patna District) and Dalsingsarai (Darbhanga District) and their neighbouring villages areas.

(b) to (d) The Employees Provident Funds Act, 1952 and the scheme framed thereunder have not been extended to the bidi industry. There is no other Provident Fund Scheme applicable to employees in this industry.

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

5181. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों ने काम के घंटों के दौरान कार्यालय के ही अहाते में दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अभी हाल ही में कई प्रदर्शन किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी संघ के अधिकांश पदाधिकारियों को समय-समय पर आरोप-पत्र जारी किये गये थे तथा वे दूसरे कर्मचारियों को भड़का रहे हैं तथा समाचार-पत्रों को कार्यालय की गोपनीय बातें बता रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो कार्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिए आचार नियमों के अधीन निगम के उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को निगम द्वारा क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शि दे) : (क) जी नहीं, प्रदर्शन कार्यालय के अहाते के बाहर और कार्यालय के समय के बाद हुए थे ।

(ख) और (ग). कर्मचारी संघ के कुछेक पदाधिकारियों को भिन्न-भिन्न वक्तों पर आरोप-पत्र जारी किये गये थे और उनके बिरुद्ध मामलों की जांच अभी भी हो रही है । निगम ने आचरण नियमों के अधीन स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि ये प्रदर्शन कार्यालय के समय के बाद तथा कार्यालय के भवन के बाहर किए गए थे ।

(घ) एसोसियेशन की बैठक, जिनमें मैनेजमेंट के साथ बैठकें भी शामिल हैं, में भाग लेने के लिए पदाधिकारियों को एक पंचांग वर्ष में अधिक से अधिक 20 दिन तक विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती हैं । परस्पर हित की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने लिए मैनेजमेंट के अनरोध पर बुलाई गई बैठकों में जब कभी भाग लेना अपेक्षित होता है उन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता भी दिया जाता है ।

Communication Sent by M.Ps. to D.M.S.

5182. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of communications sent by the Members of Parliament to the Officers of the Delhi Milk Scheme during the last three months and the number of those among them which do not relate to the issue of milk tokens and the specific subjects to which they relate ;

(b) whether it is a fact that the applications written in Hindi by the Members of Parliament are passed on to the lower officers by the Higher Officers of the Delhi Milk Scheme without reading them ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 1017 communications were received by the Delhi Milk Scheme from Members of Parliament during the 3 months from 13-5-69 to 12-8-69. Of these, 20 communications did not relate to issue of milk tokens. Sixteen of these Communications related to employment/transfer in Delhi Milk Scheme, two were in the nature of Complaints against the employees and two sought opening of new Milk Depots.

(b) No. As almost all Senior Officers in the D.M.S. possess the working knowledge of Hindi, the question of their passing on such communications to lower officers without reading does not arise.

(c) Does not arise.

Misappropriation of the Salaries of Chowkidars of Delhi Milk Scheme

5183. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chowkidars are posted at the Milk Depots in the North and South Avenues, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the salary intended for the Chowkidar is taken away by the Cashier and the Depot-Manager after making fake entries and no Chowkidar has been posted there ;

(c) whether Government have received any complaints in this regard; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) No.

(c) No complaint regarding the drawal of the salary intended for the Depot Chowkidar by the Cashier and the Depot Manager after making fake entries has been received. However, a Home Delivery man at Depot No. 55 (North Avenue) represented against non-payment of home delivery charges for February, 1969. The payment has since been made.

(d) The question does not arise.

Thefts in Super Bazars, New Delhi

5184. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total value of goods stolen from the Super Bazars, Delhi during the last two years ;

(b) the number of persons against whom action has been taken in this connection and the nature of action taken; and

(c) The steps proposed to be taken by Government to check incidents of theft of goods from the Super Bazar in future ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M S. Gurupadaswamy) : (a) Shortages in stocks, including the element of thefts and pilferages, are estimated to be about 2.5% of the sales of the Super Bazars (Co-operative Store Ltd. New Delhi). Theft of goods worth Rs. 12,885.23 np. was actually detected and persons responsible were caught red-handed.

(b) The services of 18 employees were terminated. 30 persons, other than employees, were caught red-handed and arrested. 116 other cases detected were also suitably dealt with by the management of the Super Bazar.

(c) The security arrangements have been strengthened; the services of a Chief Security Officer of the rank of Deputy Superintendent of Police and a few other security personne have been obtained for the purpose; and an internal audit team has been constituted for conducting surprise stock checks in the various sales departments.

कृषि उत्पादन में प्रति व्यक्ति वृद्धि

5185. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1955, 1964 तथा 1968 में कृषि उत्पादन में प्रति व्यक्ति वृद्धि कितनी हुई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब

शिन्दे) : निम्नलिखित सारिणी इन वर्षों के लिए कृषि उत्पादन, जन संख्या तथा प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित करती है :

वर्ष	कृषि उत्पादन के आंकड़े (ज्ञ) (आधार 1949-50-100)	जनसंख्या के आंकड़े (ज्ञज्ञ) (आधार 1950--100)	प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन के आंकड़े (स्तम्भ 2-100) (स्तम्भ 3)
1950 .	100.0	100.0	100.0
1955 .	117.0	109.0	107.3
1964 .	143.1	132.9	107.7
1968 . .	161.8	146.6	110.4

(ज्ञ) जून में समाप्त होने वाले कृषि वर्षों से सम्बन्धित आंकड़े ।

(ज्ञज्ञ) मध्य-वर्ष-जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े ।

चावल के कारखानों की मशीनरी का आयात

5186. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत तीन वर्षों में चावल की मिलों की मशीनरी का आयात किया है जबकि भारत स्वय इन मिलों के लिए बहुत अच्छी मशीनरी बना रहा है : और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). सरकार ने तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जापान से पांचवे येन ऋण के अन्तर्गत 5 कम्पोजिट चावल मिलों और अन्य 19 मिलों के लिए मूल पूर्जे आयात करने की अनुमति दी थी क्योंकि इस किस्म की आधुनिक मशीनरी देश में तैयार नहीं की जाती थी ।

Employees Provident Fund of the Employees of Patna Water Board

5187. Shri Ramavatar Shastri : Will the Ministeer of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state ;

(a) the total number of employees working in the Patna Water Boasd ;

(b) whether it is a fact that the amount collected from all the employees is deposited in the Employees Provident Fund ;

(c) if so, the total amount received from the employees so far and deposited in the provident fund ;

(d) whether it is also a fact that the said employees have not been paid the amount of provident fund for the last five years, if so, the reasons therefor; and

(e) the steps proposed to be taken by Government to ensure payment of provident fund to the said employees and the time by which these steps would be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e) The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Emp loyees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India. The Provident Fund Authorities have reported that the Patna Water Board is not covered under the Act and the Scheme framed thereunder.

समाचार भारती न्यूज एजेंसी के महा प्रबन्धक द्वारा आयोजित सम्मेलन

5188. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत् 6 महीनों में समाचार भारती न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली के शाखा कार्यालयों के 'ब्यौरो चीफ्स' की कई बैठकें महा प्रबन्धक ने आयोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समाचार भारती, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक ने निदेशक मण्डल की पहले अनुमति प्राप्त की थी;

(ग) प्रत्येक कार्यालय के सम्बन्ध में यात्रा तथा दैनिक भत्तों पर कुल कितना खर्च हुआ; और

(घ) क्या महाप्रबन्धक को अपनी इच्छानुसार बैठकें आयोजित करने का अधिकार दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). समाचार भारती एक स्वतंत्र समाचार एजेन्सी है तथा इस मंत्रालय का इसके रोजमर्रा के काम पर नियन्त्रण नहीं है ।

Talks on Brij Madhuri for A.I.R., Delhi

5189. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons being invited to broadcast for talks in 'Brij Madhuri' Programme from AIR, Delhi for the last 3 years are not connected to 'Brij' ;

(b) whether a list of all those whose talks were broadcast in the said programme would be laid on the Table;

(c) if so, whether it is also a fact that the Producer of 'Brij Madhuri' Programme is over sixty years of age and is unable to work; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting an in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) The list of talkers invited to broadcast in the 'Brij Madhuri' Programme in the period January to June, 1969 is laid on the Table of the House. [Placed in Libr"r *See* No. LT—1874/69.]

(c) and (d). The Producer for Brij Madhuri Programme is over 60 years of age but quite fit to carry out his duties and his present contract expires on 30-9-1969 when he will retire.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर का कथित सम्बन्ध

5190. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर-एडवाइजर म्यूजिक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ सम्बन्धों के बारे में "मदर इन्डिया" मासिक पत्रिका के जुलाई, 1969 के अंक में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है तथा ये समाचार कहां तक सही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सचार विभाग म राज्य मत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार नहीं कर रही है ।

आकाशवाणी में चीफ प्रोडयूसर्स

5191. **श्री शिव नारायण :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में काम करने वाले चीफ प्रोड्यूसरों / डिप्टी चीफ प्रोड्यूसरों की संख्या कितनी-कितनी है, वे अपने वर्तमान पदों पर किस-किस तारीख से काम कर रहे हैं, उन्हें इस समय कितना-कितना वेतन मिलता है तथा यदि चीफ एडवाइजरों के बारे में समान-जानकारी है तो वह क्या है ;

(ख) वर्तमान कार्यावधि में प्रत्येक ने अपने-अपने क्षेत्र में आकाशवाणी के कार्यक्रमो में स्वर तथा सामग्री के हिसाब से कितना-कितना आधारभूत योगदान दिया है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों की नियुक्ति से तथा इनके द्वारा दिये गये विचारों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों के स्तर में सुधार हुआ है;

(घ) यदि हां, तो कितना; और यदि नहीं, तो उस संवर्ग को समाप्त न करने के क्या कारण है; और

(ङ) इन श्रेणियों के कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मचारियों पर गत वर्ष कुल कितना धन व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) ग्यारह । एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1875/69]**

(ख) उन्होंने कितनी मात्रा में योगदान दिया है, इसका मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) योगदान की मात्रा जिसका हिसाब लगाना सम्भव नहीं है ; भिन्न-भिन्न व्यक्ति की भिन्न भिन्न है ।

(ङ) 73,849 रुपये ।

Allotment of Land to Agricultural Labourers and Harijans in Bihar

5192. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the First and the Second Bhola Shastri Governments of Bihar had decided to complete the work of issue of slips for Basgit land to the agricultural labour and Harijans of Bihar by the 2nd October next i.e. by the Centenary of Mahatama Gandhi ;

(b) if so, the total number of slips so far issued in their names in the whole of Bihar State ;

(c) the Division-wise number of slips issued in Patna district ;

(d) the reasons for the delay in the compeletion of the said work; and

(e) the specific action proposed to be taken by Government to implement the said work

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. It is the Congress-led coalition Government which took a decision to complete this work by 2nd October, 1969 and Government instructions to this effect were issued to the local officers on 31st May, 1969.

(b) In the whole State of Bihar rights of 1,91,090 persons have so far been recorded and slips issued to them.

(c) Slips have been issued to 53,673 persons in Patna Division, 48,203 in Tirhut Division, 33,853 in Bhagalpur Division and 55,361 in Chotanagpur Division. In Patna district slips have been issued to 23,324 persons.

(d) and (e). Though the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, was enacted in 1947 and made applicable in January, 1948 no appreciable progress could be made upto 1964, due to various reasons until two special drives were launched to complete this work by 2nd October next. A fresh special drive has been launched for this purpose throughout the State which is continuing.

Rise in Prices of Rice in Bihar

5193. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of rice have gone up in Bihar by Rs. 15 to Rs. 20 per maund during the last few months ;

(b) whether its prices have gone up in other States also ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the effective steps proposed to be taken by Government to check the rising prices and to bring them down to the level prevailing earlier ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Between April and middle of August 1969 there has been a rise in the prices of rice between Rs. 10.70 to Rs. 24.00 per quintal in different centres of Bihar.

(b) There was an upward trend in other States also. During this period the All India index number of wholesale price of rice has registered a rise from 196.0 to 218.5.

(c) The rise in prices is mainly seasonal.

(d) The Government of Bihar has released twenty thousand tonnes of rice through fair price shops in urban and rural areas in addition to normal supplies of wheat.

सूती कपड़ा सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

5194. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) सारी सिफारिशें स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई तथा अस्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। उस सरकारी संकल्प की प्रतियां जिसमें बहुमत सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा की गई थी और जिसमें इन सिफारिशों का सार दिया गया था, 21 जुलाई, 1969 को सभा की मेज पर रख दी गई थीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

स्त्रियों के द्वारा रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध

5195. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में स्त्रियां अपने जीवन निर्वाह के लिए रिक्शा चलाती हैं ; और

(ख) रिक्शा खीचने अथवा चलाने के इस व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उन स्त्रियों के लिए और दूसरा रोजगार ढूंढने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) (ख): महिलाओं द्वारा रिक्शा चलाए जाने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है श्रम मंत्री सम्मेलन ने 1955 में हुए अपने 12 वें अधिवेशन में ग्राम व्यक्ति द्वारा रिक्शा खीचना धीरे-धीरे समाप्त करने की सिफारिश की और जब तक रिक्शा खींचना समाप्त नहीं होता तब तक

रिक्शा खींचने वालों की काम की दशाओं को विनियमित करने की सिफारिश की। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से भी हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शों को बंद करने के बारे में पत्र लिखे हैं और समय-समय पर सुझाव दिए हैं।

ये सुझाव इस प्रकार हैं :—

1. "रिक्शा खींचना" समाप्त करने के लिए एक क्रमिक कार्यक्रम बनाना।

2. कार्य-दशाओं, डाक्टरी परीक्षण आदि के सम्बन्ध में समुचित विनियम निर्धारित करना।

3. रिक्शा खींचने वालों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दे कर बिचौलियों द्वारा किया जाने वाला शोषण रोकना।

आकाशवाणी के अधिकारियों तथा स्टाफ आर्टिस्टों की यूनियनों के बीच बैठक

5196. श्री लताफत अली खां : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के अधिकारियों तथा स्टाफ आर्टिस्टों के दोनों संघों के प्रतिनिधियों के बीच हर महीने बैठक होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दोनों मजदूर संघों को मान्यता दे दी है तथा ऐसी कितनी बैठकें हो चुकी हैं ;

(ग) किन-किन बातों पर समझौता हो चुका है तथा किन-किन बातों पर अभी गतिरोध है और समझौता नहीं हो सका है ; और

(घ) दोनों संघों के पदाधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक ने अनुमानतः कितने-कितने सदस्य होने का दावा किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। ये अनौपचारिक बैठकें हैं।

(ख) जी नहीं ; अभी तक ऐसी नौ बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) इन बैठकों का उद्देश्य स्टाफ आर्टिस्टों के दृष्टिकोण को समझना है कोई समझौता करना नहीं। अतः समझौता या गतिरोध होने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार की जानकारी के अनुसार दोनों के पदाधिकारी इस प्रकार हैं :

आल इण्डिया रेडियो स्टाफ आर्टिस्ट्स यूनियन

प्रधान : श्री एस० एस० एस० ठाकुर

उप प्रधान : श्री एन० वाई० कामा शास्त्री

महा मंत्री : श्री अशोक बाजपेयी

आल इण्डिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड

प्रधान : श्री जार्ज फरनेन्डीज

उप प्रधान : श्री सुरजीत सेन

महामंत्री : श्री एस० वी० मादुरी

सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि दोनों यूनिटों की सदस्य संख्या कितनी-कितनी है।

Demand for setting up of a Telephone Exchange in Dehu Road Cantonment

5197. Shri Baswant : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Civil population of Dehu Road has demanded the setting up of a telephone exchange there ;

(b) whether Government are opposed to their demand ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. Action is being taken to sanction a scheme for opening a 100 lines exchange at Delhi.

(c) Does not arise.

सहकारी कार्यक्रमों के लिए सहायता

5198. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा सहकारी कार्यक्रमों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में एक मुश्त ऋण तथा एक मुश्त अनुदानों के रूप में राज्यों को कुछ अनुदान दिये गये हैं; और

(ख) अनुदानों के राज्यवार आवंटन का ब्यौरा क्या है और उनके विस्तृत कार्यक्रम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना (1969--74) के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपलब्ध की जाने वाली धनराशि के अलावा हर वर्ष एक मुश्त ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जायेगी।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता किसी एक योजना अथवा योजनाओं के समूह अथवा विकास के शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होगी। अतः एक मात्र सहकारिता के बारे में नियतन के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा में उठाऊ सिंचाई

5199. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए उठाऊ सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी निमित्त तथा सहायता के लिये प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये उड़ीसा सरकार ने 17.82 करोड़ रुपये के परिव्यय का सुझाव दिया है। इसमें उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए 1.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है। योजना आयोग ने अपने संसाधनों सहित राज्य के समग्र संसाधनों की स्थिति और केन्द्रीय सहायता से प्राप्त होने वाले अंश को दृष्टि में रखते हुए चतुर्थ योजना के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 10.75 करोड़ रुपये के परिव्यय का सुझाव दिया है। परिशोधित योजना को राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है।

Building for Madhuban Post Office in Champaran District of Bihar

5200. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although the Government land near Madhuban Post Office in Champaran District is lying waste, yet this Post Office has been housed in a rented building ;

(b) whether it is also a fact that Government could have constructed a building of their own for the said Post Office with the money that had been paid towards the rent of the building in which the said Post Office is at present housed during all these years ;

(c) whether Government propose to check this wastage of money by constructing a building for the Post Office on the land which is lying waste near the Post Office; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Though the Post Office is presently housed in a rented building, action is in progress to utilise the Government land for putting up building to house the Post Office. The building could not be constructed earlier due to the ban imposed on building works during the national emergency.

(b) No. The estimated cost of the building proposed to be constructed is Rs. 94,338 and the rent paid so far on the existing rented building which was taken on rent on 1-9-52 is Rs. 6,633.

(c) The work has since been sanctioned and is likely to be started as soon as the remaining formalities are completed.

(d) Does not arise.

Demand for Threshing and Winnowing Machines

5201. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that demand for the Threshing and Winnowing machines is gradually increasing in the country for sowing seeds and harvesting crops following the green revolution started in the country;

(b) if so, the scheme drawn up by Government to supply these machines to the farmer and the extent to which it has been implemented;

(c) if no scheme has been drawn up in this respect, the reasons therefor ;

(d) whether Government have included in the Fourth Five Year Plan a scheme regarding the manufacture of such machines indigenously ; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The demand for threshing and winnowing machines is gradually increasing. These machines are not used for sowing and harvesting operations but are intended to separate the grain from the harvested crop and to clean it.

(b) and (c). During the second and third Five Year Plans, under the scheme for popularisation of improved implements and new equipment, thresheres, winnowers, etc., were supplied to farmers at subsidised rates. These machines have become very popular in some of the regions. Supply of implements at subsidised rates has been discontinued during the current Plan and popularisation is achieved through demonstrations. However, for popularising seed-drills, etc., needed for sowing a special scheme for demonstrations and popularisation was taken up in most of the States during the period 1966-69.

(d) and (e). A large number of manufacturers in the organised and small-scale sector have taken up production of Threshers, winnowers, etc., for making them available to the farmers according to the local demand. Workshops set up by the State Governments and Agro-Industries Corporations are also manufacturing these depending upon the requirements of the area.

Consumer Co-operative Stores in Bihar

5202. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of the Consumer Co-operative Stores set up by the Consumer Co-operative Societies this year, State-wise;

(b) the names of the cities in Bihar where these stores have been set up and the population of each of the said cities;

(c) whether Government propose to set up these stores in Motihari, Betia, Chakia, and Raxual in Champaran District, if so, when; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हिन्दी वार्ताएं

5203. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के दैनिक समाच र पत्र 'नवभारत टाइम्स' के सम्पादकीय कर्मचारियों को ही अधिकतर आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा हिन्दी में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए बुक किया जाता है;

(ख) वर्ष 1967–68 और जुलाई, 1969 तक बुक किये गये ऐसे कर्मचारियों के नाम और संख्या कितनी है;

(ग) इस दैनिक समाचार के कर्मचारियों को कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए बार-बार बुक करने के क्या विशेष कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि उस दैनिक समाचारपत्र के कर्मचारियों को विशेष रूप से बुक करने के बदले में प्रोड्यूसर इंचार्ज के उक्त दैनिक पत्र में बहुधा लेख प्रकाशित किये जाते हैं और इसके बदले में उन्हें भारी रकम मिलती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[पुस्तकालय में रखागया । देखिये संख्या एल० टी० 1876/69]** विवरण मात्र से यह ठोस निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं कि नवभारत टाइम्स के व्यक्तियों को अनअनुपातिक रूप से बुक किया जाता है ।

(ग) कुछ व्यक्तियों को समाचार सेवा प्रभाग के सीरियल कार्यक्रमों या विशेष श्रोताओं के लिये कार्यक्रमों के लिये बुक किया गया । क्योंकि कार्यक्रमों के इन क्षेत्रों में थोड़े ही व्यक्ति मिलते हैं अतएव, उन्हीं व्यक्तियों को बार-बार बुक करना पड़ता है ।

(घ) मामले की छान-बीन की जा रही है ।

बड़ौदा, गुजरात में टेलीफोनों की मंजूरी देने में देरी

5204. श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम चरण :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात विधान सभा के सदस्यों तथा टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने गुजरात में बड़ौदा सिटी के कई हजार नागरिकों को टेलीफोन देने में लगातार देरी होने पर असंतोष प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : जब मंत्री बड़ौदा शहर गये थे, तो एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था ।

(ख) बड़ौदा टेलीफोन प्रणाली में निम्न प्रकार से विस्तार करने का प्रस्ताव है :—

(1) औद्योगिक क्षेत्र एक्सचेंज की क्षमता बढ़ा कर 200 से 400 लाइनें करने के लिए 200 लाइनों का विस्तार किया गया था, जो कि चालू कर दी गई हैं ।

(2) क्रास-बार एक्सचेंज की इमारत के प्रशासनिक विंग में 600 लाइनों का छोटा स्वचल एक्सचेंज स्थापित किया जा रहा है, जिसके 1969 के अंत तक चालू हो जाने की संभावना है ।

(3) 1969–70 के एम० ए० एक्स०–1 स्ट्रोजर कार्यक्रम में मौजूदा एक्सचेंज में 1000 लाइनों का विस्तार करना भी शामिल है, जिसके 1971-72 में चालू हो जाने की संभावना है ।

(4) 3000 लाइनों के क्रास-बार एम० ए० एक्स-1 के उपस्कर की 1969-70 की अन्तिम तिमाही में सप्लाई हो जाने की संभावना है और आशा है कि उसे 1971-72 तक चालू किया जा सकेगा ।

चौथी योजना के दौरान 4,800 लाइनों की एक्सचेंज क्षमता उत्तरोत्तर चालू कर दी जायेगी । इस समय बड़ौदा में नया टेलीफोन कनेक्शन लेने की औसत प्रतीक्षा अवधि लगभग 7 वर्ष है और ऐसी आशा की जाती है कि ऊपर दिये गये योजनाबद्ध विस्तार के परिणामस्वरूप चौथी योजना के अंत अर्थात् 31–3–74 तक यह अवधि घट कर 4 वर्ष रह जायेगी ।

चौथी योजना के अंत अर्थात् 31–3–74 तक यह अवधि घट कर 4 वर्ष रह जायेगी ।

बड़ौदा के लिये रेडियो स्टेशन

5205. श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम चरण :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात विधान सभा के सदस्यों तथा टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल ने बड़ौदा में एक रेडियो स्टेशन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में एक उचित उपबन्ध करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). बड़ौदा में पहले ही एक स्टूडियो है । एक स्थायी स्टूडियो भवन बनाने की तैयारी हो रही है । यह स्टूडियो अहमदाबाद केन्द्र से सम्बन्धित है । बड़ौदा में एक ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव चौथी योजना में शामिल किया गया है ।

रसोइयों तथा बेयरों के लिये स्कूल

5206. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** **श्री बदरुद्दुजा :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री गणेश घोष :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोइयों तथा बेयरों के लिये कोई स्कूल खोला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में खान-पान औद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार के चार संस्थान शुरू किये गये ह तथा कालनेस्सेरी (केरल), पनाजी, (गोआ), बंगलौर (मैसूर) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में चार फूडक्राफ्ट संस्थान चालू किय किये गये हैं। इस वर्ष के अन्त से पहले एक अन्य फूडक्राफ्ट संस्थान नागपुर (महाराष्ट्र) में शुरू किया जायेगा। इन संस्थानों में पेश किये गये पाठ्यक्रमों में कुछ पाक-विद्या तथा बेकिंग भी शामिल हे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में आदिम जातीय लोगों का कल्याण

5207. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 1 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1465 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या आदिम जातीय लोगों की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें इस बीच सरकार को प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनको देखते हुए सरकार ने क्या निर्णय किया है तथा त्रिपुरा सरकार को इस बारे में यदि कोई हिदायतें दी गई हैं, तो क्या ; और

(ग) त्रिपुरा में आदिम जातीय लोगों को चालू वर्ष में प्रशिक्षण सम्बन्धी क्या क्या सुविधायें दी जा रही हैं तथा इससे कितने आदिम जातीय लोगों को प्रशिक्षण दिये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रशासन ने चालू वर्ष के दौरान आदिम जाति की लड़कियों को "धाय" के प्रशिक्षण, आदिम जाति के युवा किसानों और आदिम जाति के विद्यार्थियों को बुनाई, बढ़ईगिरी, चमड़ के कार्य और टोकरी बनाने आदि में प्रशिक्षण देने की तीन विशिष्ट प्रशिक्षण योजनाओं की व्यवस्था की है

जिन पर 14,000 रु० व्यय आने का अनुमान है। आशा है कि इन योजनाओं से कुल मिलाकर 50 आदिम जातियां लाभ उठायेंगी। इसके अतिरिक्त आदिम जातियों को 6.44 लाख रुपये की उस सामान्य व्यवस्था से भी लाभ पहुंचेगा जो प्रशिक्षण और रोजगार सुविधाओं के लिए इस साल की गई है।

त्रिपुरा को खाद्यान्नों की सप्लाई

5208. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में हाल में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी रही है और यहां तक कि इस संघ राज्य क्षेत्र में चावल की कीमत 2 रु० 30 पै० प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई थी और इस राज्य के कई भागों में मूल्य उससे भी अधिक बढ़ गया था; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा प्रशासन ने केन्द्र से वर्ष 1968-69 में प्रत्येक महीने चावल और अन्य खाद्यान्नों की कितनी मांग की थी और केन्द्रीयि सरकार द्वारा इस प्रशासन को वास्तव में कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिये गये थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) यह सच नहीं है कि हाल के महीनों में त्रिपुरा में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी हो गई थी और उसके फलस्वरूप त्रिपुरा में खुले बाजार में हर जगह चावल का मूल्य चढ़ गया था। इस वर्ष त्रिपुरा में खाद्यान्नों के मूल्य पिछले वर्षों की उसी अवधि के दौरान चल रहे मूल्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहे हैं। लेकिन कंचनपुर और चमनू नामक दो कबीले क्षेत्र शामिल नहीं हैं जहां मई के चौथे सप्ताह में चावल का मूल्य चढ़ना शुरू हुआ था और 2.30 रुपये प्रति किलों पर पहुंच गया था। जून, 1969 के तीसरे सप्ताह तक यह प्रवृत्ति बनी रही और जब उचित मूल्य की दुकानों के जरिये खाद्यान्नों की तेजी से सप्लाई की गई तब इन क्षेत्रों में मूल्य नीचे आ गये।

(ख) त्रिपुरा सरकार ने खाद्यान्नों की जो मांग की है वह पूरे पंचांग वर्ष के लिए है न कि प्रत्येक मास के लिए अलग-अलग। 1968 और 1969 पंचांग वर्षों के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा मांगी गई चावल/गेहूं की मात्रा और 1968 में केन्द्रीय भण्डार से उन्हें वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा और 1969 में अब तक आवंटित की गई मात्रा इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	मांगी गई मात्रा		सप्लाई/आवंटित की गई मात्रा	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1968	30.7	31.6	17.5*	31.6
1969	35.9	35.0	22.0**	23.6**

* 1969 की मांग के प्रति दिसम्बर, 1968 में 6.5 हजार मीटरी टन की सप्लाई की गई मात्रा को छोड़कर।

**अगस्त, 1969 तक

त्रिपुरा में पंचायतों की शक्तियां

5209. **श्री किरित बिक्रम देव वर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अन्य भागों की पंचायतों की शक्तियों की तुलना में त्रिपुरा की पंचायतों की शक्तियों में काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बातों में त्रिपुरा की पंचायतों को अधिक सीमित शक्तियां प्राप्त हैं और इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) त्रिपुरा को पंचायतों की शक्तियों के अन्य राज्यों की पंचायतों की शक्तियों के बराबर करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) से (ग). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात की नई राजधानी को टेलीफोन की सुविधायें

5210. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की नई राजधानी को कैसे टेलीफोन सुविधायें दी जायेंगी;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) गांधीनगर में 50 लाइन का एक छोटा स्वचल एक्सचेंज स्थापित किया जा चुका है। अक्तूबर, 1969 के शुरू में इस एक्सचेंज की जगह 200 लाइन का स्वचल एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है। इस एक्सचेंज का विस्तार करके 600 लाइन लगाने का भी कार्यक्रम है। दीर्घकालिक व्यवस्था के बतौर शुरू में 2000 लाइनों की क्षमता वाला एक मुख्य स्वचल एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है।

ट्रंक व्यवस्था के लिए, प्रारम्भिक तौर पर, गांधी नगर एक्सचेंज में एक करचल ट्रंक एक्सचेंज लगाया जाएगा जिसकी अहमदाबाद के लिए 8 सरणियां होंगी। दीर्घकालिक व्यवस्था के बतौर अहमदाबाद और दूसरे स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाएं देने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) इस प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री के साथ पत्र-व्यवहार द्वारा और लोक निर्माण विभाग और बिजली के राज्य मंत्री के साथ व्यक्तिगत रूप से विस्तृत विचार विनिमय किया गया है। पैरा (क) में दिए गए उत्तर के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

किसानों को टेलीफोन कनेक्शन

5211. **श्री रामचन्द्र बीरप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में किसानों को टेलीफोन कनेक्शन देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय सभी राज्यों पर लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में किसानों को कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): इस समय हिमाचल प्रदेश में किसानों को टेलीफोन कनेक्शन देने की कोई विशेष योजना नहीं है। फिर भी, किसान सामान्य नियमों के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। देहाती क्षेत्रों में किसानों की ओर से टेलीफोनों की मांग कम होने के कारण वहां टेलीफोनों की व्यवस्था करने में सामान्यतः बचत नहीं रहती। इस तरह की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभाग की अनुसंधान शाखा ने एक सस्ती किस्म की संचार प्रणाली का विकास करने का काम हाथ में लिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

सूरतगढ़ फार्म का कार्य संचालन

5212. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ फार्म में कितनी पूंजी लगी हुई है और इसकी स्थापना से लेकर अब तक इसमें प्रतिवर्ष कितना मुनाफा अथवा घाटा हुआ है;

(ख) लगी हुई पूंजी की प्रतिशतता के अनुपात में इससे कितने मुनाफे की आशा थी और क्या लक्ष्य प्राप्त हो गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) पूछी गई जानकारी निम्नलिखित है :—

वर्ष	लगाई गई पूंजी	लाभ	हानि
	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)	
1956–57 .	7.59	—	2.71
1957–58 .	12.08	—	5.09
1958–59 .	40.51	1.70	—
1959–60	61.86	—	2.25

1	2	3	4
1960–61	98.46	2.84	—
1961–62	101.20	—	6.23
1962–63	133.82	—	6.51
1963–64	133.32	—	11.77
1964–65	120.30	—	9.93
1965–66 .	112.87	—	24.17
1966–67	132.31	18.71	—
1967–68	180.00	49.52	—
1968–69 ..	अभी उपलब्ध नहीं।		
	कुल	72.77	68.66

उपरोक्त लाभ/हानि लगी हुई पूंजी पर प्रति वर्ष लगभग 4 प्रतिशत ब्याज देने के बाद होता है।

(ख) और (ग). ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। फार्म को अपर्याप्त सिंचाई पूर्ति और समय-समय पर बाढ़ों के कारण हानि पहुंची है। इसके बावजूद भी 12 वर्षों में फार्म में लगी हुई पूंजी पर ब्याज की राशि पर ब्याज की रकम की व्यवस्था करके 4·11 लाख रु० का कुल लाभ उठाया है।

सरकारी क्षेत्र के फार्मों का कार्य

5213. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी क्षेत्र में कितने फार्म स्थापित किये गये हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक फार्म में कितनी पूंजी लगाई गई है और उनके स्थापित किये जाने से लेकर अब तक उन्हें कितना वार्षिक लाभ या हानि हुई; और

(ग) यदि हानि नहीं हुई या अपर्याप्त लाभ हुआ है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सरकारी क्षेत्र में निम्न 6 केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित किए गये हैं :—

राज्य का नाम	स्थान
राजस्थान	1. सूरतगढ़
	2. जेतसर
पंजाब	3. जालन्धर
हरियाणा	4. हिसार
उड़ीसा	5. झारसुगुड़ा
मैसूर	6. रायचुर

केरल के कन्नानौर जिले में एक और फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी उपस्थित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1877/69]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

5214. **श्री ज्योतिर्मयबसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में सुधार करने के लिए कर्मचारियों की भागीदारी आवश्यक समझती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के प्रबन्ध में भाग लेने के बारे में कोई योजना तैयार की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार समझती है कि सरकारी या निजी क्षेत्र के किसी उपक्रम में श्रमिकों के भाग लेने की किसी भी योजना से प्रबन्धकों और श्रमिको में एक दूसरे को समझने तथा सहयोग देने की भावना पैदा हो सकती है। इससे उपक्रम के कार्यसंचालन में सुधार हो सकता है।

(ख) भारत सरकार ने 1957 में स्वैच्छिक आधार पर बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू करने के लिए संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के रूप में श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने को एक योजना चलाई।

Mechanised Boats for Deep Sea Fishing

5215. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to manufacture mechanised boats for deep sea fishing easily available to the fishermen at cheap rates and to remove the defects in the indigenously manufactured engines of these boats so as to promote facilities for fishing in the country ; and

(b) the new steps taken by Government to promote fishing in the potable water ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Two consortia of Ship builders have been organised, one on the East Coast and the other on the West Coast to manufacture deep sea fishing vessels. The prices charged are considered to be reasonable taking into account the various factors governing the price. Small mechanised boats for shallow-water fishing are mainly constructed in Government owned boat building yards and given to the fishermen at a fair price. The Government have been reviewing from time to time the performance of indigenously produced marine diesel engines and have been taking up with the manufacturers the question of rectification of the defects reported. By and large the performance of indigenous marine diesel engines has been improving. he price structure of indigenous]y manufactured marine diesel engines is under review.

(b) So far as inland waters are concerned greater emphasis is being placed on production of fish seed. Further, improved techniques of fish breeding, rearing and culture are being adopted. Steps have also been taken to develop brackish water fish farming and a pilot project is being taken up in the Sunderbans.

रूसी ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण

5216. **श्री शशिभूषण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने डी० टी०-14 तथा बेलारस के रूसी ट्रैक्टरों का आयात किया गया है और चालू वर्ष में वे किस-किस तारीख को आयात किये गये थे ; और

(ख) उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में अब तक वास्तव में कितने ट्रैक्टर किसानों को दिये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 1968-69 के आयात कार्यक्रम में 6,000 डी० टी०-14-बी और 500 बाइलरस ट्रैक्टर सम्मिलित हैं। इनमें से अब तक 3,598 डी० टी०-14-बी और 202 बाइलरस ट्रैक्टर विभिन्न जहाजों द्वारा विभिन्न तारीखों को प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) सम्बन्धित राज्यों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Appointment of Casual Artistes at A.I.R. Station, Delhi

5217. **Shri K. D. Tripathi :**
Shri Raj Deo Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1713 on the 31st July, 1969 and state :

(a) the names and educational qualifications of the ten persons who were appointed as casual employees ;

(b) the composition of the Selection Committee which had made appointment of Production Assistants at Delhi Station of A.I.R. during the year 1968 and whether this Committee had appointed those very persons who had been working on the posts of Production Assistants as casual employees; and

(c) the procedure adopted for making casual appointments for the first time ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The information is given in the statement laid ond the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1878/69].

(b) The Selection Committee comprised the following :--

1. Shri K. P. Shungloo, Station Director, AIR, New Delhi.
2. Shri P. K. Kapoor, Assistant Station Engineer, AIR. New Delhi.
3. Shri V. S. N. Camphor, Assistant Station Director, AIR, New Delhi.
4. Shri Hamendra Nath, Programme Executive, AIR, Delhi.

The Selection Committee did not select only those persons who had been working as Production Assistants on casual basis.

(c) For Script Writers, persons who have contributed good scripts of plays, features etc. for the programmes are given casual engagements. For the posts of announcers, persons are selected for casual engagements from those who have passed the audition test. In the case of Copyists and General Assistants, persons are engaged who are readily available for the type of clerical work required on the basis of applications received by stations for employment from time to time.

आकाशवाणी द्वारा गलत समाचारों का प्रसारण

5218. **श्री गंगा रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी की सूचना के स्रोत क्या हैं;

(ख) क्या सूचना की सचाई को सुनिश्चित किये बिना उसका प्रसारण किया जाता है जैसाकि यह समाचार प्रसारित किया गया था कि प्रजा समिति के प्रधान श्री मदन मोहन को हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका कि बाद में हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने खण्डन किया था जैसा कि 2 जुलाई, 1969 के "दक्कन क्रोनिकल" नामक समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी अन्य घटनाओं की जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे गलत समाचारों की घोषणा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) भविष्य में ऐसी गलतियां न हों यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) आकाशवाणी की सूचना के स्रोत ये हैं :—

(1) सुस्थापित समाचार एजेंसियां—भारतीय तथा विदेशों की सेवाएं ;

(2) आकाशवाणी के अपने संवाददाता ;

(3) केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सरकारी सूचना एजेंसियां;

(4) मानिटीरिंग विभाग द्वारा मानिटर किए गए समाचार; और

(5) महत्वपूर्ण संस्थान ।

(ख) जहां तक संभव होता है समाचारों की सत्यता की जांच की जाती है । तेलंगाना प्रजा समिति के प्रधान श्री मदन मोहन की गिरफ्तारी के बारे में समाचार यूनाइटेड न्यूज़ आफ इण्डिया द्वारा भेजे गये एक संवाद के आधार पर दिया गया था । बाद में यह पता लगा कि वह पिछली रात की जगह अगली सुबह गिरफ्तार हुए थे । सुबह की गिरफ्तारी के बारे में समाचार दुबारा दिया गया था ।

(ग) से (ङ). इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हो सकते हैं । आकाशवाणी प्रति दिन 100 समाचार बुलेटिन अकेले दिल्ली से प्रसारित करती है । प्रसारण से पहले समाचारों की, विशेषकर उनकी जो सुस्थापित समाचार एजेंसियों से प्राप्त होते हैं, सत्यता की जांच करना सदा सम्भव नहीं है । जब भी किसी समाचार की सत्यता पर सन्देह होता है, उसकी प्रामाणिकता की जांच करने के प्रयत्न किये जाते हैं । तो भी, यह सम्भव है कि प्रसारित कुछ समाचार गलत रह जाए । ऐसे मामली म, खण्डन या सही समाचार शीघ्र ही प्रसारित किया जाता है । गल त समाचार प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि किसी समाचार की सत्यता, आदि के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । तथापि, आकाशवाणी यह बराबर कोशिशें करती है कि समाचार सही दिए जाएं ।

Loan to Small Farmers

5219. Shri Deorao Patil: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to accord top priority to the needs of small farmers under the agricultural development programme ;

(b) whether instructions have been issued in respect of granting Government loans to small farmers only ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Fourth Five Year Plan seeks to give special attention to the needs and problems of small farmers under the agricultural development programmes. One of the main objectives of the Fourth Plan, in the agricultural sector, is to enable the small farmers to participate in development and share its benefits. Various measures envisaged in this regard have been given in paragraphs 6·21, 6·22, 6·23 (Chapter on Agriculture) and 8·15 (Chapter on Cooperation) in the "Fourth Five Year Plan 1969-74-Draft" placed on the Table of the Lok Sabha in April last.

(b) and (c). The Central Government do not issue any instructions to State Governments in regard to disbursement of loans by the latter to farmers. Generally Government (Taccavi) loans can be availed of by all farmers. The general policy under the Fourth Plan is that the "Direct loans by Government will be reduced to the minimum" and the suppy of institutional specially cooperative-credit will be stepped up. It is also envisaged that one of the main endeavours during the Fourth Plan will be to orient the policies and procedures of credit co-operatives and land development banks in favour of small cultivators.

Construction of Residential Quarters for Telephone Exchange Employees at Gangapur City

5220. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have approved the scheme for the construction of residential quarters for the Telephone Exchange employees at Gangapur city in Bharatpur Sub-division of Rajasthan ;

(b) whether Government have also approved the scheme for the construction of new buildings for the Telephone Exchange and the Post Office ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the time by which the aforesaid quarters and buildings are likely to be constructed as also the expenditure involved therein?

The Minister Of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) No, the Government have not approved any scheme for construction of quarters at Gangapur city, Rajasthan so far.

(b) No.

(c) and (d): Do not arise.

आकाशवाणी के "युववाणी" के लिए कर्मचारी

5221. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राज देव सिंह :
श्री राम चरण :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में अंग्रेजी तथा हिन्दी में युवावाणी कार्यक्रमों के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारी, स्टाफ आर्टिस्ट तथा नियमित सरकारी कर्मचारियों के नाम तथा पद-नाम क्या हैं ;

(ख) उन में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं तथा विशेष अभिवृत्ति क्या है ; और

(ग) उनका चयन तथा युवक सेवा में नियुक्ति किस आधार पर की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—1879/69]**

(ग) कोई नई भर्ती नहीं की गई है परन्तु वर्तमान व्यक्तियों को या उन पैनलों के व्यक्तियों में से जिनका पहले चयन किया गया था, उनकी आयु नवयुवकों के कार्यक्रमों में उनकी रुचि तथा स्टडियो उपकरण पर काम करने और रिकार्ड किये गये संगीत प्रस्तुत करने में उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह काम सौंपा गया है।

भारतीय चलचित्र संस्था, पूना द्वारा गोष्ठियां तथा सम्मेलन

5222. **श्री राज देव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र संस्था, पूना देश के विभिन्न भागों में गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करती रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से विषयवस्तु पर सविस्तार चर्चा करने और प्रतिभावना लोगों के मिलने का एक लाभप्रद मंच बन जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 में गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करने में क्या बाधा एवं रुकावट थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्राक्कलन समिति (1967-68) की उसकी प्रथम रिपोर्ट (चौथी लोक-सभा) मे दी गई सिफारिशों के आधार पर गोष्ठियों और सम्मेलनों के आयोजन को फिल्म संस्थान के लिए नई मद के रूप में कर दिया गया था । योजना का ब्यौरा 1968-69 के दौरान तैयार नहीं किया जा सका । भारतीय फिल्म संस्थान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूना में एक गोष्ठी आयोजित करने का विचार कर रही है ।

बिहार के गन्ने वाले क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियां

5223. श्री लखन लाल कपूर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मार्च, 1967 को भारत के रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार, नैशनल सहकारी संघ और बिहार राज गन्ना उगाने वालों की सहकारी संस्था के प्रतिनिधि नई दिल्ली में प्रो० डी० आर० गडगिल की अध्यक्षता में मिले थे और बिहार के गन्ना वाले क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों के ढांचे के बारे में निर्णय किये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार के सहकारी विभाग के सचिव ने 9 मई, 1967 के पत्र संख्या 679 के द्वारा बिहार के सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार की नीति को क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को अनुदेश जारी करने का निदेश दिया है ;

(ग) क्या अभी तक भी गन्ना उगाने वालों की सहकारी सेवा संस्था के उपनियमों में संशोधन नहीं किया गया और गन्ना उगाने वालों की एक भी सहकारी सेवा संस्था नहीं बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) : राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

चाय बागान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

5224. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में चाय बागान के श्रमिकों ने, चाय बागान मालिकों के सख्त रवैये के कारण त्रिपक्षीय वार्ता के विफल

होने के बाद मजूरी में वृद्धि सहित अपनी दस सूत्री मांगों के समर्थन में 18 अगस्त, 1969 से अनिश्चित काल तक हड़ताल करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो हड़ताल को टालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) श्रमिक 18 अगस्त, 1969 से हड़ताल पर गए ।

(ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और राज्य के प्राधिकारी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं । हमने राज्य के श्रम मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया हुआ है और इस विवाद को हल करने के लिए जहां तक हम से हो सकेगा, प्रयत्न करेंगे ।

पश्चिम बंगाल में कपड़ा श्रमिकों द्वारा हड़ताल

5225. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में 50,000 कपड़ा श्रमिकों ने अपनी मजूरियों तथा उपदान की राशि में वृद्धि करवाने तथा बन्द पड़ी 9 कपड़ा मिलों को फिर से चालू करने की अपनी मांगें मनवाने के लिये 8 अगस्त, 1969 से हड़ताल कर रखी है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान कपड़ा श्रमिकों के बीच भाषण देते हुए पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री के इस कथित वक्तव्य की ओर भी दिलाया गया है कि यद्यपि संयुक्त मोर्चा श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के संघर्ष में उनके साथ है, लेकिन उनकी वर्तमान आर्थिक दशा के लिये जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है ;

(घ) इस हड़ताल को खत्म करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ). कपड़ा श्रमिकों ने अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए 8 अगस्त, 1969 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की । सरकार ने समाचार-पत्रों में छपा समाचार देखा है । ऐसा बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल के उप-मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि यद्यपि श्रमिकों की मजूरियों में वृद्धि करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, लेकिन वह उनके संघर्ष में उनका साथ देगी और यह कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है । कपड़ा उद्योग में मजूरी-दरें सभी संबंधित बातों को दृष्टि में रख कर त्रिपक्षीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों द्वारा विनियमित की जाती हैं । फिर भी हड़ताल का विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कार्रवाई कर रही है ।

फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया का अन्य देशों के साथ सम्पर्क

5226. श्री राज देव सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पूना का फिल्म इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया अन्य देशों में ऐसी संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क स्थापित कर पाया है ताकि वह विश्व की अन्य ऐसी ही संस्थाओं की गतिविधियों से अवगत हो सके;

(ख) क्या सरकार ने भारत की सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार करने की सम्भावना तथा अन्य देशों की ऐसी ही संस्थाओं की तरह पाठ्यक्रम लम्बा करने की सम्भावनाओं पर कभी विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । भारतीय फिल्म संस्थान पेरिस के सिनेमा और टेलीविजन स्कूल के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र का सदस्य है । इस केन्द्र से विश्व के सभी प्रमुख सिनेमा स्कूल सम्बन्धित हैं । संस्थान ने पेरिस, मास्को और लाज (पोलैंड) की ऐसी ही संस्थाओं से विशेषज्ञ भी प्राप्त किए हैं ।

(ख) संस्थान के विभिन्न कोर्सों के लिए पाठ्यक्रमों में सुधार करने की दृष्टि से उनका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न कोर्सों के लिए अध्ययन मण्डल गठित किए गए हैं जिनमें और व्यक्तियो के साथ-साथ, फिल्म उद्योग के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी शामिल हैं । इसके अलावा, विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और इतिहास से अवगत कराने के लिए ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों के अनेक भाषणों की भी व्यवस्था की जाती है । कोर्स को लम्बा करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु जब संस्थान में टेलीविजन कोर्स शुरू किया जाएगा उस समय इस पहलू पर विचार किया जाएगा ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

वन उत्पादों का निर्यात और आयात

5227. श्री राज देव सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में बड़े तथा छोटे वन उत्पादों का निर्यात क्रमश: 7.75 करोड़ तथा 12.921 करोड़ रुपये का था तथा इसी अवधि में बड़े तथा छोटे वन उत्पादों का क्रमश: 30.1 करोड़ और 2.164 करोड़ रुपये का आयात किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने निर्यात को बढ़ाने तथा आयात को कम से कम करने की सम्भाव्यता की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य के बारे में क्या सम्भावनायें हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

टूना मछली को महाजाल द्वारा पकड़ने के बारे में सर्वेक्षण

5228. **श्री राज देव सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूना मछली को महाजाल द्वारा पकड़ने के बारे में कोई सर्वेक्षण शुरू किया गया है ताकि मछली की इस महत्वपूर्ण जाति को समुद्र से निकाला जा सके जिसको इस समय हिन्द महासागर से जापान तथा रूस द्वारा निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां । भारत नार्वे परियोजना और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र द्वारा परिचालित जहाजों द्वारा टूना मछली को महाजाल द्वारा पकड़ने के सम्बन्ध में परीक्षण के तौर पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ख) प्रारम्भिक प्रशिक्षण और परीक्षणात्मक आपरेशनों के उपरान्त 10 जहाजों को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया, जिससे कि यह निश्चय किया जा सके कि महाजाल द्वारा टूना मछली को पकड़ने के लिये किस प्रकार के जहाज और गियर उपयुक्त रहेंगे । प्राप्त अनुभव के आधार पर, नये गियर का निर्माण किया जा रहा है और डैक फिटिंग को भी बदला जा रहा है । प्रयोग जारी हैं और कुछ समय तक निरन्तर सर्वेक्षण करने के उपरान्त ही पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे । अब तक प्राप्त संकेतों के आधार पर लक्कादीव समुद्र क्षेत्र में महाजाल द्वारा टूना मछली पकड़ने की पर्याप्त सम्भावनायें मौजूद हैं । केरल के तट लक्कादीव, मिनीक्वाय और वेज तट के निकट और गुजरात के दूरस्थ समुद्र क्षेत्र में भी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

कपास तथा रूई के मूल्य

5229. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष के लिये कपास तथा रूई के मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1969–70 के लिय रूई सम्बन्धी नीति तैयार कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रुई के बाजार भाव को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों द्वारा कपास उगाने वाले कपास की खरीद के मूल्य को निर्धारित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). 1969–70 के लिये कपास की मूल्य नीति तैयार की जा रही है और शीघ्र ही घोषित की जायेगी ।

पहाड़ी धीरज सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली

5230. श्री श्रीगोपाल साबू : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 7 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2711 और 2712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित पहाड़ी धीरज सहकारी गृह-निर्माण समिति के चार सदस्यों ने दिल्ली में भूमि / मकान प्राप्त करने की बात की सूचना औपचारिक रूप से एक महीने के अन्दर दे दी थी, यदि हां, तो किस तारीख को और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इन सदस्यों ने दिल्ली में भूमि / मकान कब और कहां से प्राप्त किये थे और वे कितने समय से अनधिकृत रूप से अपनी सदस्यता कायम रखे हुए हैं ;

(ग) उनकी सद स्यता को इतने लम्बे समय में समाप्त न करने तथा इस तथ्य को एक महीने के अन्दर न बताने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) दोषी पद-धारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने इतने लम्बे समय तक यह अनियमितता चलने दी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क). जी, नहीं । दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीयक को दिल्ली में भूमि / भवन प्राप्त करने की बात की सूचना न देने के कारणों का पता नहीं है ।

(ख) से (घ). एक सदस्य के पास समिति के पंजीकरण से पहले मकान था । उस समय समिति की उपविधियों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था कि जिन व्यक्तियों के पास भूमि / मकान हो वे इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं । शेष तीन सदस्यों ने बाद में भूमि / मकान प्राप्त किए । समिति के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कब और कहां से भूमि / मकान प्राप्त किए गए । ये व्यक्ति प्रवर्तक सदस्य थे इसलिए समिति ने अपने सामान्य निकाय की बैठक में उन्हें अपनी सदस्यता से अलग करने के विरुद्ध इस शर्त पर निर्णय लिया कि उन्हें कोई प्लाट आवंटित नहीं किया जाएगा । यह कोई अतिलंघन अथवा अनियमितता नहीं है जिसके लिए सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा कार्यवाही की जा सके ।

चलचित्रों में चुम्बन तथा नग्न दृश्य

5231. **श्री बि० प्र० मंडल :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 अगस्त, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार एक सरकारी समिति को फिल्मों में चुम्बन अथवा नग्न दृश्य शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रथा से देश के युवकों के मन पर विनाशकारी प्रभाव पैदा होना अनिवार्य है ;

(ग) क्या भारतीय फिल्मों में चुम्बन तथा नग्नता भारतीय परम्परा तथा संस्कृति के अनुसार है ; और

(घ) इस नये प्रस्ताव का औचित्य क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). खोसला समिति ने फिल्म सेंसर के बारे में अपनी रिपोर्ट में, जो सरकार को 31 जुलाई, 1969 को पेश की गई थी और जिसमें निष्कर्षों के सारांश की एक प्रति 6 अगस्त, 1969 को सदन की मेज पर रखी गई थी, और बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि यदि कहानी के फिल्मांकन में चुम्बन या नग्न शरीर का प्रदर्शन दिखाया जाना आवश्यक हो तो ऐसे शाट को काट देने का कोई कारण नहीं होना चाहिए बशर्ते कि ऐसा बड़ी सूझ-बूझ तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से किया गया हो और यह कामुक अथवा भोंडा न हो । सरकार द्वारा सारी रिपोर्ट पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

5232. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67, 1967–68 तथा 1968–69 में भारत में वस्तुतः कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ ;

(ख) वर्ष 1969–70 में कितना उत्पादन होने की संभावना है ; और

(ग) पहले वर्षों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ; और

(घ) यदि उत्पादन में कमी हो रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966-67 और 1967-68 के लिए भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	उत्पादन
	(हजार मैट्रिक टनों में)
1966–67	74,231 (ज)
1967–68	95,588 (ब)

(ज) आंशिक संशोधित अनुमान

(ब) अन्तिम अनुमान

1968-69 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तैयार नहीं हैं।

(ख) अभी 1969-70 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं होते।

आकाशवाणी में प्रोड्यूसर

5233. श्री कृ० दे० त्रिपाठी : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 7 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2662 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में प्रोड्यूसरों के बारे में दी गई सूचना गलत नहीं है ;

(ख) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में 58 और 60 वर्ष की आयु से अधिक के प्रोड्यूसरों के नाम क्या हैं ;

(ग) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) में बताई गई सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुये 55 से अधिक आयु के प्रोड्यूसरों में से प्रत्येक प्रोड्यूसर किस तारीख को सेवा-मुक्त होगा ; और

(घ) अगले दो महीने में सेवामुक्त होने वाले प्रोड्यूसरों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली से सम्बन्धित आंकड़ों में कुछ अशुद्धि हो गई थी। 55 और 60 वर्ष से अधिक की आयु के प्रोड्यूसरों से सम्बन्धित कालम 8 और 10 के अन्तर्गत जो सूचना दी गई थी वह 30 सितम्बर, 1969 को क्रमशः 3 और 2 होनी चाहिए थी। भूल से यह अलग-अलग शीर्षकों के अन्तर्गत नहीं दी गई।

(ख) 58 साल से अधिक की आयु के	शून्य
60 साल से अधिक की आयु के	1. श्री प्रताप सिंह चौधरी 2. श्री बी० आर० पालीवाल ।

(ग) जो प्रोडयूसर 55 साल से अधिक की आयु के हैं या 30 सितम्बर, 1969 को हो जाएंगे और उसके बाद रिटायर होने वाले हैं, उनके नाम ये हैं :—

1. श्री प्रताप सिंह चौधरी
2. श्री कुलदीप सिंह अख्तर
3. श्री बी० आर० पालीवाल
4. श्री चिंतामणि जैन
5. श्री मोहन सिंह सेंगर ।

(घ) 1. श्री प्रताप सिंह चौधरी, 2. श्री कुलदीप सिंह अख्तर, 3. श्री बी० आर० पालीवाल ।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर द्वारा दुर्व्यवहार

5234. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र की ट्रान्सक्रिप्शन एण्ड प्रोग्राम एक्सचेंज सेवा में एक प्रोड्यूसर को एक स्टाफ आर्टिस्ट ने तमाचा मार दिया था तथा इस काण्ड की जांच होने के परिणामस्वरूप उसका तबादला दिल्ली के बाहर दूसरे केन्द्र में कर दिया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली केन्द्र में एक प्रोड्यूसर द्वारा एक इंजीनियर के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करने के बाद भी उक्त प्रोड्यूसर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) दिल्ली में प्रोड्यूसर के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने तथा इस दुर्व्यवहार के लिये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग म राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्बन्धित प्रोड्यूसर द्वारा लिखित में क्षमा मांगने और इंजीनियरिंग सहायक द्वारा शिकायत वापिस ले लेने के बावजूद भी उसको चेतावनी दी गई है ।

(ग) पहले मामले में स्टाफ आर्टिस्ट ने अपने व्यवहार के लिए पश्चाताप नहीं किया, अतः अनुशासन के दष्टिकोण से उसको दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया । तथापि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के सामने उस द्वारा मौखिक रूप से खेद प्रकट करने के बाद उसे वापिस दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया ।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के स्कूल कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित किये जाने वाले अंग्रेजी के पाठ

5235. श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 31 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1631 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के स्कूल कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित किये अंग्रेजी पाठों के तैयार करने के लिये श्री बारलो नामक व्यक्ति तथा अन्य ब्रिटिश राष्ट्रिकों को दी गई राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या आकाशवाणी के अधिकारी प्रसारण सामग्री भेजने के लिये सीधे ब्रिटिश परिषद् को लिखते रहे हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन में स्कूल प्रसारण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रसारण कार्यक्रमों के कार्यक्रम संचालक (प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव) की प्रति नियुक्ति का प्रायोजन ब्रिटिश परिषद् द्वारा किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अंग्रेजी पाठों को तैयार करने के लिये किसी को भुगतान नहीं किया गया था । तथापि, जब पाठ प्रारम्भ किये गये थे, दो अवसरों पर—जुलाई, 1966 तथा अगस्त, 1966—भाग लेने के लिये श्री जोन मिल्स को 35/- रुपये प्रति प्रसारण के हिसाब से फीस दी गई थी ।

(ख) जी हां, कभी-कभी । जब आकाशवाणी ने दिल्ली प्रशासन के सुझाव के अनुसार पाठों को प्रसारण करना मन्जूर कर लिया तो आकाशवाणी के लिये शीघ्र प्रबन्धों के हित में यह जरूरी था कि वह ब्रिटिश परिषद्, जो पाठों को तैयार करने में दिल्ली प्रशासन की सहायता कर रही थी, से सम्पर्क बनाये रखे ।

(ग) जी नहीं ।

आकाशवाणी के शिमला केन्द्र के सह-सम्पादकों को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल न करना

5236. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के शिमला केन्द्र में सह-सम्पादकों ने केन्द्रीय सूचना सेवा में उन्हें शामिल न किये जाने के विरोध में 1 अगस्त, 1969 को वेतन स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) उन्हें केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि किन्हीं अन्य केन्द्रों के ऐसे कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना सेवाओं में शामिल नहीं किया गया, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ; वे मानिटोरिंग सेवा के निदेशक के कार्यालय के उप-सम्पादक हैं आकाशवाणी के शिमला केन्द्र के नहीं । इस बीच उन्होंने अपना वेतन ले लिया है ।

(ख) उन्हें केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है ।

(ग) जो पद केन्द्रीय सूचना सेवा में पहले ही शामिल हैं उनके अलावा आकाशवाणी के केन्द्रों में पत्रकारिता सम्बन्धी और कोई पद नहीं हैं जिससे कि वे केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल किए जाने के अर्ह हो सकें ।

भारत-जर्मन कृषि विकास योजना

5237. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-जर्मन विकास परियोजना के अन्तर्गत समेकित विकास कार्यक्रम के लिए किन-किन जिलों को चुना गया है ;

(ख) जिलों के चयन का मानदण्ड क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले को चुनने के सुझाव पर विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) भारत-जर्मन कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत समेकित विकास कार्यक्रम के लिए अब तक चुने गए जिले निम्न प्रकार हैं :—

1. मण्डी तथा कांगडा (हिमाचल प्रदेश)
2. नीलगिरि (तमिलनाडु)
3. अलमोड़ा (उत्तर प्रदेश)

(ख) हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर कि 1962 में शुरुआत के तौर पर परियोजना प्रारम्भ की गई थी, कृषि विकास के अनुभवों के आधार पर जर्मन विशेषज्ञों ने देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है । इस आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम चुनाव किया गया था ।

(ग) गैर-पहाड़ी क्षेत्र में एक अतिरिक्त परियोजना के लिए जर्मन सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आकाशवाणी का "टू डे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम

5238. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक-सभा में 8 अगस्त, 1969 का गैर-सरकारी कार्य, जो उस दिन पूरा नहीं हुआ था, का न तो 'टू डे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम में और न ही 8 अगस्त के रात्रि एवं 9 अगस्त के (प्रातःकालीन समाचार) प्रसारणों में उल्लेख किया गया जब कि तथ्य यह है कि इस प्रकार अपूर्ण चर्चाओं का उल्लेख पहले होता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो आकाशवाणी से इसका प्रसारण किस समय किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). अन्य महत्त्वपूर्ण समाचारों की अधिकता और बहस के पूरा न होने के कारण इस पर ध्यान न दिया जा सका । सामान्यत: जब एक सदस्य का बिल पर भाषण पूरा नहीं होता तो इस पर उस दिन ध्यान दिया जाता है जिस दिन बिल पर वास्तव में बहस होनी है ।

चावल की ताइचून और आई० आर०-8 किस्मों का स्वास्थ्य पर प्रभाव

5239. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल की नई किस्मों (ताइचून और आई० आर०-8 का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो चावल की नई किस्मों और पुरानी किस्मों के विटामिन तत्वों में क्या अन्तर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) चावलों की पोषक क्षमता उनके अन्तर्गत विद्यमान प्रोटीन तत्वो और थियामाइन और लाइसीन सहित एमिना-एसिड आदि संघटनात्मक तत्त्वों के सन्तुलन पर निर्भर करती है । परम्परागत रूप से प्राप्त चावलों की किस्मों में 7 से 8 प्रतिशत तक प्रोटीन रहता है । ताइचुंग नेटिव 1, आई० आर०-8, जय और पदमा आदि नूतन अधिक उत्पादनशील किस्मों में प्राय: स्थानीय किस्मों के समकक्ष ही प्रोटीन तत्व विद्यमान होता है। इनसे भी अधिक प्रोटीन क्षमता वाली किस्मों के अभिजनन के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। चावलों की निर्मुक्त हुई बौनी किस्म पोषक क्षमता में स्थानीय किस्मों से घटिया नहीं है ।

थियामाइन जो कि चावलों की ऊपरी परतों में रहता है की अनुकूलतम विद्यमानता दर 0·25 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम समझी जाती है। उपरोक्त सभी बौनी किस्मों के चावलों में थियामाइन तत्व की विद्यमानता या तो अनूकूलतम है अथवा अनुकूलतम से अधिक। इसी प्रकार जिस किस्म में लाइसीन 3·5 प्रतिशत की दर से विद्यमान रहता है तो उसे अनूकूलतम समझा जाता है। नयी किस्मों के अन्तर्गत एमिनो एसिड की सन्तोषपूर्ण अनुकूलतम मात्रा पायी जाती है ।

दिल्ली में आवास सहकारी समितियों का पंजीकरण

5240. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नई आवास सहकारी समितियों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रुप आवास सहकारी समितियों सम्बन्धी आदर्श उपनियम जुलाई, 1968 में जनता के लिये उपलब्ध किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नई समितियों के पंजीकरण की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि सरकार का इरादा निकट भविष्य में नई सहकारी समितियों के पंजीकरण की अनुमति देने का नहीं है, तो ग्रुप आवास सहकारी समितियों के लिये आदर्श उपनियम जारी करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरांवाला सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली

5241. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरांवाला सहकारी गृह-निर्माण समिति को प्लाटों के आवंटन के लिये 9 अगस्त, 1969 को लाटरी निकालने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से इच्छुक क्रेता/सदस्यों को इस लाटरी में भाग नहीं लेने दिया गया और यह लाटरी थोड़े से चुने हुए सदस्यों तक ही सीमित रखी गई; और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और क्या सहकारिता नियमों के अधीन एसा किया जा सकता है;

(ग) इस समय 242 वर्ग गज के प्लाटों के लिये कितने इच्छक क्रेता/सदस्य हैं और 9 अगस्त, 1969 को प्लाटों की लाटरी के लिये किन-किन सदस्यों के नामों पर विचार किया गया था और ऐसे इच्छुक क्रेता/सदस्यों की संख्या कितनी है जो 220 वर्ग गज के प्लाट लेना चाहते थे लेकिन जिन्होंने इस समिति के प्रबन्धकों की चाल में आकर उसके बदले 167 वग गज के प्लाट लेना स्वीकार कर लिया; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस समिति से अपने सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करने को कहने का है; और यदि नहीं, तो सरकार की नीति क्या होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) सहकारी गृह-निर्माण समितियों के सदस्यों को विकसित प्लाटों का आवंटन समितियो द्वारा उनके तथा उप-राज्यपाल के बीच हुए पट्टा-समझौते की शर्तों के अनुसार दिल्ली के उप-राज्यपाल की मंजूरी से किया जाता है । पात्र सदस्यों की सूची वरिष्ठता/ नाम-प्रवेश की तारीख के अनुसार बनाई जाती है किन्तु पात्र सदस्यों में प्लाटों का वास्तविक नियतन पर्ची निकाल कर किया जाता है । गुजरांवाला कोआपरेटिव हाउस बिल्डिग सोसायटी के बारे में भी पात्र सदस्यों की सूची पर्ची निकालने की तारीख से पूर्व बना ली गई थी । चूंकि विभिन्न आकारों के प्लाट आवंटन चाहने वाले सदस्यों की संख्या से कम थे अत: सभी सदस्यों को उतने आकार के प्लाट आवंटित नहीं किये जा सके जिसके लिए उन्होंने धनराशि का भुगतान किया था । अत: नाम-प्रवेश

की तारीख को देखते हुए इन सदस्यों को या तो छोटे आकारों के प्लाट लेने का प्रस्ताव किया गया या उस समय तक प्रतीक्षा करने को कहा गया जब तक कि समिति को आवंटित होने वाले अतिरिक्त क्षेत्र को विकसित नहीं किया जाता है, यदि वे उतने ही आकार के प्लाटों का आवंटन चाहते हों जितने के लिए कि उन्होंने धनराशि का भुगतान किया था। प्लाटों के आवंटन के लिए अपनाये गये तरीके से सहकारी नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ग) समिति ने सूचित किया है कि 234 सदस्यों ने 242 वर्ग गज के प्लाटों का आवंटन करने के लिए निवेदन किया था। इसके मुकाबले में समिति के पास 117 प्लाट 225 से 242 वर्ग गज के बीच के थे और 12 प्लाट 175 से 200 वर्ग गज के बीच के। अतः केवल 117 तथा 12 सदस्यों को नाम-प्रवेश की तारीख को ध्यान में रखते हुए प्लाट आवंटित करने के बारे में ही विचार किया जा सकता था। शेष 105 सदस्यों में से 69 ने समिति को लिख कर दिया था कि उन्हें 167 वर्ग गज के प्लाटों का आवंटन करने पर विचार किया जा सकता है और 36 सदस्यों ने तब तक प्लाटों के आवंटन की प्रतीक्षा करना स्वीकार किया जब तक कि समिति को आवंटित होने वाले अतिरिक्त क्षेत्र को विकसित नहीं किया जाता है।

(घ) जी नहीं। सरकार दिल्ली प्रशासन द्वारा सदस्यों को आवंटन करने के लिए अपनाई गई वर्तमान प्रणाली को न्यायोचित समझती है।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति

5242. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार द्वारा दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के किस-किस वर्ष के लेखों की लेखापरीक्षा की गई है और उनमें क्या अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) उनके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और सदस्यों के हितों की रक्षा के लिये भविष्य में ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिये क्या उपचारी उपाय करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या संस्था ने उसको दी गई भूमि अपने नियंत्रण में ले ली है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक सदस्य से कितना धन लिया गया है और यह धन किस प्रयोजन हेतु लिया गया है; और

(ङ) क्या सदस्यों से ली गई भूमि की लागत की राशि को सरकार के पास जमा करा दिया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के लेखाओं की वर्ष 1966–67 तक लेखा-परीक्षा की गई है। बाद के वर्षों की लेखा-परीक्षा की जा रही है। अनियमितताओं का ब्यौरा लेखा-परीक्षा समाप्त होने पर ही दिया जा सकता है।

(ग) जी हां ।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) सदस्यों से एकत्र की गई 11,29,840 रुपये की राशि दिल्ली प्रशासन के पास पहले ही जमा कर दी गई है ।

हैदराबाद में टेलीफोन लगाये जाने के बारे में विवाद

5243. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक विभाग और सड़क तथा इमारत (राज्य) विभाग के बीच टेलीफोन लगाये जाने के बारे में विवाद के सम्बन्ध में पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, हैदराबाद से कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) सड़क तथा इमारत (राज्य) विभाग ने किन-किन स्थानों पर टेलीफोन पोल लगाने पर आपत्ति की और आन्ध्र प्रदेश में इस आपत्ति के क्या कारण थे; और

(ग) क्या डाक विभाग को नियमों के अंतर्गत यह अधिकार है कि वह राज्य की सड़कों के पास टेलीफोन के खम्भे लगा सकता है; यदि हां, तो नगर क्षेत्रों में सड़क से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ा जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस आशय की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है ।

(ख) आंध्र प्रदेश सड़क तथा इमारत विभाग ने पांच मामलों में जिला कृष्णा, श्रीकाकुलम, चित्तर और पूर्वी गोदावरी में राज्य की सड़कों के पास टलीफोन के खम्भे लगाने पर आपत्ति की है । सड़क तथा इमारत विभाग ने इस बात पर जोर दिया था कि खम्भे सड़क के ठीक बीच से 50 फुट की दूरी पर लगाये जायें, जो कि कुछ मामलों में व्यावहारिक नहीं था । कुछ आपत्तियों का तो विचार-विनिमय के बाद समाधान हो गया है, और बाकी के बारे में राज्य सरकार के साथ लिखा-पढ़ी चल रही है ।

(ग) भारतीय तार अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत डाक-तार विभाग सड़कों के पास खंभे लगाने के लिए प्राधिकृत है । सड़क से कितनी दूरी होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में इन नियमों में कोई सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं ।

कोपरी कालोनी, थाना और मुलन्द (महाराष्ट्र) में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

5244. **श्री किकर सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में कोपरी कालोनी, थाना और मुलन्द में बनी बहु-मंजिल इमारतों में रहने वाले विस्थापितों से नीचे दिये गये क्षेत्रों में प्रत्येक मकान की ली जाने वाली

लागत की राशि तय कर ली है :

कालोनी	क्षेत्र वर्ग फुट	लागत रुपये
1. कोपरी कालोनी	895	3767 और 3710
2. मुलन्द कालोनी	1283	3669
	684	3247

(ख) क्या प्रति मकान अन्तिम लागत में कोई 600 रुपये की कमी की गई है;

(ग) यदि हां, तो जिन आदेशों के अन्तर्गत कमी की गई थी वे किन शीर्षों के अन्तर्गत आते हैं; और

(घ) प्रत्येक मकान के सम्बन्ध में जि हें इन इमारतों की लागत में शामिल किया गया है (1) बनी इमारतों के अन्तर्गत भूमि और (2) और इनके इर्द-गिर्द की खुली भूमि का क्षेत्रफल कितना-कितना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोपरी कालोनी और मुलन्द (महाराष्ट्र) में विस्थापित व्यक्तियों से मकानों की वसूल की गई लागत तथा इन मकानों का क्षेत्र निम्न में दिये गये हैं :—

	बस्ती	क्षेत्र	लागत
	कोपरी कालोनी		
(i)	(क) मध्य मकान	319.23 वर्ग फुट	3106 रुपये
	(ख) कोने के मकान	330.3 वर्ग फुट	3255 रुपये
	मुलन्द कालोनी		
(ii)	मकान 63 से		2567 रुपये
	440 वर्ग गज		से 7155 रुपये

(ख) उपरोक्त मूल्य 1955 में निर्धारित किये गये थे और उसके बाद उनमें कोई कमी नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इन मकानों के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है। प्रत्येक मकान के लिए निर्मित किये गये तथा छोड़े गये क्षेत्र का ब्यौरा सुगमता से उपलब्ध

नहीं है। इस जानकारी को एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त संभावी परिणामों के अनुरुप नहीं होगा।

देहाती क्षेत्रों में डाकघरों का कार्यकरण

5245. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश के अधिकांश डाकघरों में विशेषतया देहाती क्षेत्रों में काऊंटरों तथा डाक कर्मचारियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन बहुत कम डाकघरों में और वह भी विशेषकर शहरी क्षेत्रों में डाकघरों के लिए किराये का उपयुक्त स्थान प्राप्त करने की वभाग की असमर्थता के कारण काऊंटरों की अस्थायी तौर पर कमी हो सकती है। किंतु यह ठीक नहीं है कि आम तौर पर कर्मचारियों की कमी है। डाकघरों के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न किये जाते हैं।

रेलवे डाक-सेवा का कार्यालय

5246. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रेलवे डाक-सेवा ठीक प्रकार से नहीं चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। समूचे तौर पर भारत में रेल डाक सेवा का कार्य ठीक चल रहा है।

(ख) फिर भी, रेल डाक-सेवा के डिब्बों और डाक कार्यालयों में स्थान की कमी होने और डाक डिब्बों में रोशनी की व्यवस्था खराब होने जैसी कुछ समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमने डाक डिब्बों और डाक कार्यालयों के निर्माण के लिए कार्यक्रम बनाया है। डाक डिब्बों में रोशनी की उचित व्यवस्था करने के लिए रेल अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

सेंसरकृत चलचित्र

5247. **श्री जुगल मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 8 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंसरकृत चलचित्रों के बारे में अपेक्षित जानकारी सरकार द्वारा इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):(क) और (ख) आश्वासन पूरा करने के लिए सूचना एकत्र कर संसदीय कार्य विभाग को 18 अगस्त, 1969 को भेजी जा चुकी है। तथापि, एक और विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 18.80/69]

गुजरात में ग्राम्य सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता

5248. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के ग्रामों में ग्राम्य सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित उपभोक्ता सेवा के निमित्त योजनाओं के लिए गुजरात सरकार को केन्द्रीय सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी ; और

(ख) ये समितियां किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) शहरी उपभोक्ता भंडारो की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के पूरक के रूप में भारत सरकार ने 1963-64 में विपणन तथा ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोज्य वस्तुओं के वितरण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत चुनी हुई विपणन समितियों में से प्रत्येक को अंशपूंजी अंशदान तथा प्रबन्धकीय उपदान के रूप में क्रमश: 10,000 रुपये तथा 5,000 रुपये तक की सहायता दी गई। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष से राज्यक्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गुजरात राज्य में 3897 ग्रामीण सहकरी समितियां तथा 193 विपणन सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोज्य वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रही थीं। जहां वे स्थित थीं, उन स्थानों के नाम तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

हड़ताल में भाग लेने के कारण केरल में डाक और तार कर्मचारियों को मुअत्तिल किया जाना

5249. श्री पी० विश्वम्भरन : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में डाक तथा तार विभाग के ऐसे स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण अभी तक मुअत्तिल पड़े हैं;

(ख) उनमें से कितने लोगों को आरोप-पत्र दिये गये हैं ;

(ग) कितने लोगों ने आरोपपत्रों के उत्तर दे दिये हैं ; और

(घ) कितने मुअत्तिल कर्मचारियों को आरोप-पत्र नहीं दिये गये और उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ऐसे कर्मचारियों की संख्या 139 है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल सर्किल के डाक और तार कर्मचारियों का पुनः काम पर लगाया जाना

5250. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष 19 सितम्बर की सांकेतिक हड़ताल के कारण केरल सर्किल के डाक व तार विभाग के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको अभी तक काम पर पुनः नहीं लगाया गया है ;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों ने डाक व तार अधिकारियो को पुनर्विचार के लिए याचिकायें दी हैं ;

(ग) पुनर्विचार के लिये दी गई याचिकाओं के पश्चात् कितने कर्मचारियों को पुनः काम पर लगा लिया गया है ; और

(घ) पुनर्विचार के लिये दी गई कितनी याचिकाओं पर निर्णय किया जाना शेष है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ऐसे कर्मचारियों की संख्या 142 है ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के कर्मचारियों को वरिष्ठता, पदोन्नति तथा स्थायीकरण का अधिकार

5251. **श्री स० कुन्डू :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति तथा स्थायीकरण के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई नियम है ;

(ख) क्या डी० ई० टी० कटक, उड़ीसा सर्किल ने ऐसे नियमों का उल्लंघन किया है और क्या ऐसी शिकायतें आई हैं ;

(ग) क्या डी० ई० टी० कटक कार्यालय में 1957 में भर्ती किये गये कुछ क्लर्कों को 1956 में भरती किये गये अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियो के क्लर्कों से वरिष्ठ बना दिया गया है और क्या ऐसा करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं । (ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) जी हां । 1956 में भर्ती किये गए तीन अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के क्लर्कों को स्थायीकरण परीक्षा पास करने के लिए मिलने वाले 4 अवसरों में उक्त परीक्षा पास न कर सकने के कारण उस समय लागू आदेशों के अनुसार 1957 में भर्ती किये गए कुछ कर्मचारियों से जूनियर बना दिया गया था ।

टेलीविजनों का उत्पादन

5252. श्री स० कुन्डू : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में टेलीविजन सेटों के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने टेलीविजन सेटों का निर्माण होने की सम्भावना है और टेलीविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से स्थान आयेंगे;

(ग) क्या टेलीविजन सेटों के उत्पादन के लिए कोई लाइसेंस दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और अब तक ऐसे कितने सेट बन चुके हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) जी, नहीं। मामला विचाराधीन है। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में श्रीनगर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर/लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने और दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ग) चार फर्मों को प्रति वर्ष कुल 30,000 सेटों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिये गए हैं।

(घ) लाइसेंस 1967 में जारी किये गए थे। जुलाई, 1969 तक इनमें से एक फर्म द्वारा 760 सेट बनाए जा चुके हैं।

देश में ग्रामीण ऋणग्रस्तता

5253. श्री न० रा० देवघरे : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का पता लगाने के लिये हाल में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि भारत के रिज़र्व बैंक ने 1961-62 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा नियोजन सर्वेक्षण किया था। उस सर्वेक्षण के निष्कर्ष रिज़र्व बैंक के 'ऑल इंडिया रूरल डेट एण्ड इनवेस्टमेंट सर्वे 1961-62, (आउट स्टेंडिग लोन्स, बॉरोइंग्ज़ एण्ड पेमेंट ऑफ रूरल हाउस होल्डस)' नामक समूल्य प्रकाशन में दिये गये हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए इस समय सरकार का कोई सर्वेक्षण कराने का विचार नहीं है।

आकाशवाणी, दिल्ली के अधिकारियों द्वारा समाचारपत्रों के लिये लिखे गये लेख

5254. **श्री कृ० चं० त्रिपाठी :**
श्री एस० एम० जोशी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 7 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2659 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आकाशवाणी के उन कर्मचारियों के विशेष विवरणों की जांच के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की थी जो दिल्ली के समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में नियमित रूप से राजनीतिक लेख भेजते रहे थे;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि आकाशवाणी दिल्ली के हिन्दी प्रोड्यूसर ने वर्ष 1967–68 में 'राजनीति का एक विद्यार्थी' के नाम दिल्ली के 'नवभारत टाइम्स' तथा हिन्दी के 'हिन्दुस्तान' में अनेक राजनीतिक लेख भेजे थे जिनमें आर्थिक मामलों तथा बाह्य नीतियों के सम्बन्ध में सरकार की आधारभूत नीतियों की आलोचना की गई थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में जांच करने तथा उक्त प्रोड्यूसर के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) सरकार को आकाशवाणी के किसी भी कर्मचारी द्वारा समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को राजनीतिक लेख भेजे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । इस प्रश्न की सूचना प्राप्त होने पर इस बारे में जांच की गई और यह पाया गया कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र का एक प्रोड्यूसर 30 साल से 'राजनीति का एक विद्यार्थी' के उप नाम से लेख लिखता रहा है । उस प्रोड्यूसर के अनुसार 1967-68 के दौरान उस द्वारा भेजे गये लेख राजनैतिक या विवादास्पद प्रकृति के नहीं हैं और उनमें आर्थिक तथा विदेशी मामलों के बारे में सरकार की आधारभूत नीतियों की आलोचना नहीं थी । इन लेखों के भेजने के लिए उसने अनुमति नहीं ली थी ।

(ग) प्रोड्यूसर द्वारा भेजे गये लेखों की जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं और आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति को विनियमन करने वाले नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

इन्द्रा मार्केट में सामान्य समय के बाद दुकानें खुली रहना

5255. **श्री जुगल मंडल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 15 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9795 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग ने उनके दिनांक 30 मई, 1969 के पत्र संख्या 1478/एम० एन० डी० पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) कितनी बार दुकान निरीक्षक इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में साढ़े आठ बजे रात को, जो कि दुकानें बन्द करने का समय है, दुकानों पर गये हैं और कितनी बार दुकानें बन्द के समय के बाद भी दुकानें खोली रखने के कारण फल व्यापारियों का चालान किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क)

यह बताया गया है कि दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है ।

(ख) पहली जून से 21 अगस्त, 1969 के दौरान दुकान निरीक्षक ने छः बार दौरा किया । दुकानें बन्द करने के समय सम्बन्धी उपबन्धों के उल्लंघन के कारण फल और सब्जी व्यापारियों के विरुद्ध 26 अभियोजन चलाये गये हैं ।

मद्रास बन्दरगाह में अनाज की ढुलाई

5256. **श्री देवेन सेन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास बन्दरगाह में अनाज की ढुलाई का काम भारत के खाद्य निगम को कब सौंपा गया था;

(ख) मद्रास बन्दरगाह में अनाज की ढुलाई करने वाले मजदूरों के नाम भविष्य निधि की राशि को मंत्रालय से भारतीय खाद्य निगम में कब हस्तांतरित किया गया था;

(ग) क्या मद्रास बन्दरगाह में अनाज की ढुलाई करने वाले कर्मचारियों को कोई आश्वासन दिया गया था कि उनके लिये एक औषधालय खोला जायेगा;

(घ) यदि हां, तो आश्वासन कब दिया गया था तथा औषधालय खोलने में क्या बाधा पड़ रही है; और

(ङ) क्या उपर्युक्त मजदूरों को उपदान का लाभ देने का आश्वासन दिया गया था और यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 16 दिसम्बर, 1968 से ।

(ख) मद्रास में काम कर रहे विभागीय कर्मचारियों की अंश दयी भविष्य निधि की राशि भारतीय खाद्य निगम को अभी हस्तान्तरित नहीं की गई है । यह मामला अभी विचराधीन है ।

(ग) और (घ) 21-5-66 को भारत सरकार तथा परिवहन एवं गोदी कर्मचारी संघ मद्रास के बीच समझौते के स्मरण पत्र में यह प्रावधान है कि मद्रास में काम कर रहे विभागीय खाद्यान्न कर्मचारियों को जब कभी इस सम्बन्ध में मजदूर हो जाते हैं, बहिरंग चिकित्सा की सुविधाएं दी जायेंगी । विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के बाद गोदी मजदूर बोर्ड मद्रास द्वारा चलायी जाने वाली डिस्पेन्सरी के माध्यम से इस मदद देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पाया था । भारतीय खाद्य निगम ने अब एक डिस्पेन्सरी चलाने का निर्णय लिया है । ऐसी आशा की जाती है कि यह 2-10-69 से कार्य शुरू कर देगी ।

(ङ) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । तथापि, यह मामला विचाराधीन है ।

उपभोक्ता वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य

5257. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964, 1965 और 1969 के आरम्भ में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं, जिनमें दूध उत्पादन, कपड़ा, मसाले और साबुन आदि हैं, के तुलनात्मक मूल्य क्या थे;

(ख) इन पांच वर्षों में इन वस्तुओं के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और प्रत्येक वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार ने इन वर्षों में मूल्यों को स्थिर करने के लिये क्या कार्यवाही की है और उन उपायों के इस उद्देश्य में असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अवधि में कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी में कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Talks in Hindi on Independence and Republic Days from A.I.R.

5258. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the same person was called for giving a talk on the Republic Day and the Independence Day this year by the Delhi Station of All India Radio ;

(b) whether it is also a fact that the said person has no qualifications in Hindi, if so, the reasons for which such persons whose mother tongue is not Hindi are called for taking part in Hindi programmes on such occasions ; and

(c) the remedial measures proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Does not arise.

Private work done by Engineers of A.I.R. Delhi

5259. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Engineers of the Delhi Station of A.I.R. do private work for some firms on the machines in A.I.R. studio and receive payment from these firms ;

(b) whether it is also a fact that the Officers have unearthed one such case consequent to which one Engineer was transferred from the Recording Unit to some other place ;

(c) if so, the name of the said Engineer and whether Government would lay on the Table of the House a statement showing the names of other engineers found guilty ; and

(d) the steps taken by Government to check such malpractices in future ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) and (b) No such case has come to Government's notice.

(c) Does not arise.

(d) Adequate provisions in the rules exist for checking malpractices.

Transfer of Brij Madhuri Programme from Delhi to Mathura

5260. Shri George Fernandes : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state

(a) whether it is a fact that Government propose to transfer 'Brij Madhuri' programme and the other programme broadcast in Brij Language from All India Radio Delhi to All India Radio Mathura ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be done ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. A proposal to present the Braj Karyakaram from Mathura is under consideration, though it would continue to be broadcast from both Mathura and Delhi stations.

(b) When arrangements are completed.

आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्र में विभागीय कलाकार (स्टाफ आर्टिस्ट)

5261. श्री राजदेव सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी दिल्ली के दूरदर्शन (टेलीविजन) केन्द्र में काम करने वाले विभागीय कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्टों) जिनमें निर्माता, सहायक निर्माता शामिल हैं, की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक कलाकारों को अपनी श्रेणी से भिन्न कार्य पर लगाया गया है और जो वे करते हैं उसके लिये उनको वेतन नहीं दिया जाता;

(ग) यदि हां, तो ऐसे विभागीय कलाकारों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जिन्हें उनकी नियुक्ति के करारों और शर्तों के अनुसार कार्य नहीं दिया गया;

(घ) टेलीविजन केन्द्र में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की भर्ती का तरीका क्या है; और

(ङ) टेलीविजन केन्द्र में प्रोडक्शन असिस्टेंटों की ड्यूटियां क्या हैं और ये आकाशवाणी के प्रोडक्शन असिस्टेंटों के कार्यों से किस प्रकार भिन्न हैं और टेलीविजन केन्द्र में सभी वर्तमान प्रोडक्शन असिस्टेंटों की योग्यताएं क्या-क्या हैं और उनकी भर्ती कैसे की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) 117.

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सभी मामलों में सीधी भर्ती प्रोड्यूसर और सहायक प्रोड्यूसरों की श्रेणियों में पदोन्नति द्वारा भी नियुक्ति की व्यवस्था है ।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1881/69]

आकाशवाणी से औषधियों का विज्ञापन

5262. **श्री न० र० देवघरे :**
श्री जार्ज फरनेंन्डीज :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 14 अगस्त, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुए इस समाचार की जानकारी है कि दिल्ली के कुछ डाक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने आकाशवाणी के विज्ञापन कार्यक्रमों में कुछ औषधियों के विज्ञापन को अनैतिक बताया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन विज्ञापनों को आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवा के लिए स्वीकार किया जाता है, वे वाणिज्यिक प्रसारण सम्बन्धी संहिता में निर्धारित स्तरों के अनुरूप होते हैं ।

Damage caused to crops by locust and other insects in North Bihar

5263. **SHRI GUNANAND THAKUR :**
SHRI KEDAR PASWAN :

Will the Minister of **food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that heavy damage has been caused to the crops of the farmers by locust and other insects in North Bihar during the last one month ; and

(b) if so, the immediate measures proposed to be taken by Government to control these insects ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde) : (a) Damage to paddy crop by leaf hoppers (jassida) in six districts in Bihar has been reported and the estimated area affected durirg the last one month is 65,000 acres.

(b) The State Government has notified the pest in these areas under the State Pest Act and has requested for Central assistance.

As a result of the visit of the affected areas by the Central Team, control measures frcm the ground have been initiated and over 7,000 acres covered. Two aircraft of the Ministry of Agriculture are working from Saharsa and Darbhanga air fields and they are spraying the affected area with insecticides at the rate of 1500 acres per air craft every day. So far 12,500 acres have been treated. Continuous rain is however hampering aerial operations.

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण संस्थायें

5264. **श्री सूरज भान :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गृह-निर्माण संस्थाओं द्वारा आवास प्लाटों के आवंटन के बारे में

सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ सहकारी संस्थाओं ने अभी हाल ही में "पहले आओ, पहले लो" के आधार पर और सीमित स्तर पर परची निकालने के तरीके से अपने सदस्यों को प्लाट आवंटित किये हैं तथा इस प्रकार आवंटन करके प्लाटों को खरीदने की इच्छा रखने वाले अनेक सदस्यों को प्लाटों से वंचित कर दिया है ;

(ग) यह नीति सम्बन्धी निर्णय किस स्तर पर लिया गया तथा क्या यह सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार हुआ है ;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि सहकारी आन्दोलन के लिये यह नीति सर्वथा घातक है तथा सहकारिता के मूल उद्देश्यों पर आघात करने वाली है ; और

(ङ) यदि हां, तो पिछली गलती को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० एस० गुरूपादस्वामी) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार सहकारी गृह-निर्माण समितियों के सदस्यों को विकसित प्लाटों का आवंटन समितियों द्वारा समिति तथा उप-राज्यपाल के बीच हुए पट्टा-समझौते की शर्तों के अनुसार उप-राज्यपाल की अनुमति से किया जाता है । पात्र सदस्यों की सूची बिल्कुल वरिष्ठता नाम-प्रवेश की तारीख के आधार पर बनाई जाती है किन्तु पात्र सदस्यों के बीच प्लाटों का वास्तविक नियतन समिति के सभी सदस्यों और भूमि तथा भवन और सहकारिता विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पर्ची निकाल कर किया जाता है ।

(ख) दो सहकारी गृह-निर्माण समितियों ने उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर में उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाते हुए 24 जुलाई तथा 9 अगस्त, 1969 को अपने सदस्यों को पर्ची निकाल कर प्लाटों का आवंटन किया था ।

(ग) सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार आवंटन के तरीके के बारे में निर्णय संबंधित समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा लिए जाने चाहिएं, किन्तु उप-राज्यपाल के साथ किए गए समझौते के अनुसार समिति को उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर में दिए गए प्लाटों के आवंटन के सिद्धांत अपनाने होते हैं ।

(घ) वर्तमान प्रणाली सहकारी आंदोलन में अन्तर्निहित सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी कर्मचारियों की मांगें

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर

[श्री श्रीचन्द गोयल]

गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :—

"चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी कर्मचारियों में इस कारण विद्यमान निराशा और असन्तोष का समाचार कि पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते बढ़ाने और रियायती दरों पर रिहायशी प्लाट अलाट करने की उनकी मांगों को पूरा करने में सरकार असफल रही है ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात् चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में लगभग 6,000 कर्मचारी ऐसे रह गये थे, जो किसी भी राज्य को स्थायी रूप में आवंटित नहीं किये गये थे । इन कर्मचारियों को पंजाब के अपुनरीक्षित वेतनक्रम, जो 1 नवम्बर, 1966 से पूर्व लागू थे, दिये जा रहे हैं । इन कर्मचारियों को एक सितम्बर, 1968 से केन्द्रीय सरकार की महंगाई भत्ते की दरें भी दी गई हैं । तथापि, ये कर्मचारी पंजाब के पुनरीक्षित वेतनक्रमों की मांग कर रहे हैं जो 1 फरवरी, 1968 से लागू किये गये थे ।

सरकार ने आन्दोलन बन्द होने के पश्चात इस मामले पर विचार किया । सरकार की स्थिति यह है कि इन कमचारियों को चंडीगढ़ में पंजाब राज्य में प्रतिनियुक्त कर्मचारी माना जाये ।

जहां तक रियायती दरों पर रिहायशी प्लाट देने का सम्बन्ध है, चंडीगढ़ प्रशासन इस सम्बन्ध में कुछ योजनाओं पर विचार कर रहा है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : चंडीगढ़ प्रशासन के अनावंटित कर्मचारियों की संख्या मेरी जानकारी के अनुसार 7500 है । उनको पुनरीक्षित वेतनक्रमों से वंचित रखा जा रहा है, जबकि आवंटित कर्मचारियों को 1 फरवरी, 1968 से पंजाब तथा हरियाना द्वारा पुनरीक्षित वेतनक्रमों का लाभ दिया जा रहा है । इनमें प्रत्येक कर्मचारी को मध्यमान 35 रुपये प्रति मास हानि हो रही है । चूंकि सरकार ने उनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार नहीं किया है, इसलिये उन्हें आन्दोलन करना पड़ा है । अब उन्होंने अपना आन्दोलन बन्द कर दिया है और मंत्री महोदय ने भी कुछ सहानुभूति दिखाई है । वह कहते हैं कि पंजाब के आवंटित कर्मचारियों को जो लाभ दिये गये हैं, वे उनके हकदार हैं ।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार यह घोषणा करे कि चंडीगढ़ सदा के लिये संघ राज्य क्षेत्र बना रहेगा । क्या सरकार चंडीगढ़ के भविष्य की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए ऐसी घोषणा करने को तैयार है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 1 फरवरी, 1968 से भूतलक्षी प्रभाव से ये लाभ इन कर्मचारियों को उपलब्ध करायेगी ? क्या केन्द्रीय सरकार चंडीगढ़ प्रशासन से आग्रह करेगी कि वह अपने कर्मचारियों को श्रेणी-दो के रिहायशी प्लाट रियायती दरों पर आवंटित करे और किराया खरीद आधार पर उन्हें मकान बेचने की सम्भावना पर विचार करे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने चंडीगढ़ के भविष्य संबंधी राजनीतिक प्रश्न उठाया है । सरकार ऐसी घोषणा नहीं कर सकती । जहां तक रिहायशी प्लाटों का सम्बन्ध है, सरकार एक योजना पर विचार कर रही है । जहां तक अनावंटित कर्मचारियों की मूल मांग का सम्बन्ध है, हमने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि उन्हें पंजाब सरकार में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के रूप में माना जाये । इसको भूतलक्षी प्रभाव देने के बारे में विचार किया जाये ।

Shri Yajna Datt Sharma (Amri tsar): Whether Government propose to remove the basic causes of the problems of the Government employees of Chandigarh, one of which is the issue of Chandigarh. If so, whether decision will be taken in this regard as also in regard to the pending cases of allocation without loss of time. By what time will those employees be given the benefits of the revised pay scales and residential accommodation?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चंडीगढ़ का मामला बहुत जटिल है और हमने केन्द्र की नीति दोनों राज्य सरकारों को स्पष्ट कर दी है ।

जहां तक अनावंटित कर्मचारियों के वेतनक्रमों की समस्या का सम्बन्ध है, चण्डीगढ़ में दो प्रकार के सरकारी कर्मचारी हैं । कुछ कर्मचारियों को पुनर्गठन के पश्चात् हरियाना तथा पंजाब को आवंटित किया गया है और कुछ चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं । सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि अनावंटित कर्मचारियों को पंजाब सरकार के वेतनक्रम दिये जायें और उनको ये वेतनक्रम दिये जायेंगे ।

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk): May I know the price of the plots which are proposed to be allotted and what are the hurdles in the way of implementing the Shah Commission's unanimous recommendation according to which Chandigarh should go to Haryana on the basis of language ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक चण्डीगढ़ की समस्या का सम्बन्ध है, मैंने जो कुछ पहले कहा है, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना । जहां तक विभिन्न राज्य श्रेणियों में सरकारी कर्मचारियों के आवंटन का सम्बन्ध है, यह बिल्कुल अनिवार्य है । तथापि कुछ लोग अभी तक चंडीगढ़ में अनावंटित कर्मचारियों के रूप में हैं और उनके बारे में पहले ही बताया जा चका है। शाह आयोग के बारे में जो फैसला किया गया है वह आपको भी मालूम है कि क्या किया है ।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad): May I know why the unallocated employees are treated as on deputation from Punjab and not as on deputation from Haryana?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पुनर्गठन से पूर्व वे कर्मचारी पंजाब राज्य के थे अतः कानूनी दृष्टि से उनका दर्जा वही बना रहेगा । पंजाब के पुनर्गठन के बाद ही हरियाणा बना है ।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारी बिजली उद्योगों संबन्धी विकास परिषद का 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): मैं (उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन भारत बिजली उद्योगों की विकास परिषद् के 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1856/69]

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : मैं डा० त्रिगुण सेन की ओर से कम्पनी अधिनयम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1857/69]

रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 का प्रतिवेदन —भाग दो

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं रेल दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन–भाग 2 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1858/69]

समाचार पत्रों का पंजीयन (केन्द्रीय) संशोधन नियम

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 20-क की उप-धारा (2) के अधीन समाचार पत्रों का रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 22 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 823 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी० 1859/69]

भारतीय खाद्य निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1967–68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1860/69]

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak): I lay on the Table a copy of the Textiles Committee (Second Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1878 in Gazette of India dated 9th August, 1969 under sub-section (3) of section 22 of the Textiles Committee Act, 1963.[*Placed in the Library. See LT No. 1861/69.*]

प्राक्कलन समिति

Estimates Committee

95वां और 98वां प्रतिवेदन

श्री तिरूमल राव (काकीनाडा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित दो प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) केन्द्रीय आन्तरिक मीन क्षेत्र अनुसंधान संस्था बैरकपुर—के बारे में प्राक्कलन समिति के 37वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 95वां प्रतिवेदन ।

(2) शिक्षा मंत्रालय—(एक) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद और (दो) पुरातत्वीय संग्रहालय के बारे में प्राक्कलन समिति के छठे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 98वां प्रतिवेदन ।

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

Committee on Absence of Members

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : श्रीमन्, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की

अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं ।

मंत्री परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में

Re: **Motion of No-confidence in the Council of Ministers**

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे सर्वश्री मधु लिमये, राम सेवक यादव और जार्ज फरनेन्डीज से नियम 198 के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करती है ।"

जो सदस्य इस प्रस्ताव के लिये अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Will you kindly allow us to say a few words before the leave is granted?

अध्यक्ष महोदय : पहले अनुमति मिलनी चाहिये ।

इसके पक्ष में केवल 13 सदस्य खड़े हुए हैं । यह संख्या 50 से कम है । इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाती ।

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक स्थिति के बारे में

Re: Political situation in Uttar Pradesh

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): There should be discussion on the happenings in U.P.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभा के कार्य के सम्बन्ध में नियम 376(2) के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष प्रैस परिषद् विधेयक है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : (मंदसौर) अगले विषय पर विचार आरम्भ होने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका ध्यान नियम 340 की ओर दिलाकर यह कहना चाहता हूं कि सभा के समक्ष जो कार्य है, उसे स्थगित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुका हूं ।

Shri George Fernandes (Bombay-South): Please give us just a minute. The Deputy Speaker of U.P. Assembly has sent you a telegram.

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कमरे में मुझसे मिल सकते हैं । इस सभा में एक निश्चित प्रक्रिया और परम्परा है और हम उससे बंधे हुए हैं । यदि हम राज्य विधान मण्डलों के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण पर चर्चा करते हैं, तो यह एक अस्वस्थ्यकर परम्परा होगी ।

श्री उमानाथ (पुडुकोट्टै) : क्या हमने पश्चिम बंगाल विधान सभा में पुलिस के प्रवेश करने की चर्चा नहीं की थी ? जब पश्चिम बंगाल में विधान सभा के अध्यक्ष ने विधान सभा को स्थगित कर दिया था, क्या तब हमने इस सभा में यह चर्चा नहीं की थी ? आप इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते । आप कुछ सीमायें निर्धारित कर सकते हैं कि जैसे कि अध्यक्ष के आचरण पर प्रत्यक्ष रूप से चर्चा न की जाये ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा निवेदन यह है कि हमें सभी की परम्पराओं का आदर करना चाहिए । हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को निदेश नहीं देंगे कि वे विधान सभा का कार्य-संचालन किस प्रकार करें । हमारा एक कर्त्तव्य है, जिसे हम भूत-काल में पूरा करते रहे हैं । जब पश्चिम बंगाल विधान सभा में हुई घटना पर तो लोक सभा चर्चा करती है परन्तु जब उत्तर प्रदेश विधान सभा में कुछ होता है, तो हमें अपने विचार रखने का अवसर नहीं दिया जाता, इससे हमें दोरंगी चाल अपनाने का दोषी ठहराना उचित होगा । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के आचरण पर निर्णय दें । लोक सभा इस देश में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की सर्वोच्च संरक्षक है, इसलिये इसपर चर्चा करना हमारा कर्त्तव्य है । इसमें हम उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वायत्तता का अधिलंघन नहीं करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के आचरण की चर्चा नहीं करना चाहते । वहां न केवल पुलिस बल्कि प्रोविंसियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी को भी सभा भवन में बुलाया गया और उपाध्यक्ष तक की अवहेलना की गई । मुझे डर है कि राज्य के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने यहां से जाकर यह काण्ड कराया है । हमें उनके आचरण पर चर्चा करनी चाहिए अन्य संसदीय लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा । श्री चन्द्रभानु गुप्त को हटा दिया जाना चाहिए ।

Mr. Speaker: I have already given my view. I feel that according to the Rules of Procedure it will not be proper to allow a discussion on this issue.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The State Assemblies and the Lok Sabha function in accordance with the provisions of the Constitution, Article 118 regarding Lok Sabha reads as under:—

> "Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business."

Similarly there is Article 208 about State Legislative Assemblies.

When it is alleged that the provisions of the Constitution have been violated, Lok Sabha has got every right to discuss the issue. You have received a telegram from Shri Vasu Dev Singh, Deputy Speaker of U.P. Assembly, who was ejected from the House by the Marshal. There was going to be a division and Government was going to be defeated but

Shri Kher did not hold it. On a similar occasion here Shri Khadilkar ordered a division and Government was defeated. Sir, it is your duty now to ask the Prime Minister or Home Minister to give a statement and then allow a discussion thereon.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): It is well set procedure here as well as in State Assemblies first to seek approval on a Demand for Grants by voice vote calling for 'Ayes ' and 'Noes' and if it is challenged, a division is ordered for seeking clear-cut decision. Similar thing took place in U.P. Assembly and once the division bell was rung, the House could not be adjourned. This act of the Speaker of the U.P. Assembly was a clear violation of the Constitution. Nine M.L.As. belonging to my party, Bhartiya Kranti Dal were injured there. Next day 200 police men were ordered into the House by the Speaker and M.L.As. were dragged out of the House. Mr. Speaker, will you allow the Delhi Police to enter into this House and eject Members? Sir, you alone have the complete jurisdiction within the precincts of the House and police have no jurisdiction here at all. It was the second act of violation of the Constitution by the Speaker to allow the police to enter into the Assembly. Shri Khadilkar, who was occupying the chair when the issue of incidents in West Bengal Assembly was raised here, had ruled that since it was violation of Constitution, he was allowing a discussion Similar incidents have taken place in U.P. Mr. Speaker, you are the custodian of the Constitution. Therefore, I request you to ask the Government to give a statement and thereafter allow a discussion on it.

Shri Sheo Narain (Basti): You are occupying the highest position here and the Deputy Speaker ranks only next to you. When the bell was rung there, shoes were thrown, desks were thumped and people attacked the Speaker and thus voting could not take place. We are in majority there. The decision was that of the Speaker and not of Chief Minister, Deputy Chief Minister or Government of U.P. The Speaker enjoys full autonomy there and is fully empowered to adjourn the Assembly or to call the Marshal. I again repeat that the decision was taken by the Speaker and if anything is said about it, it will be against the Speaker and not the State Government.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : जो कुछ हमने सुना है, उसके अनुसार संसदीय लोकतंत्र की अवहेलना की गई है और पश्चिम बंगाल विधान सभा के मामले को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर चर्चा करना हमारे क्षेत्राधिकार में है ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि आप विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से अपने कमरे में मिले ताकि आपसे विचार विमर्श के बाद एक उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जा सके और उस पर चर्चा हो सके ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : All will admit that whatever has happened in U.P. is regrettable. But in the first instance all the facts should be placed before the House and thereafter a discussion may be allowed with your permission, if the House so desires. Therefore, you may kindly direct the Government to place full facts before the House after consulting the U.P. Government. You will agree that if the Police is called or Police enters into the House, it violates the sanctity of the Legislature. There can be no discrimination between West Bengal and U.P. We do not approve of hurling of shoes and we will condemn it during the debate, if allowed. But a statement giving the facts about the incidents should come from Government. Thereafter, if you consider it necessary, you may alllow a debate.

अध्यक्ष महोदय :- मेरे सभा में आने से पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बारें में मुझ से बातचीत की थी। मेरे चैम्बर में आते ही यह स्थगन प्रस्ताव भी मेरे पास लाया गया था। मैंने समझा कि बात समाप्त हो गई है और जब माननीय सदस्य खड़े हुए, तो मैंने समझा कि वे प्रेस परिषद् विधेयक के बारें में व्यस्वथा का प्रश्न उठा रहे हैं। अच्छा तो यह होता कि वह मुझ से चैम्बर में मिलकर बातचीत कर लेते।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने स्थगन प्रस्ताव भेजा था, तथा ध्यानाकर्षण सूचना भेजी थी और नियम 377 के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाने की अनुमति के लिये पत्र भी लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं बता चुका हूं कि मुझे उनका स्थगन प्रस्ताव मिला था।

बाद में मुझे पता चला कि सभी सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा की घटनाओं और वहां के अध्यक्ष के आचरण पर बोलना चाहते हैं। यह कहा गया कि संविधान की दृष्टि से गलत कार्यवाही की गई, इस दौरान में सोच रहा था कि इसकी अनुमति देकर, मैं इस सभा में स्वीकृत प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के विरुद्ध मैं भी कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा।

मैं हमेशा यही सोचता रहा हूं कि क्या यह उचित होगा, अथवा उस समय उचित था, कि राज्यों की विधान सभाओं की अपनी स्वायत्तता तथा अपनी कार्य प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के बारे में इस सभा में चर्चा करने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। संविधान तथा यहां की प्रक्रिया के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, उसके अनुसार यह घटना पहले जैसी घटनाओं के समान नहीं है। देश में ऐसी बातें हो रही हैं जो एक नये इतिहास का निर्माण कर रही हैं। मैंने कभी यह नहीं सुना कि उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं, और मत विभाजन का परिणाम घोषित नहीं किया गया।

इस समस्या का समाधान करने में हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। इस बारे में मैं पीठासीन अधिकारियों से बातचीत करना चाहूंगा। पहले भी यही होता आया है। सभापति का कार्य बड़ा कठिन होता है। क्या वह यह कहने लगे कि अमुक बात ठीक है और अमुक बात गलत है। मैंने पिछली कार्यवाहियों का ब्यौरा मंगवाया है, उ से देखकर में विपक्षी नेताओं से विचार विमर्श करूंगा। अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2-10 म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till ten minutes past fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2-10 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at ten minutes past fourteen of the clock.

(श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए।)

(Shri K.N. Tiwari *in the Chair*)

Shri George Fernandes : This matter has been under discussion since morning. We request that hon. Home Minister should give a statement in regard to the incident in U. P. Legislative Assembly and there should be discussion thereon. This matter should be discussed in the House to-day.

Shri S. M. Banerjee : We do not want to disturb the proceedings of the House but we have come to know that the people in the U.P. Legislative Assembly are being dismissed

and will be dismissed in future also. Let the hon. Minister of Home affairs give a statement in this regard.

Mr. Chairman : Nothing will go on record if the hon. Members start speaking without my permission.

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : Do you want to call the police here also ?

Mr. Chairman : If it is needed.

Shri George Fernandes : This cannot happen. (*Interruptions*)

Mr. Chairman : If you create such an atmosphere and disobey the Chair, the Chair will have to act. Please let the proceedings of the House go on peacefully.

Shri Balraj Madhok (Delhi South) : The matter was raised in this House when the police entered the Legislative Assemblies in Punjab and West Bengal. But the incident of Uttar Pradesh is more serious, and the whole country is worried about it. He got up with your permission and had asked whether you would call the police here also. He was wrong to say so and your reply was also wrong. I, therefore, request the hon. Member to withdraw his remarks about calling the police here and you too please withdraw your words.

Mr. Chairman : If the hon. Members withdraws his words I will also withdraw my words.

Shri Janeshwar Mishra : If you insist on that I withdraw but, I object to your statement (*Interruptions*).

Mr. Chairman : Since you have withdrawn your words, I also withdraw mine.

श्री उमानाथ : इस समय मैं जो कुछ कहने वाला हूं उसका अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रात: कही गई बात से कोई सम्बन्ध नहीं है । चर्चा करने की मांग के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि वह विपक्ष के नेताओं से विचार-विमर्श करेंगे तथा पिछली कार्यवाहियों तथा निर्णयों का अवलोकन करेंगे । परन्तु मेरा निवेदन इस समय यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से एक वक्तव्य पेश किया जाये कि वास्तविक घटना क्या है। ऐसे गम्भीर मामलों में पहले भी ऐसा किया जाता रहा है, इस बारे में अध्यक्ष के निर्णय सम्बन्धी कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता । उनका निर्णय तो चर्चा करने के बारे में था । अत: सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देने को कहा जाये कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में वास्तव में क्या घटना घटी ।

सभापति महोदय : श्री जार्ज फरनेडीज ने भी यही प्रश्न उठाया था तथा उस समय पीठासीन सभापति ने अपना निर्णय दिया था । मैं भी उस समय सभा में उपस्थित था और मैं उनके निर्णय को बदल नहीं सकता फिर जब उत्तर प्रदेश में एक संवैधानकि सरकार कार्य कर रही है, तो उसके बारे में यहां चर्चा कैसे की जा सकती है जब तक कि मैं इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट नहीं होता और मैं यह समझता हूं कि सरकार को कोई वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में प्रस्ताव

Resolution *Re* : Disapproval of Press Council (Amendment) Ordinance

प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक—जारी

Press Council (Amendment) Bill—*Contd.*

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : I am thankful to the hon. Members who have spoken on my resolution in its favour or against it. There might be some difference of opinion among us, but ultimately we all are anxious to see our country progressing.

For the last fifteen years, the Government have been assuring the people that monopolies in our country would soon come to an end. We have also provided in our Constitution that Hindi would be our official language; but we find that whereas the Government provides Rs. 50 lakhs for English news in the Samachar Bharati, we get only Rs. 50 thousands for Hindi, *i.e.* only one hundredth part of what we give to English. The question is who will fulfill the provisions made in the Constitution ?

We are not the "Opposition" . This word is given to us by the Europeans. In my opinion, he, who gives a right advice and makes one feel his mistakes or follies, is really a friend, and not an opponent. So, if I do not extend my sincere advice to you, I shall be betraying my duty here.

It is our first and foremost duty to remember Gandhiji always, and keep his principles alive, as it were his principles that got us Independence from the foreign rule.

But what we see today is that the biographies of singers and dancers are being broadcast and published , but no member is made of those people who made real sacrifices for the sake of the nation. Khan Badshah is the greatest man living in the world. I have repeatedly request the Parliament to write down in the "Who's Who" against my name that I consider Khan Badshah to be the greatest man in the world ; that I had been in jail with him and that I joined him in his struggle with the Britishers ; but these words have not so for been incorporated in the "Who's Who" Similarly, no mention has been made in the Press in regard to the brave patriots like Chandra Singh Garhwali who bravely and fearlessly disobeyed the orders of the Britishers to fire at the empty-hands Indians ; and he thereby got 'imprisonment for 26 years. There is not a single word spoken about such great patriots on the All India Radio. Thus, we are forgetting our great martyrs. Even in the Press Council Ordinance, there is nothing to keep Gandhi's principles, the principles of socialism and our Indian hood alive. Let the hon. Minister explain how do the Government propose to keep these valuable principles alive.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा प्रैस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 5) का, जो राष्ट्रपति के रुप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रैस परिषद् अधिनियम, 1965 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 (धारा 5 में संशोधन)

Clause 2 (Amendment of Section 5)

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): मैं अपने संशोधन संख्या 1 तथा 2 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री दार..... अनुपस्थित हैं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The purpose of my amendment is that the tenure of the Chairman and the members should be extended only upto 31st December, 1969 instead of 31st December, 1970, as the Press Council is quite ineffective to achieve the object for which it is established. Under the existing structure, the Press is not working as it should work and in today's papers, even the Prime Minister has accused the Press for not presenting the real image of socialism in the country ; and so it does not extend its support to the steps taken by the Government for the advancement of the country. The reason is that almost all the newspapers are controlled by big monopolists and the vested interests. But, to our surprise, our State Information Minister has always been pleading for the monopolists. Hence the State Minister should resign first. After hearing the broadcast of Chief of the Press Council last night, I am of the opinion that the Press Council should be dissolved immediately.

The recommendations of the Finance Commission to tax the [advertisements will also not help the freedom of the Press. It will amount to a tax on knowledge.

The Press Council has not been able to solve any of the above mentioned problems; and that is why I insist that its tenure should be extended only upto 31st December 1969 ; and then, the Council should be dissolved forthwith.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It has been declared here that a new Press Commission would be constituted. Only this will not help in overcoming the problems. The Press is now facing two dangers *viz.*, the control by the Government on one hand; and the control of the big capitalists on the other. Although the hon. Minister sometimes talks about the Freedom of the Press for cheap publicity, but in fact, he himself is pressurizing the Press. I want to know from the Hon. Minister whether it is not a fact that the name of the advertising agency who give the advertisment, should be published in the newspaper, alongwith the advertisement. But here is written "Sponsored by a group of young business executive." What is the reason for not publishing the name of advertising agency?

May I know whether it is not a fact that portraits of political leaders do not find place in the newspapers alongwith the advertisements. The Times of India, Bombay, sought permission of the Press Information Bureau for publishing this advertisement and they were permitted to do so. I warn that [agencies like P.T.I., Samachar Bharati, U.N.I. are depending more on the Government for grants. The result will be that no consideration will be given to the demands and freedom of the employees. I also want to say about the Samachar Bharati. The condi-

tion in the Samachar Bharati is not good. The employees are not intimated of the terms of their service at the time of their appointment. The Samachar Bharati has no representatives abroad and they depend on the news of the All India Radio. May I know whether the Government will look into the matter that the employees of those agencies, which are being assisted by the Government, are not given better treatment in respect of freedom, salary etc. So I request that appointment of a new Press Commission will not serve the purpose but you have to go into the whole matter.

स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर): प्रैस परिषद् को संगठित निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए और किसी भी प्रकार की धमकी तथा दबाव के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, प्रैस की स्वतंत्रता में ही प्रजातंत्र की भावना निहित है। परन्तु प्रैस पर दबाव डाला जा रहा है और उसे किसी एक विचार धारा का अनुगामी बनने के लिए विवश किया जा रहा है, इस प्रकार की बातों को प्रजातंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समाप्त कर देना चाहिए।

प्रैस को सब ओर के दबाव तथा धमकियों से संरक्षण देने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चा हिए परन्तु वास्तव में सरकार की ओर से इस प्रकार का खतरा पैदा हुआ है। सरकार ने प्रैस पर बैंक ों के राष्ट्रीय करण का समर्थन करने के लिए बहुत दबाव डाला है। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के कार्य से प्रैस की स्वतंत्रता को भारी खतरा है। सरकार की ओर से कुछ समाचार पत्रों के सम्पाद कों को अपने प्रभाव में लाने के प्रयत्न किये जाते हैं, यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के प्रयत्न सफल रहे हैं, यदि ऐसा होता है तो हमें इसका तीव्र विरोध करना चाहिए।

Shri Balraj Madhok (South Delhi): The aim of the Press Council is to maintain the freedom of the Press. But, actually the Government is trying to curb the freedom of the Press. Ours is a democratic country and freedom of Press is essential for it. Democracy cannot exist in the absence of freedom of the Press. The Government always blames the Press for not supporting their line of action and thought. May I know whether the Press has no right to criticize the Government? The Press cannot criticize and play an effective role in a country where dictatorship exists. It is not proper for the Government to criticize those newspapers who write against it.

The role of advertisement is significant in shaping the Policy of the Press. The Government gives advertisement to those newspapers only who support them. It is unfortunate that advertisement are given to those big newspapers who have monopoly. Therefore, I request that there should be proper distribution of advertisements and small newspapers may also be given advertisements so that they may flourish.

If anyone wants to start some newspaper a big sum is required. So it is not easy to start small newspapers. Also it will not be proper to minimize the circulation of big newspapers. Our effort should be to increase their circulation. The Hon. Minister talk of freedom of editor. But if pressure is applied in the appointment of editor then he cannot be granted freedom in his views etc. So special attention must be given in this direction.

As far as the monopoly is concerned, I have stated repeatedly that Communist Party has the biggest monopoly in the papers. They influence the ideas of people. It is no use saying that such and such monopoly is good or bad. We should curb this tendency of monopoly.

The two agencies namely Samachar Bharati and Hindustan Samachar are doing good work for the Indian languages. I want to know what is being done by the Government for

them. If you want to develop the Indian languages then these two agencies should be given encouragement and support.

Lastly I want to urge that an International News Agency must be established in our country. The foreign news are received through foreign agencies which is not proper. So we must have an International News Agency.

Shri S. M. Bannerjee (Kanpur): The Hon. Minister had told that Press Trust of India will be shaped into a Corporation. The Press Commission has also recommended this. Whenever we approach the Chairman, the Director or the General Manager in connection with the demands of Journalists or non-Journalists, they do not hear us. So it is my request to convert it in a Corporation. Some members have pointed out the sad plight of Samachar Bharati. It has reached to such a state that meetings do not take place.

With these words I request that Press Trust of India should be converted into a Corporation so that we may check the abuses which have entered in its body.

Shri George Fernandes (Bombay South): I agree that the newspapers, which are in the hands of Capitalists, are being misused. But the thing is that we should ignore the ownership of newspaper and see how they are used At present, if any newspaper goes against the Government is condemned by Govt. and if any newspaper supports the Government is praised by Govt. I do not understand that the newspapers are meant only to support the Government. Some days back an advertisement under the title "Rally behind our leader" appeared in the newspaper. The name of advertiser was given as "Group of Young Business Executive." But actually the money for this advertisement was given by Mahendra and Mahendra Compnay. In this way a big hoax is being played in the field of newspaper. So I urge that it is important to know how the newspaper is being used. The newspapers are being utilised to mislead the public that the country is going towards Socialism. If this is the freedom of Press then it has no meaning. Now it has become a fashion to ask the people to rally behind a leader, a party and a policy. I warn against this tendency because newspapers are being utilised for this end. If this is not stopped in time it will prove dangerous for the existence of democracy.

श्री पीलू मोदी (गोधरा): पिछले कुछ वर्षों से हमारी स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है । पिछले तीन सप्ताहों में तो समाचार पत्रों में सैंकड़ों झूठी बातें जानबूझ कर छापी गई हैं। इस में पत्रकारों का ही सारा दोष नहीं है क्योंकि प्राय: ऐसी सूचनाएं और वक्तव्य दिये गये हैं जो वास्तविक तथ्यों के विपरीत हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने "हिन्दुस्तान टाइम्ज़" के सम्पादकीय को उद्धरित करते हुए कहा था "देखो यह सम्पादकीय कितना संतुलित है ।" उन्होंने फ्रैंक मौरिस को उद्धरित करते हुए कहा "एक्सप्रैस में जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह भी बहुत संतुलित विचार हैं।" किसी ने पूछा "स्टेट्समैन" के बारे में आपकी क्या राय है ? उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूं ? स्टेट्समैन के साथ कठिनाई यह है कि यह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है । इसके सैंकड़ों अर्थ निकाले जा सकते हैं । किन्तु प्रैस ही नहीं, आकाशवाणी को भी किसी सीमा तक दूषित कर दिया गया है । जब तक पत्रकारिता के सम्बन्ध में कुछ नियम और आचार संहिता नहीं बनाये जाते मैं समझता हूं हमारा भविष्य अंधकारमय है ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : एक राजदूत का काम विदेशों में अपने देश के हितों के लिए झूठ बोलना होता है। इसी प्रकार से समाचार पत्रों का काम अपने देश की भलाई के लिये अपने देश में झूठ बोलना होता है । आज भारत में समाचारपत्रों बड़े व्यापारियों या राजनीतिक दलों के हाथों में हैं और इस कारण वे स्वतंत्र विचार नहीं दे सकते हैं। अतः समाचारपत्रों को स्वतंत्र रूप से और किन्हीं प्रतिबन्धों के बिना काम करने देना चाहिये।

समाचार भारती के बारे में कई शिकायतें सुनने में आ रही हैं। कई राज्य सरकारों ने इस समाचार एजेंसी में अपना पैसा लगा रखा है । सरकार को चाहिये कि इसके प्रबन्ध निर्देशक या महाप्रबन्धक को बोर्ड में नियुक्त करे ताकि वह सरकार के हितों की देखभाल कर सके। हमें सब कानून इस दृष्टि से बनाने चाहियें कि प्रेस परिषद् को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त हो।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने की बात कही गई है । हम छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को न केवल सहायता दे रहे हैं अपितु हम विशेषरूप से भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को सहायता दे रहे हैं। इस समय कुल बजट का 18.13 प्रतिशत हिन्दी के समाचार पत्रों को और 37.89 प्रतिशत अन्य भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को जाता है । दूसरे शब्दों में कुल बजट का 55 प्रतिशत छोटे समाचार पत्रों को जाता है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The English newspapers are getting 45 per cent while only 1.5 per cent people know English.

श्री इ० कु० गुजराल : यदि अंग्रेजी के समाचारपत्रों और उनके पाठकों की संख्या अधिक है तो मैं इस में कुछ नहीं कर सकता। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि छोटे और मझौले समाचारपत्रों को, जो मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचारपत्र हैं, सहायता देने के लिये मैं भरसक प्रयत्न करूंगा ।

समाचार भारती के बारे में बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं। समाचार भारती के कार्य की जांच करने की आवश्यकता है और हम इसकी जांच कर भी रहे हैं। सरकार चाहती है कि भारतीय भाषाओं की समाचार एजेंसियों खूब उन्नति करें ताकि भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र पनप सकें । देवनागरी टेलीप्रिन्टर स्थापित कर दिया गया है । समाचार एजेंसियों की सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है ।

श्री शिव चन्द्र झा ने कहा है कि प्रेस परिषद् अपने कार्य में असफल रही है और इसलिये मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिये। क्योंकि मैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समथन करता हूं। इस बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं इसके लिये केवल त्यागपत्र ही नहीं अपनी जान भी दे सकता हूं ।

कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि प्रधान मंत्री पर कभी-कभी समाचारपत्रों में छपे लेखों पर आपत्ति क्यों करते हैं जब सबके लिये स्वतंत्रता है तो अनुचित आलोचना का उत्तर देने का हमें भी हक है । भारत के समाचार पत्र बड़ी मजबूत स्थिति में हैं और व किसी के डराने धमकाने में नहीं आते।

मुझे आश्चर्य है कि श्री जार्ज फरनेन्डीज़ ने, जो कार्मिक संघ से सम्बन्ध रखते हैं, यह कहा है कि प्रधान मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन बन्द होने चाहिय । और कि लोगों को वहां नहीं जाना चाहिये ।

मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कहा है और यह पूछा है कि सरकार दूसरा प्रेस आयोग नियुक्त करने के बारे में क्यों सोच रही है । दूसरे प्रेस आयोग को नियुक्त करने का उद्देश्य पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा करना नहीं था । पहले प्रेस आयोग की शेष सिफारिशों को क्रियान्वित करने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे । पिछले 15 वर्षों में समाचारपत्रों का बड़ा विकास हुआ है और उनकी समस्याएं भी बढ़ी हैं अत: नया आयोग स्थापित करने से कोई हानि नहीं होगी और सरकार को अपनी नीति बनाने में सुविधा होगी ।

कुछ माननीय मित्रों ने "रैली राऊंड दि लीडर" (नेता के पीछे जमा हों) शीर्षक से कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के बारे में कहा । सरकार ने इसका पैसा नहीं दिया है । और इसलिये सरकार इस बारे में कुछ नहीं जानती । इस विज्ञापन के लिये न तो सरकार की अनुमति ली गई थी और अनुमति भी नहीं दी गई थी।

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये नेताओं के चित्रों को प्रकाशित करना वर्जित है किन्तु यह जांच का विषय है कि क्या इस प्रकार का विज्ञापन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये था । श्री बनर्जी ने प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कार्य और प्रेस आयोग की तरह एक निगम स्थापित करने के बारे में कहा । मैं केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं ।

जहां तक स्वतंत्रता कम होने के बारे में श्री पीलु मोदी की चिंता का सम्बन्ध है , स्वभावत: श्री मोदी और मैं बहुत सी बातों में मतभेद रखते हैं और उनमें से एक बात यह भी है। मैं उनको केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि स्वतंत्रता कम नहीं हुई है । इसका तो विकास हुआ है । और इसको नया अर्थ दिया जा रहा है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 1 and 2 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Shri Yashwant Singh Kushwah (Ihird): I move my amendment No. 5. An ordinance is not the remedy of each and everything. In order to solve a problem it is necessary to find out its causes first and then remove them.

It is worth commendable to believe in and maintain the freedom of the Press. This objective could be achieved if the Government cancells the White and Black lists maintained by them in connection with the Press. If the criterion of categorising the Newspapers continues to be conditioned by the manner of publication of the Government policies, the Press would be deprived of its freedom. I want to submit is that if the small Newspapers are not given incentive and cooperation of every kind, the Press would not be able to enjoy its freedom.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): We are very much concerned about the job insecurity in the Private Press Agencies. There is no security of service and the employees are thrown out of employment as and when the employers desire to do so. Their tenure of service hinges on the sweet will of the employer. But the case in the Public Sector is just the other way round. So my submission is that these agencies should be taken over by the Government and the sooner it is done the better it is in the interest of the employees.

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक छोटे और मध्यम समाचारपत्रों को विज्ञापन देने का संबंध है, सरकार उन्हें अब प्रतिवर्ष अधिक संख्या में विज्ञापन दे रही है, वर्ष 1966–67 म इन समाचार पत्रों को 40.1 प्रतिशत, 1967–68 में 45–88 प्रतिशत और 1968–69 में 51 6 प्रतिशत विज्ञापन मिले थे और हम इस प्रतिशतता में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं।

जहां तक काली सूची रखने क संबंध है, ऐसी कोई सूची नहीं रखी जाती, केवल इतना होता है कि कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो निरन्तर साम्प्रदायिक प्रचार में लगे रहते हैं और विभिन्न समुदायों के बीच घृणा पैदा करते हैं उन्हें विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं।

जहां तक श्री विभूति मिश्र द्वारा उठाये गये प्रश्न का संबंध है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का एक अत्यावश्यक अंग यह है कि श्रमजीवी पत्रकारों को अपनी सेवाओं की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। मेरी स्वत: राय यह है कि प्रस की स्वतन्त्रता तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि श्रमजीवी पत्रकारों तथा सम्पादकों की नियुक्ति, सेवा सुरक्षा तथा काम करने की शर्तें नियोजकों की शक्तियों के बाहर हों।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 5 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड 3 विधेयक का अंग बने ;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 3 विधेयक म जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, The Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इस विधेयक को पारित करने का सभा से अनुरोध करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं क्योंकि प्रेस में हस्तक्षेप अथवा विदेशी धन बढ़ने के बारे में बार-बार प्रश्न उठाये

गये हैं और इन प्रश्नों के उत्तर सरकार अधिकतर वाद विवादों के उत्तर तथा प्रश्नों के उत्तरों में देती रही है। मैं अनुभव करता हूं कि इस बारे में सभा को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा सकी है इसलिये मैं चाहता हूं इस अवसर पर सभा को इस संबंध में थोड़ी बहुत और जानकारी दी जाये।

मैं सभा को इस अवसर पर यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले आम चुनावों में विदेशी धन के प्रयोग के बारे में गृह-कार्य मंत्री ने 14 मई, 1969 को इस सभा में कहा था,

"...that the Government propose to bring forward a comprehensive legislation to impose suitable restrictions on receipt of funds from foreign organisations, agencies or individuals otherwise than in course of ordinary business transactions."

गृह-कार्य मंत्री ने आगे यह भी कहा था कि :

".....special cells are being created in the Intelligence Bureau and the Directorate of Enforcement in the Ministry of Finance for undertaking closer scrutiny of remittances, conversions, etc; of foreign currency to discourage the clandestine foreign financial assistance."

हमारा मंत्रालय भी इस बारे में चिन्तित है, इसलिये सरकार इस बात का अध्ययन कर रही है कि विदेशी धन का हमारे प्रेस तथा उसकी स्वतन्त्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में विश्लेषण तथा जांच करने के लिये सभी आवश्यक तथा संबंधित बातों की प्रारम्भिक जांच आरम्भ की गई है। प्रारम्भिक जांच पूरी हो जाने पर, हमारा नियम यह है कि प्रथम दृष्टि में प्राप्त तथ्यों की प्राप्ति के बाद प्रेस परिषद् से सभी सम्बद्ध बातों के बारेमें खुली जांच करने को कहा जाये अथवा प्रेस परिषद् की सलाह से खुली जांच की जाये ताकि प्रेस को वस्तुतः स्वतन्त्रता प्रदान की जा सके। हमने यह प्रारम्भिक जांच इस वर्ष मई-जून से आरम्भ की है और मझे आशा है कि इस में मुझे सभा का समर्थन प्राप्त है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये,"

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : मैं प्रस्तुत विधेयक को पारित किये जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि जिस विधेयक की क्रियान्विति में भारत की संचित निधि से खर्च करना पड़ता है, वह पहले लोक-सभा में पेश किया जाना चाहिए और यही कारण है कि मैं अब भी यह कहता हूं कि यह विधेयक पहले इस सभा में लाया जाना चाहिए था।

आपने इस बारे में अपना विनिर्णय दे दिया है; और मैं उसे स्वीकार करता हूं किन्तु मुझे इस बात पर आपत्ति अवश्य है।

दूसरी बात यह है कि मंत्री जी ने कहा है कि दूसरा प्रैस आयोग नियुक्त किया जाएगा और सरकार ने कहा था कि उसने पहले प्रेस आयोग की, जिसका मैं सदस्य था, सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, और अब वह कहते हैं कि उन सिफारिशों की क्रियान्विति में कुछ समय लगेगा। अब दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशें आयेंगी। अब और कई वर्ष लगेंगे।

मैं इस विधेयक का तकनीकी विवाद के रूप में विरोध करता हूं।

श्री ई० के० नायनार : प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को सरकार अब भी समर्थन नहीं दे रही। वह केवल उन्हीं समाचारपत्रों को प्रोत्साहन दे रही है जो सरकार का समर्थन करते हैं।

जहां तक केरल राज्य का संबंध है, वहां 20 से अधिक दैनिक पत्र चल रहे हैं और जो पत्र केन्द्रीय सरकार का समर्थन करते हैं उन्हें अधिक विज्ञापन तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं, केवल इतना ही नहीं, एकाधिकारवादी प्रेस—गोयनका और डालमिया—को अब और अधिक विज्ञापन मिल रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मझले पैमाने के समाचारपत्रों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

सरकार से मेरा निवेदन यह है कि अंग्रेजी तथा हिन्दी के समाचारपत्रों की तरह मलयालम, तामिल, तेलगू आदि सभी प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन प्रादेशिक पत्रों को दूरमुद्रण (टेलीप्रिंटर) की सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिएं। प्रेस से एकाधिकार नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए।

हम देखते हैं कुछ एकाधिकारवादी अपने ऐसे कर्मचारियों को जब मर्जी होती है, निकाल देते हैं। जो उनका समर्थन नहीं करते, उन्हें वे सेवा-मुक्त कर देते हैं। इसलिये सरकार को एकाधिकारी समाचारपत्रों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। छोटे तथा भाषाई समाचारपत्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं, प्रोत्साहन तथा विज्ञापन दिये जाने चाहिएं। मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है। इन समाचारपत्रों को सरकार से और अधिक सुविधाएं, प्रोत्साहन तथा सहायता मिलनी चाहिए।

Shri Kunwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There are not two opinions about the necessity of the freedom of Press. But the question is whether this principle is followed in practice. Delhi Newspapers are drifting in a certain direction in a planned, well calculated and systematic manner for some time past and the Government is responsible for this state of affairs. The practice being established by them is a most dangerous line of action which undermines the freedom of Press and leads to form a State-controlled Press, which is even more dangerous than the monopoly Press. The other day it was reported that the Government wanted to offer some facilities to a certain section of the Press, if they supported the Prime Minister and the Governmental policies. The Press exists to express free and frank opinion and to educate the masses. Is the freedom of Press secure when the Government pressurises it to adopt a certain line of action and ask it is support certain individuals and bodies ?

The percentage of advertisements being given to Indian language papers is very low as compared to the percentage of advertisements being given to the English Newspapers despite the fact that the percentage of English knowing people in the country does not exceed one and a half percent of the total population and they are still getting 55 percent advertisements. In order to encourage Indian language papers, the Government should reduce this percentage to 10 and give 90 percent advertisements to Indian language papers.

As regards receipt of foreign money by News agencies the hon. Minister has quoted the Home Minister making some statement in this behalf. But the Home Minister despite his assurances did not hold any talks with the opposition leaders in this connection. The Government could not take any firm decision in the matter. Certain charges were made against the "Patriot" and the "Link" that these papers were getting foreign assistance, and to the best of my knowledge, the C.B.I. enquiry has endorsed these charges. But no action has been taken against them.

The Government should not themselves deal with the policies regarding allotmenr of advertisements, Newsprint and grant of loans. It would be better if this work is entrusted to the Press Council so that the Council may determine as to when and how much assistance should be given to a particular Newspaper.

Shri Arjun Singh Bhadoria (Itawa): I would like to draw the attention of the Government towards the irregularities committed by the "Samachar Bharati" Agency deliberately. Apart from Central Government, some State Governments, *viz*, U.P., Bihar, Rajasthan, M.P., Gujarat and Mysore Governments have invested money in it. But the Board of Directors does not consist of any representative from these States. My suggestion is this Board should include the representatives of the Central Government as well as the State Government.

It is a matter of great surprise that the Chairman of the Board of Directors did not attend even a single meeting throughout the whole year, with the result that its affairs are not conducted and run properly. There was an instance when 15 employees who were on sick-leave and are admitted in the Medical Institute have been discharged from service without assigning any reasons therefor. There are instances when employees are transferred and serve termination notices and at times their sanctioned leave was also cancelled. Every time Demicle's sword hangs on their heads. I would therefore, request the Government to take necessary steps to see that this organisation functions properly and satisfactorily and the guilty officers are punished.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Shri Fernandes has been advocating throughout that newspapers should not be allowed to remain under the control of the capitalists. When our Prime Minister wants to take advantage of it, she should be allowed to do so.

So far as the question relating to the ' imes of . India' is concerned I know some mistake has been committed, but I hope it will be corrected slowly and steadily. Even the National Herald is being run by the funds of capitalists. Many corrupt Ministers and other persons have contributed to this fund.

My hon. friend Shri Gupta has stated that only a small number of persons in India know English. But we have to take our brethren from the South alongwith us. I would, therefore, say that Hindi newspapers should be given less advertisements as compared to other news: papers. Urdu newspapers should get little more.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू में एकाधिकारवाद की प्रवृत्तियों का बोलबाला देखा जा सकता है । अत: प्रेस को इससे अलग नहीं रखा जा सकता । मुझे माननीया मंत्री की इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि वह प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाये रखना चाहती हैं। परन्तु देश के वर्तमान वातावरण को देखते मैं नहीं कह सकता कि क्या प्रैस को इस बात की गारंटी देना देश के हित में है क्योंकि प्रेस के मालिक इसका प्रयोग केवल अपने हितों के लिए ही कर रहे हैं ।

राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान मैंने एक वक्तव्य जारी किया था, जिसको कलकत्ता के एक समाचार पत्र ने तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित किया था जिससे मेरी ख्याति को मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में पर्याप्त धक्का लगा । अत: ऐसी चीजों को प्रेस की स्वतन्त्रता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता । प्रेस की स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि प्रेस को लोगों के हित के लिए प्रयोग किया जाना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार जब कभी कोई प्रगतिशील पग उठाती है समाचारपत्र उसके विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करते हैं और लोगों को यह बताने का प्रयास करते है कि इस कार्यवाही स लोगों के हितों को हानि पहुंचेगी। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि प्रेस को किस हद तक स्वतन्त्रता दी जाये ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है, प्रथम प्रैस आयोग की सिफारिशें पुरानी पड़ गई हैं। अतः नये प्रैस आयोग की स्थापना आवश्यक है।

इस नये प्रैस आयोग के निर्देशपद इतने व्यापक होने चाहिएं जिससे यह सिफारिश कर सकें कि प्रैस का जनहित के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है।

Shri Sheo Narain (Basti) : The Press plays an important role in democracy. I hope it makes criticism most impartially.

I would also appeal to the Government not to discriminate between one newspaper and the others. Only one and a half percent of people in India know English. It is not proper to allot so much money for the English newspapers. Government should give equitable treatment to all the newspapers.

Shri Shashi Bhushan (Khargoan) : The Government should not give advertisements to the big newspapers. Government can propagate its policies through pamphlets and leaflets.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to know whether it has been decided to have three persons of Sahu Jain in the Board of Directors of the "Times of India" and his son Shri Ashok Jain will be its Chairman ?

श्री इ० कु० गुजराल : अनेक माननीय सदस्यों ने प्रैस आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया है। अधिकतर सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है। प्रैस परिषद् बनाने की सिफारिश भी प्रैस आयोग द्वारा ही की गई थी। अतः यह कहना गलत है कि प्रेस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया।

विज्ञापन देने के बारे में माननीय सदस्यों में कुछ गलतफहमी है। विज्ञापन देते समय अन्य चीजों के अतिरिक्त भाषायी समाचारपत्रों, छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों को ध्यान में रखने के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि इन समाचारपत्रों का परिचालन कितना है। हम अपने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को न केवल इसलिए सहायता दे रहे हैं कि हम इसकी सहायता करना चाहते हैं, अपितु इसलिए भी कि बहुत अधिक संख्या में लोग इन समाचारपत्रों को पढ़ते हैं।

डी० ए० वी० पी० के विज्ञापनों को प्रेस परिषद् द्वारा जारी किया जाना सम्भव नहीं है। यह कार्यक्रम सरकार का है और इस बात का निर्णय भी सरकार को करना है कि वह किस प्रकार का कार्यक्रम किस प्रकार के लोगों के आगे प्रस्तुत करे।

श्री कंवर लाल गुप्त अपनी बात कहने के पश्चात् चले गये हैं। उन्होंने प्रेस की स्वतन्त्रता की बात कही है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि ऐसे लोग यह बात कह रहे हैं जो किसी प्रकार की स्वतन्त्रता म मूलरूप में विश्वास नहीं रखते।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : माननीय मंत्री इस प्रकार के झूटे आरोप नहीं लगा सकते।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : माननीय मंत्री यह झूठे आरोप लगा रहे हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं पुनः यह बात कहता हूं कि यह दल स्वतन्त्रता में विश्वास नहीं रखता।

श्री श्रीचन्द गोयल : वह झूठा आरोप लगा रहे हैं **

सभापति महोदय : आप अपने शब्द वापस लें ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा ।

Mr. Chairman : You, then, please leave the House. These words may be expunged.

श्री इ० कु० गुजराल : एकाधिकार पर नियन्त्रण का विकल्प सरकारी नियन्त्रण नहीं है । अतः प्रेस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है । प्रैस आयोग ने कुछ सुझाव दिया है और हम इसको क्रियान्वित करने के लिए कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त ने एक समाचारपत्र विशेष में संपादक की नियुक्ति का प्रश्न उठाया था, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि प्रैस इस मामले में स्वतन्त्र है । समाचारपत्र वाले जिसको चाहें नियुक्त कर सकते हैं ।

परन्तु जैसा मैंने पहले कहा है इसमें कुछ बातों पर कुछ संस्थागत रोक लगाई जानी चाहिए ताकि समाज द्वारा संपादकों को अपने काम में स्वतन्त्रता की गारन्टी दी जा सके । हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि समाचारपत्रों पर औद्योगिक गृहों का नियंत्रण एक गलत बात है । अतः हमें अपने सामाजिक ढांचे के अन्तर्गत इसका हल ढूंढना है । प्रेस आयोग ने इस ढांचे तथा संविधान में दिये वचनों को ध्यान में रखते हुए कुछ तरीके सुझाये हैं । मैं सरकार की ओर से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इनको क्रियान्वित किया जा रहा है ।

टाइम्स आफ इन्डिया के निदेशक मंडल में परिवर्तन का प्रश्न सर्वश्री कंवरलाल गुप्त तथा मधु लिमये ने उठाया है । मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसका सम्बन्ध समवाय विधि विभाग से है ।

श्री कंवरलाल गुप्त ने यह आरोप लगाया था कि कोई पत्रकार श्री ईरानी मुझसे मिलने आये थे और इस बारे में स्टेट्समेन में कुछ समाचार छपा है । जहां तक मुझे मालूम है स्टेट्समेन में ऐसा कुछ प्रकाशित नहीं हुआ बल्कि उनके अखबार आर्गेनाइजर में ऐसा कुछ प्रकाशित हुआ था ।

मैं श्री गुप्ता की इस बात से सहमत हूं कि प्रेस का काम लोगों को शिक्षित करना है परन्तु ऐसा करते समय प्रैस को लोगों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए । प्रेस के एक वर्ग ने बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में लोगों की आकांक्षाओं के विरुद्ध जाने का प्रयास किया था और बाद में उन्होंने अनुभव किया कि इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : कुछ लोग यह अनुभव करते हैं कि यह सही कदम है, परन्तु ऐसे भी लोग हैं जो यह अनुभव करते हैं कि यह कदम ठीक नहीं है । इस बात का निर्णय कौन करेगा कि यह कदम ठीक है अथवा गलत ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the chair.

श्री इ० कु० गुजराल : हम स्वयं चाहते हैं कि प्रैस को इस बात की स्वतन्त्रता हो कि वह जो चाह लिखें, परन्तु अन्य लोगों को भी प्रैस के उस वर्ग से पृथक दृष्टिकोण रखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रैस की स्वतन्त्रता को बनाये रखना चाहिए । मैं प्रैस की स्वतन्त्रता का समर्थक हूं ।

मैं श्री भदौरिया के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि समाचार भारती के निदेशक मण्डल में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाय । समाचार एजेंसियों या समाचार पत्रों में सरकारी प्रतिनिधि नहीं होने चाहियें । उत्तम यही होगा कि इस बारे में प्रैस समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया जाय । श्री प्रकाशवीर शास्त्री यहां विद्यमान हैं और मुझे आशा है कि वह ऐसा उपाय करेंगे जिससे समाचार भारती द्वारा समाज सेवियों का एक स्वायत न्यास बनाकर देश का पथ प्रशस्त होगा ।

श्री अब्दुल गनी दार ने कहा है कि उर्दू प्रैस को केवल 2 प्रतिशत विज्ञापन मिलते हैं । किन्तु उनके आंकड़े सही नहीं हैं । वास्तव में उर्दू प्रैस को 6 प्रतिशत विज्ञापन दिये जाते हैं ।

श्री चटर्जी का प्रश्न था कि समाचार पत्रों को कितनी स्वतंत्रता दी जायेगी । इस बारे में मेरा निवेदन है कि समाचार पत्रों पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं है । यह स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दी जायेगी तथा दी जा रही है । हमारे संविधान में भी इस बात का उल्लेख है । अतः इस सम्बन्ध में सरकार की कोई विशेष नीति नहीं है और न ही यह किसी प्रकार की रियायत है । समाचार पत्रों की स्वतंत्रता असीमित है तथा इसका सम्बन्ध प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास बने रहने से है ।

श्री कंवर लाल गुप्त ने पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारित करने की मांग की है । मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस बात की आवश्यकता समझी है । किन्तु इस सम्बन्ध में पाठकों के हितों को देखना भी आवश्यक है तथा पत्रों में विज्ञापन के स्थान को सीमित करना भी आवश्यक है । साथ ही यह व्यवस्था करने के लिये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तथा मुझे आशा है कि जब श्री कंवर लाल गुप्त तथा उनका दल उसका समर्थन करेंगे ।

श्री बलराज मधोक के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं । अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के सम्बन्ध में कोई समाचार एजेंसी होनी आवश्यक है । इसमें बाहर से आने वाले समाचारों का सम्बन्ध ही नहीं है, वरन अन्य देशों में भारत का बुरा चित्र प्रदर्शित किया जाता है और इसे रोकने के लिये किसी एजेंसी का होनी आवश्यक है । सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रही है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सांविधिक संकल्प तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक ।

Statutory Resolution and Banaras Hindu University (Amendment) Bill

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Sir, I beg to move the following Resolution :

"This House disapproves of the Banaras Hindu University (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 7 of 1969) promulgated by the Vice. President acting as President on the 17th July, 1969."

The Government have a tendency for promulgating ordinances and thereby encroaching upon the rights of the Parliament of enacting legislations.

This University was established by a greatman, Pandit Madan Mohan Malviya and I feel proud of the fame and prestige which was gained by this University during the life time of that great man. But it is regretted that in the same University such nefarious activities as attack on Dr. Patwardhan and detaining the Vice-Chancellor's car are being done now a days.

Besides, I want to mention that a Commission headed by Shri Gajendragadkar was appointed by the Government and the terms of reference were also well decided in this matter. In the terms of reference it was specifically mentioned that the Commission should recommend the ways and means which may be conducive to improving the conditions prevailing in the University and by which the unrest and up-heaval in the University can be eradicated. But I am startled to note that the Commission have not performed their duty well. What was assigned to them has not been under taken by the Commission and they have suggested several irrelevant points. For instance, the Commission has recommended that the Engineering Department and the Technology Department should be amalgamated and that this University should function only in the capacity of a post-graduate institution and the colleges should be affiliated to the Gorakhpur University or the Kashi Vidyapith. Thus, it is quite apparent that this Commission could not perform the duty which was assigned to it because these recommendations have no connection with the terms of reference decided for the Commission.

Dr. Joshi had been the Vice Chancellor of Punjab University for many years. That University has a prominent place in the academic fild. That is largely due to the various praiseworthy qualities possessed by Dr. Joshi.

The report of the Committee no where contains that any allegation has been proved against Dr. Joshi. It has been mischievously mentioned that he has lost the confidence of the teachers. Memoranda have been received which clearly contradict that contention. It has been contended that he had connections with R.S.S. and Jana Sangha. He did not have any connection with these organisations.

Shri Shashi Bhushan : But why did he allow these parties to function there.

Shri Shri Chand Goyal : I want to know what concerete steps have been suggested t improve the conditions of the University in the report ?

We find that an ordinance was promulgated and now an amending Bill has been brought forward. The report has recommended that the Executive Council should contain; one Vice-Chancellor, one Ractor, 3 Deans of Faculties, 4 members elected by the Academic Councils and 3 selected by the Court and 5 nominated by the Visitor.

But the amending Bill provides for one Vice-Chancellor, *ex-Officio* and eight members nominated by the Visitor. Can we solve the problems of the University through nominated members ? Previously also when there was a trouble in the University, a nominated body was constituted and entrusted with the task of handling the affairs of the University. But could that arrangement keep in creating an atmosphere suitable for studies ?

It is said that this is a temporary arrangement. In this connection I would like to say that a time-limit should be fixed for the continuance of the nominated members.

There is no indication as to the manner by which the personnel for the Council would be selected I feel that vested interests will somehow manage to get their nominations for the Council. We shall not be able to improve the atmosphere

by having nominated members. I, therefore, suggest that persons with experience in the field of education should be nominated in the Council.

I would like that the hon. Minister should give an assurance that the proposed arrangement would not continue for more than one year.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1915 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, विचार किया जाय ।"

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक अस्थायी उद्देश्यों से लाया जा रहा है । समिति की सिफारिशें दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें अल्पकालीन व्यवस्था में स्थान देने का प्रश्न नहीं उठता । विश्वविद्यालय के लिए स्थायी व्यवस्था प्रस्तुत करते समय समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया जायेगा । वर्तमान विधेयक बनारस विश्वविद्यालय संशोधन सम्बन्धी विस्तृत विधेयक पारित होने तक प्रभावी रहेगा ।

माननीय सदस्य ने जो आश्वासन मांगा है, वह मैं देना चाहता हूं । परन्तु इस बारे में मैं यह बता देना चाहता हू कि स्थायी पुनर्गठन के लिए उन सिफारिशों पर शिक्षा विदों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विचार-विमर्श किया जायेगा । ये सिफारिशें सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू होती हैं । इसलिए इस मामले से सम्बद्ध लोगों के विचार जानने में कुछ समय और लगेगा । इस बीच में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उप-कुलपति सम्मेलन की सिफारिशों के फलस्वरूप सभी विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है । यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों, सिनेट और विद्या परिषद् का गठन एवं परस्पर सम्बन्ध संतोषप्रद नहीं रहा और छात्र असहयोग का भी यही एक प्रमुख कारण है । विश्वविद्यालयों के शासन के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की थी । वह समिति छात्र सहयोग के प्रश्न का भी अध्ययन कर रही है । श्री मधु लिमये ने भी इस बारे में एक विधेयक पुरःस्थापित किया था, जिसे जनमत के लिये परिचालित किया गया है । सारे विश्व में आज छात्रों द्वारा विश्वविद्यालयों के शासन में अधिक भाग लेने की मांग की जा रही हैं, जो उचित भी है । परन्तु इस बारे में विचारणीय बात यह है कि विद्यार्थियों को पाठय चर्चा के अतिरिक्त गतिविधियों मे भी भाग लेना चाहिए अथवा विद्या क्षेत्र के अन्य मामलों में भी उन्हें साझीदार बनना चाहिये ।

इस निकाय की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों की कठिनाइयों को सुलझाने के लिये सिफारिशें करने के लिये की गई थीं । यह निकाय विद्यार्थियों द्वारा राजनीति में भाग लिये जाने के बारे में भी विचार कर रहा है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी और इसके बारे में शिक्षा प्राधिकारियों से चर्चा करनी होगी । मुझे दीर्घकालीन सिफारिशों के बारे में गजेन्द्र-गडकर समिति की रिपोर्ट प्राप्त करनी है और मैं इस विषय पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिकारियों से चर्चा करूंगा । इन सब बातों में कुछ समय लगेगा ।

मैं इस विधेयक को विधि-पुस्तक में आवश्यकता स एक दिन भी अधिक रखना पसन्द नहीं करूंगा । मैं विश्वविद्यालय की कठिनाइयों को नामनिर्देशित निकाय को सौंपने वाला अन्तिम व्यक्ति हूंगा ।

मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के बारे में आगामी शरद् सत्र में एक विधेयक लाया जायेगा। जहां तक दीर्घकालीन सिफारिशों का प्रश्न है हम उनके बारे में तब तक कार्यवाही नहीं करेंगे जब तक सम्बद्ध व्यक्ति उन पर विचार नहीं कर लेते ।

मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भविष्य के बारे में चिन्तित हूं। गत 15 वर्षों में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के स्तर में गिरावट आई है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अभी भी अखिल भारतीय स्तर का विश्वविद्यालय है और वहां देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते हैं।

बनारस विश्वविद्यालय में उपयुक्त वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिये । पंडित मदन मोहन मालवीय के स्वपन को पूरा करने योग्य वातावरण वहां पैदा करना चाहिये ।

विधेयक में नामनिर्देशित कोर्ट के लिये नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का उपबन्ध है इसमें उप-कुलपति के पद की अवधि को 5 से घटाकर 3 वर्ष और रैक्टर के पद की अवधि उप-कुलपति के पद की अवधि के साथ समाप्त करने का उपबंध है । विधेयक में यही मुख्य उपबन्ध है और बाकी सब संशोधन मामूली हैं ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्थायी ढांचे के बारे में सविस्तार अधिनियम कोई नहीं है । अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो विभिन्न बातें हैं उन्हें हम ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये लिया है क्योंकि आयोग ने उसके बारे में कोई विशेष सिफारिश नहीं की है। परन्तु आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे मे जो एक विशेष सिफारिश की थी इसे स्वीकार कर लिया गया है। वह सिफारिश यह है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् में दो या तीन-एक न्यूनतम संख्या में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से व्यक्ति लिये जाने चाहियें, ताकि विश्वविद्यालय परिषद् विश्वविद्यालय में होने वाली घटनाओं से परिचित रहे ।

गजेन्द्रगडकर समिति ने एक आवश्यक सिफारिश यह की है कि हमें ऐसे सदस्यों को कार्यकारी परिषद् में नहीं चुनना चाहिये जो सभा की कार्यवाही में भाग न लें। यह बात आवश्यक है कि नामनिर्देशित सदस्य कार्यकारी परिषद् की बैठक में भाग लें ।

उप-कुलपति की नियुक्ति प्रवर समिति की सिफारिश से की जायेगी, जिसकी नियुक्ति विजिटर द्वारा की जायेगी । प्रवर समिति में ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जिन्हें विजिटर और देश का विश्वास प्राप्त हो। मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि विजिटर द्वारा तालिका के चयन के लिये नियुक्त प्रवर समिति उच्च स्तर की होगी और मुझे विश्वास है कि उसे सभा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा ।

मुझे सांविधिक संकल्प के बारे में भी कुछ कहना है । अध्यादेश को जारी करने के अधिकारों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया गया है । मैं इस विधेयक का सार देकर, जो समिति की सिफारिशों पर आधारित था, विजिटर को सिफारिश कर सकता था । किन्तु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे विचार से ये सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण थीं और उन्हें दोनों सदनों के सामने रखा जाना और उन पर दोनों सदनों द्वारा विचार किया जाना और फिर इसे कानून का रूप दिया जाना आवश्यक था । मैंने ऐसा अधिकार प्राप्त करने के लिये यह प्रक्रिया अपनाई क्योंकि विजिटर को अधिकार प्राप्त नहीं थे। विजिटरों को विश्वविद्यालय को फिर से खोलने की तिथि के स्थापित करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं । मैं विजिटरों को ये अधिकार देना चाहता हूं। मैं इसलिये ऐसा करना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसे ही समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित होगा, वैसे ही

इस बारे में विधान बनेगा और जैसे ही उप-कुलपति त्यागपत्र देंगे, इस बारे में विजयी लोग और विरोधी लोग जलूस निकालेंगे। विभिन्न प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही होगी और विश्वविद्यालय को नया रूप देने के सब प्रयास बेकार सिद्ध हो जायेंगे। अतः इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। मुझे आशा है कि जब समय आयेगा, माननीय सदस्य स्वयं ही अपने सांविधिक संकल्प को वापिस ले लेंगे। मैं इस विधेयक को सभा में विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : संकल्प और विधेयक सभा के सामने हैं। इन पर बोलने के लिये प्रत्येक सदस्य को केवल दस मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री रा० की० अमीन (ढंढूका) : मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों का स्वागत करता हूं। यदि इन आश्वासनों को विधेयक में जोड़ दिया जाता तो सरकार के और हमारे हाथ मजबूत हो जाते।

सरकार ने विधेयक में नामनिर्देशित निकायों को शीघ्र समाप्त करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। एक बार जब आप उनकी नियुक्ति कर देते हैं तो आप उनकी नियुक्ति को समाप्त नहीं कर सकते।

यदि आप इस सम्बन्ध में इतने ही ईमानदार हैं और इस बारे में विलम्ब के विरोधी हैं तो उन व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये तिथि निर्धारित की जानी चाहिये।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उदाहरण हमारे सामने हैं। सरकार द्वारा इन परिवर्तनों को विलम्ब से लागू किये जाने के कारण ही विश्व-विद्यालय तथा अन्य स्थानों में दंगे हुए।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थिति के लिये उप-कुलपति कहां तक उत्तरदायी है, मुझे इस रिपोर्ट से इस बात का ठीक पता नहीं लगा।

समस्त जांच के दौरान शंका का वातावरण विद्यमान रहा है। यहां तक कि समिति को भी यह पता नहीं था कि क्या उन्हें उप-कुलपति के व्यवहार के बारे में जांच करनी है।

समिति ने विश्वविद्यालय को प्रस्तुत ज्ञापन का सार देने से इंकार कर दिया था। विश्व-विद्यालय को जिरह करने से इंकार करने दिया गया था। एक बात ध्यान में रखने की है और वह यह कि समिति कोई न्यायिक जांच समिति नहीं थी। समिति एक विश्वविद्यालय के कार्य के बारे में जांच कर रही थी अतः उक्त जांच शैक्षिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिये थी और तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार नहीं।

समिति को सिफारिशों के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर उप-कुलपति से विचार-विमर्श करना चाहिये था। यदि ऐसा किया गया होता तो सत्यता का शीघ्र पता लग जाता।

तीन विद्यार्थियों के प्रवेश के कारण विश्वविद्यालय में दंगे हुए। इन विद्यार्थियों के प्रवेश के मामलों में समुचित जांच की जानी चाहिये थी। समिति को डा० सेन से उनके प्रवेश के कारणों का पता लगाना चाहिये था। इस बारे में शैक्षिक संस्थाओं की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने के क्या कारण थे ? प्रवेश सम्बन्धी योग्यतायें और एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानान्तरण करने का कार्य

पूर्ण रूप से शैक्षिक संस्था को करने का अधिकार है । लेकिन यहां उपकुलपति ने रजिस्ट्रार के जरिये उक्त विद्यार्थियों को दाखिल करने के निदेश दिये जब कि वे विद्यार्थी सब योग्यतायें पूरी नहीं करते थे । इस बारे में डा० सेन का स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिये था । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । इस बारे में मैं माननीय मंत्री के विचार जानना चाहता हूं ।

यह स्पष्ट है कि उप-कुलपति पर हमला किया गया था । उनकी कार पर पत्थर फेंके भी गये थे । उप-कुलपति के वक्तव्य की जांच नहीं की जानी चाहिये थी । उनके वक्तव्य को जांच किये बिना ही सच माना जाना चाहिये था । यदि ऐसा नहीं होगा तो आजकल कोई भी उपकुलपति कार्य नहीं कर सकेगा ।

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी की नियुक्ति के बारे में समिति ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं । मुझे पता नहीं चला कि उन आपत्तियों को किन आधारों पर स्वीकार किया गया । उनका चयन हिन्दी विभाग के अध्यक्ष होने के कारण किया गया था । विज्ञापन द्वारा इन पदों के लिये योग्य प्राध्यापकों का मिलना कठिन होता है । समिति को इस बारे में पता करना चाहिये था कि क्या विश्वविद्यालय में किसी और व्यक्ति को, जो डा० हजारी प्रसाद की भांति विद्वान है विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता था । क्या सम्भावित आवेदनकर्ताओं में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी से अधिक योग्य व्यक्ति के प्राप्त होने की सम्भावना थी और क्या उसे मौका नहीं दिया गया था ?

संभवत: इस विषय पर न्यायिक दृष्टि से विचार किया गया है, शिक्षा की दृष्टि से नहीं । इसीलिये मेरे विचार में इस प्रतिवेदन में कुछ मामलों के सम्बन्ध में पक्षपातपूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं । मंत्री महोदय को इन्हें सही रूप देना चाहिये । यह स्पष्ट है कि उपकुलपति का पद महत्वपूर्ण पद होता है जिसके साथ वह न्याय नहीं कर सके । दूसरी बात यह है कि परीक्षा के नियम समय-समय पर बदलते रहे हैं जिसके कारण बहुत कठिनाइयां पैदा हो गई हैं । तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह यह कि विश्वविद्यालय प्रशासन का नियन्त्रण अत्यधिक है । प्रशासन शिक्षाशास्त्रियों का मालिक नहीं बन सकता और न ही वह शिक्षाशास्त्रियों का शत्रु ही बन सकता है । प्राय: यह देखा गया है कि विश्वविद्यालयों में प्रशासन शिक्षाशास्त्रियों के साथ मालिक अथवा शत्रु के रूप में व्यवहार करता है । प्रशासनिक ढांचे को बदलने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है जिससे प्रशासन विश्वविद्यालय कर्मचारियों अथवा शिक्षा कार्य के सेवक के रूप में कार्य करे न कि शिक्षाशास्त्रियों के मालिक अथवा शत्रु के रूप में ।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में पुलिस अनुशासन स्थापित नहीं कर सकती । पुलिस को देखते ही विद्यार्थी गड़बड़ी करने लगते हैं, केवल अध्यापक ही अनुशासन स्थापित कर सकता है । यदि अध्यापक अनुशासन स्थापित न कर सकें तो विश्वविद्यालय को बन्द कर देना चाहिये । इसलिये अनुशासन का उत्तरदायित्व भी अध्यापक वर्ग को सौंपा जाना चाहिये । इस प्रतिवेदन में अध्यापकों की शिक्षा सम्बन्धी आजादी को सुदृढ़ बनाने और अध्यापक वर्ग की स्थिति में सुधार करने के लिये कोई सिफारिश नहीं की गई है । यदि अध्यापकों का चयन करते समय केवल उनकी योग्यता का ही ध्यान रखा जाय तो विश्वविद्यालय के अध्यापकों की स्थिति में सुधार हो सकता है ।

विद्या परिषद् अथवा कार्यकारी परिषद् में अधिक शक्तियां संकेन्द्रित करने के स्थान पर संकायों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहियें ।

शक्तियों के समुचित विकेन्द्रीकरण से शायद अध्यापक वर्ग में यह भावना पैदा हो जाय कि उन्होंने विद्यार्थियों के साथ मिल कर कार्य करना है और उन के मन में विश्वविद्यालय की एकता की भावना पैदा हो जाये । इस एकत्व की भावना के बिना विश्वविद्यालय में अनुशासन स्थापित नहीं किया जा सकता ।

मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि उपकुलपति पद के लिये वह उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे । परन्तु डा० जोशी को भी 'विज़िटर' ने नियुक्त किया था । अतः उन्हें उपकुलपति का चयन करने के लिये उपयुक्त तरीका निश्चित करना चाहिये । प्रस्तुत उपाय बिल्कुल अस्थायी होना चाहिये और इसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । यदि इस प्रकार का आश्वासन दिया जाये तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इससे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति पैदा हो जायेगी । गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करना अनुचित होगा । यह प्रतिवेदन निष्पक्ष और बहुत ही संतुलित है । जब मैंने इस प्रतिवेदन को पढ़ा तो मुझे विद्यार्थियों और अध्यापकों के उन अपराधों और दुष्कर्मों को पढ़ कर बड़ा धक्का लगा । यह बड़े खेद की बात है कि कुछ विद्यार्थी उपकुलपति का समर्थन कर रहे थे और कुछ विरोध कर रहे थे । यह कार्यवाही सब प्रकार के सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों से रहित है । इसी लिये मैं विद्यार्थी एवं अध्यापक वर्ग की निन्दा करता हूं । उन्होंने विश्वविद्यालय की पवित्रता समाप्त कर उसे अपराध करने वाले स्थान के रूप में बदल दिया है ।

जब विश्वविद्यालय में इस प्रकार की गड़बड़ी चल रही थी तो उस समय उनका मंत्रालय क्या कर रहा था ? उन्होंने इस प्रकार के जघन्य षड्यंत्र का और राजनीतिक जोड़-तोड़ का पता क्यों नहीं लगाया जो विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर चल रहा था जैसा कि इस प्रतिवेदन में लिखा है ? यह कहना पर्याप्त नहीं कि मंत्री महोदय नौकरशाही के कहने पर नहीं चलेंगे । मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके मंत्रालय ने स्थिति को इस सीमा तक विगड़ने क्यों दिया ? उपकुलपति को फूट डाल कर शासन करने की नीति नहीं अपनानी चाहिये थी । उपकुलपति को बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिये । परन्तु यह स्थिति वहां नहीं थी ।

प्रधान मंत्री द्वारा प्साइंस कांग्रेस के समक्ष भाषण किये जाने के समय जब उपकुलपति को गड़बड़ी होने का संकेत मिला, तो उन्हें इससे निपटने के लिये पुलिस की सहायता लेनी चाहिये थी, न कि विद्यार्थियों के एक गुट को दबाने के लिये विद्यार्थियों के दूसरे गुट की सहायता लेनी थी । मुझे यह पढ़ कर खेद होता है कि एक छात्रा अपने भाई को मिलने के लिये होस्टल में गई और कुछ विद्यार्थियों ने उसके साथ बलात्कार किया । इस मामले की सूचना उपकुलपति को दी गई थी । प्रतिवेदन में लिखा है कि उसके बाद इस मामले की दिखावे मात्र की जांच की गई और इस मामले को समाप्त कर दिया गया । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर प्रकाश डालें और सभा को बतायें कि वह इस मामले में क्या कार्यवाही करेंगे ।

इसी प्रकार कुछ विद्यार्थियों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किये जाने का समाचार भी दिया गया था । पता चला है कि एक लड़की को जब रिक्शा से खींचा गया तो वह इतनी घबरा गई कि वह अस्पताल में पहुंचते ही मर गई । जिस विश्वविद्यालय पर किसी समय गर्व किया जाता था, अब उसकी स्थिति इतनी गिर गई है ।

गजेन्द्रगडकर समिति से कुछ अध्यापक और विद्यार्थी इतने घबराये हुये थे कि वे उनके समक्ष साक्ष्य देने के लिये भी नहीं आ सके। क्या हमारे संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का इसी प्रकार संरक्षण किया जायेगा? यह बड़े शर्म और अपमान की बात है।

मुझे यह पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो पुलिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में उन सभी कार्यवाहियों को रोकने में लापरवाही से काम लेती रही है, वह एक अवसर पर बहुत सतर्क थी। उस अवसर पर वह होस्टल के अन्दर घुस गई और एक ही गुट के विद्यार्थियों को पीटती रही। हमारी पुलिस का यह हाल है।

मेरे विचार में मन्त्रालय के बाद कार्यकारी समिति बिल्कुल अनभिज्ञ और एकदम अक्षम सिद्ध हुई है। मन्त्री महोदय को इस समिति के वर्तमान सदस्यों में से एक को भी पुनः नियुक्त नहीं करना चाहिये अन्यथा इस समिति में पुनः राजनीति घुस आयेगी। इस के सभी सदस्य तमाशा देखने वाले थे।

इस दुःखद घटना के समय पुलिस ने जिस प्रकार का कार्य किया था, उसकी जांच की जानी चाहिये। मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित राष्टीय स्वयं सेवक संघ के भवन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्यापक वर्ग में असंतोष व्याप्त होने का एक कारण नियुक्तियों सम्बन्धी अनियमितताए हैं। इन अनियमितताओं की जांच की जानी चाहिये। इसके साथ ही धमकी देने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकार समाज विरोधी तत्वों से कब तक डरती रहेगी। सरकार को ऐसे लोगों का सख्ती से मुकाबला करना होगा।

श्री एस० कण्डप्पन (मैटूर): इस प्रतिवेदन को पढ़ने से पता चलता है कि एक विद्या मन्दिर साम्प्रदायिक, जातिवाद, प्रादेशिक और भाषायी झगड़ों का गढ़ बन गया है और उसमें अध्यापकों की नियुक्तियों में भी पक्षपात किया जाता है। यदि कोई आमूल परिवर्तन न किये गये तो शायद इस विश्वविद्यालय का कोई भविष्य ही न रहे।

यह संशोधनकारी विधेयक अच्छा है परन्तु वहां की स्थिति को देखते हुए यह बिल्कुल अपर्याप्त है। आज विश्वविद्यालय का वातावरण सन्देह और भय से परिपूर्ण है। विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों तक में भी फूट व्याप्त है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कह नहीं सकता कि इस विधेयक से विद्यार्थियों तथा अध्यापक वर्ग की मांगें कहां तक पूरी हो सकेंगी।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में छात्रों में व्याप्त जातिगत भावनाओं का उल्लेख किया है और इसके समर्थन में उन्होंने एक गैर-हिन्दी भाषी छात्र का हवाला दिया है जो एक प्रतिभाशाली छात्र है और राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापकों के चयन अथवा नियुक्ति के बारे में सावधानी बरती जानी चाहिये थी। उदाहरण के लिये श्री के० एन० उदुपा को 1958 में बनारस के एक आयुर्वेदिक कालेज का प्रधानाचार्य बनाया गया था। वह इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। 1960 या 1961 में वहां पर एम० बी० बी०एस० पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया और श्री उदुपा को ही उस मेडिकल कालेज का प्रधानाचार्य बना दिया गया हालांकि वह इस पद पर नियुक्त किये जाने के योग्य नहीं थे। उन्होंने नियम को नर्म बना कर अपने लिये एम० बी० बी० एस ० की उपाधि प्राप्त कर ली। मुझे पता चला है कि अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् उस उपाधि को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देती। उन्होंने अपने को उस उपाधि से अलंकृत कर लिया। शायद वे अभी भी प्रधानाचार्य हैं। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये। इस तरह की विषमताओं से अध्यापकों तथा छात्रों में असन्तोष होना तो लाजमी बात है। इन चीजों की तुरन्त जांच की जानी चाहिये।

केवल इस विधेयक के पास करने मात्र से ही वहां पर शांति स्थापित नहीं हो जायेगी। श्री गजेन्द्रगडकर और समिति के सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

उनमें से एक शिकायत 19 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी के बारे में है। विश्वविद्यालय खोलने से पहले इस मामले की जांच का आदेश दिया जाना चाहिये। समिति ने इस बारे में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इससे छात्रों को भी संतोष मिलेगा और सचाई का भी पता लग जायेगा।

समिति के मत के अनुसार विश्वविद्यालय से छात्रों के निष्कासन आदेश के कारण ही विश्वविद्यालय में हिंसक घटनाएं हुई और जिनके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को बन्द करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सरकार को यह निर्णय कर लेना चाहिये कि वह इन छात्रों के बारे में क्या करने जा रही है। इस महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में तुरन्त निर्णय किया जाना चाहिये।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि वहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो शिविर है उसे समाप्त किया जाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय को अखिल-भारतीय स्वरूप प्रदान करने के लिये वह एक व्यापक विधान बनाने जा रहे हैं। समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि दिये गये साक्ष्य से उन्हें ऐसा आभास हुआ है कि विश्वविद्यालय में गैर-हिन्दी भाषी छात्रों का स्वागत नहीं किया जाता है और यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों--पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार--के छात्रों तथा अध्यापकों के लिये ही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है। विश्वभारती को छोड़ कर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हैं और उनमें राज्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का स्वरूप ऐसा होना चाहिये कि वहां पर सभी देशवासियों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सके। इससे एकता बढ़ेगी। परन्तु जो प्रवृत्ति उनमें उभरती जा रही है वह तो इसके बिल्कुल विपरीत है। अब समय आ गया है जब कि इस बारे में कार्यवाही की ही जानी चाहिये। यह समिति पिछली समितियां और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भाषा के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं कर सके हैं। मैं जानता हूं कि यह एक जटिल समस्या है। यदि वे हिन्दी को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भाषा बनाने जा रहे हैं तो उन्हें सभी भाषाओं के केन्द्रीय

विश्वविद्यालय स्थापित करने होंगे अन्यथा गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के छात्र उन विश्वविद्यालयों में नहीं जा सकेंगे। यदि वे कुछ समय के लिये अंग्रेजी को बनाये रखना चाहते हैं तो उन्हें उनके शिक्षा स्तर में सुधार करना तथा उन के अखिल भारतीय स्वरूप को कायम रखना होगा।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ही नहीं अपितु अन्य विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी वादिता से गैर हिन्दी भाषी छात्रों का मनोबल गिरता जा रहा है। मेरे एक मित्र श्री मैथ्यू ने आगरा विश्वविद्यालय से एम० ए० की उपाधि प्राप्त की थी जिसका प्रमाण पत्र उन्हें हिन्दी में दिया गया था उन्हें उससे नौकरी प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी इसलिये वह अंग्रेजी में प्रमाण पत्र चाहते थे और उन्होंने इस बारे में आगरा विश्वविद्यालय को भी बार-बार लिखा परन्तु उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : अन्य विश्वविद्यालयों में भी यही बात होने लगेगी जब उनमें प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगेगी।

श्री एस कण्डप्पन : क्या शिक्षा का माध्यम हिन्दी या तमिल आदि हो जाने के बाद उनके लिये साथ साथ अंग्रेजी में दूसरा प्रमाण पत्र जारी करना कठिन हो जाता है? यदि आप विभिन्न प्रदेशों के छात्रों के आदान प्रदान में रुचि रखते हैं तो इस तरह के निदेश देने में क्या कठिनाई है? यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिये। अलीगढ़, बनारस तथा दिल्ली विश्वविद्यालय सभी हिन्दी भाषी क्षेत्र में आते हैं यदि उनमें गैर हिन्दी भाषी लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो ऐसे भेद-भाव से देश नष्ट हो जायेगा। माननीय मंत्री को एक व्यापक विधेयक लाने से पहले इस पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : The Banaras Hindu University had to be closed down on account of agitations, violence and incidents of looting in the University campus. This University was established by Mahamana Madan Mohan Malaviya, in 1915. It wzs established with a certain purpose and the students passing out from it took leading part in the freedom struggle of the country. It is a great institution of which I have been a student. Today politics and casteism has entered into it. There are conflicts between teachers and students and the Managing Committee. It is the responsibility of the Central Government to run it on proper lines and in an atmosphere of peace and tranquility. With this objective in view the Central Government set up a Committee under the chairmanship of Shri Gajendra Gadkar, retired Chief Justice of India. The Committee submitted its report and on the basis of that report Government have brought forward this amending Bill. It is a short-term Bill. The hon. Minister is to bring forward a comprehensive Bill later. It would have been better if the report of the committee had been discussed here before bringing forward this Bill. In this Bill provision has been made for the nomination of the Vice-chancellor, the Executive Council, the Finance Committee etc.

If political parties are not allowed to enter the University campus, much of the trouble can be avoided. Promising and talented students want that the University should reopen as early as possible so that they may pursue their studies uninterruptedly. I want to give a warning that these agitations and acts of violence and looting will again come to the force when the University reopens. Preparations are already being made to create trouble and all that. The Education Minister should take special steps to keep the university open so that the peace loving students can continue their studies without any break. The appoin ment of teachers and

admission of students in the University is mainly being made on the basis of casteism till now. Unless this casteism is uprooted from there, peaceful conditions cannot prevail.

In the Banaras Hindu University, an institution called the Institute of Technology has been started. It is a very useful institution and it should not be closed down. The present Vice-chancellor has recommended in consultation with the Ministry that this institution should be closed. But it would be a grave injustice to the teachers and students studying in this institution This institution should be retained as there is no dearth of students interested in this line of teaching.

While considering the question of selection of Vice-chancellor for this University, preference should be given to a person belonging to the eastern part of U.P. or Bihar, because majority of students studying in this University hail from these areas of the country.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : The problem of the Banaras Hindu University is a political problem and a political solution should be found out. This problem can be solved in no other way.

It is not a fact that the Gajendragadkar Commission have narrated on pages 99 and 100 of their report as to what had been the activities of the RSS there since 1938 and particularly since 1941 to date and how those activities polluted the atmosphere there and whether the Commission have not made any recommendations in that behalf? The hon. Minister should also tell us what the Government are going to do to put a stop to the RSS activities there ?

The RSS people claim that the two-roomed building inside the campus was handed over to them by Mahamana Madan Mohan Malaviya. But in the records of the University nothing like that is available, nowhere any such mention has been made, the fact is that after the death of Mahamana Madan Mohan Malaviya,the RSS people occupied it and they have been using it since then.

The Commission has recommended that this building should be abolished as it has now been surrounded by various faculty buildings and is not required even from the point of view of architecture. I want to know whether Government are prepared to order its demolition ?

The report has mentioned in detail the incidents of rapes beating to death, molestation of, girls, rowdism and gangsterism. The Commission has only touched upon certain happenings in the University campus. Will Government appoint a reviewing Committee to review such cases? Will the persons responsible for major offences be dealt with severely and legal action taken against them ? I want a categorical answer to all these questions.

Shri Raj Narain was attacked with a knife there and if some students had not arrived there, he would have been seriously wounded. A report was lodged but no action was taken. Will any announcements be made on behalf of the University or the police about the action taken in such cases ?

Today there is a groupism in the University which is the root cause of apathy between the teaching staff as also between the teaching staff and the students. Are Government going to take any steps to root out this groupism based upon casteism, regionalism and discrimination ?

My suggestion is this. After the appointment of the new Vice-chancellor, a round table conference should be convened. With the representatives of teachers, students and Government to discuss these things in detail and to invite suggestions for the allround development of the University. The hon. Minister should then bring forward a comprehensive Bill incorporating all those suggestions. I want to know the views of the hon. Minister in this regard.

The present Bill as the hon Minister has himself stated in the other House is only a temporary measure and he intends to bring forward a comprehensive Bill later on. The present Vice-chancellor who was mainly responsible for all these happenings in the University should not allowed to go scot free. Resignation only is not enough. I want to know what action ernment propose to take against him ?

It is a political issue. Banaras Hindu University had been a centre of our national for in the pre-independence days. Will a healthy and academic atmosphere be generated there again so that the teaching staff and the students can further the national objective of socialism there ?

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Banaras Hindu University is not only one of the greatest institutions of our country but also of the whole world. Students from abroad also come to study here. Some such conditions were created there during the last few days that Government was compelled to set up a Committee under the chairmanship of Shri Gajendragadkar. Shri Goel while criticising the ordinance stated that the Gajendragadkar Committee has given this report under certain pressure or conditions. We should not entertain any such doubts because the chairman of the Committee happens to be a legal luminary of our country. This doubt is dispelled by the very nature of the composition of this Committee. Shri Goel ha made this allegation only on the inspiration of his own political views . . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें । अब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 29 अगस्त, 1969/7, भाद्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 29th August, 1969/Bhadra 7, 1889 (Saka).

GMGIPND—LS III—2126 (Ai) LS—16-1-70—340.

[यह लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]